मई 2000 मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

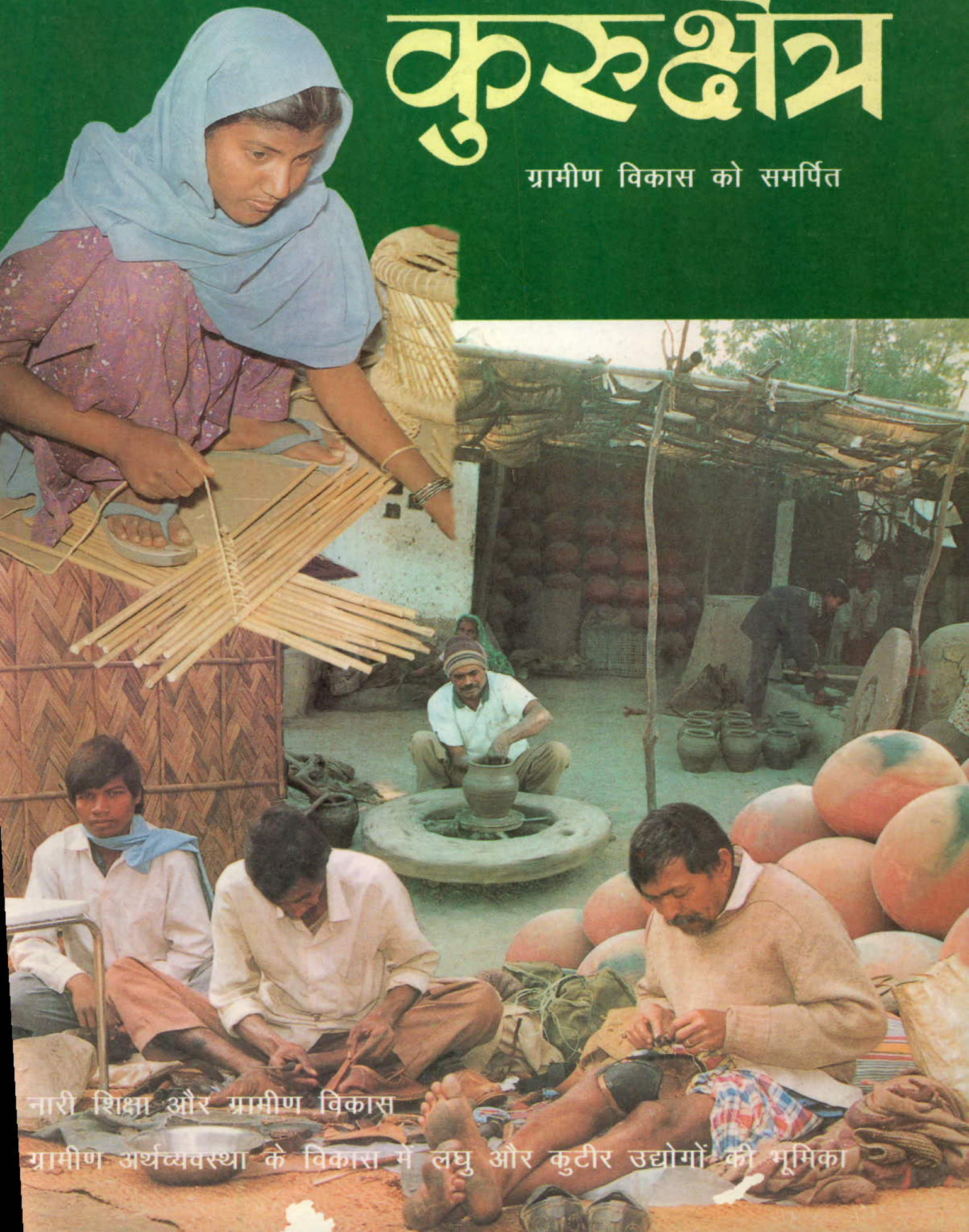

नारी शिक्षा और ग्रामीण विकास

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में लघु और कुटीर उद्योगों की भूमिका

पुनर्गठित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के परिणाम शीघ्र मिलने की आशा

सामाजिक विषयों पर सम्पादकों के सम्मेलन में श्री सुन्दरलाल पटवा का संबोधन

ग्रामीण विकास मंत्री श्री सुन्दर लाल पटवा सामाजिक विषयों पर संपादकों के सम्मेलन में बोलते हुए

ग्रामीण विकास मंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा ने कहा कि सरकार गांवों के तीव्र और स्थायी विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने 6 अप्रैल 2000 को नई दिल्ली में सामाजिक विषयों पर सम्पादकों के द्वितीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये उद्गार व्यक्त किए। सम्मेलन का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय ने संयुक्त रूप से किया। 6 से 8 अप्रैल 2000 तक चले सम्मेलन में देश भर से आए करीब 150 सम्पादकों तथा पत्रकारों ने भाग लिया।

श्री पटवा ने अपने संबोधन में बताया कि मंत्रालय बंजर भूमि सहित भूमि संसाधनों के विकास, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यरूप देने में जुटा है। श्री पटवा ने अपने संबोधन में बताया कि 53 प्रतिशत गांवों में बारहमासी सड़कें नहीं हैं। *प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना* के तहत 2,500 करोड़ रुपये खर्च करके प्रथम चरण में 1,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख मकान बनाए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में सरकार का सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी है। इस समय 83.85 ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं आंशिक रूप से उपलब्ध है और 1.85 प्रतिशत बसावटों में स्वच्छ पेयजल के स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि *अन्नपूर्णा* नामक एक योजना शुरू की जा रही है जिसके तहत उन वृद्धों और असहायों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं परन्तु जिन्हें यह पेंशन नहीं मिल रही है।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को विशेष महत्व देती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने पिछले वर्ष ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया। स्वरोजगार तथा दिहाड़ी रोजगार पर बल दिया गया। उन्होंने आशा व्यक्त

(शेष आवरण पृष्ठ तीन पर)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय
की
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 45 अंक 7

बैसाख–ज्येष्ठ 1922

मई 2000

संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
जयसिंह
बी.एस. मिरगे

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र',
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011–3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
के.एस. जगन्नाथ राव

आवरण सज्जा
अलका नय्यर

फोटो साभार :
आई.ई.सी. डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय

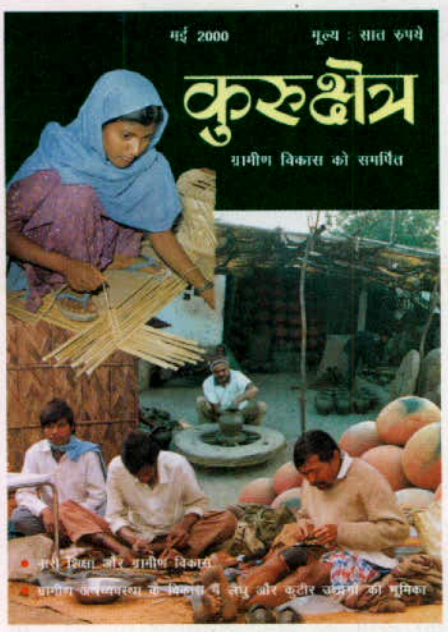

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

इस अंक में

- राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण नये आयाम — डा. एच.एस. महला — 3
- पुराने मतदाता और नया पंचायती राज (निर्वाचन की बाड़ा संस्कृति) — डा. दौलत राज थानवी — 11
- भारत में ग्रामीण विकास : कुछ चुनौतियां — निरंजन कुमार सिंह — 13
- ग्रामीण विकास को नई दिशा — नवीन पंत — 16
- कृषि और ग्रामीण विकास सम्बन्धी प्रावधान — डा. नरेश चन्द्र त्रिपाठी — 19
- नारी शिक्षा और ग्रामीण विकास — मधु ज्योत्सना — 23
- स्वयं सहायता समूह : एक सफल प्रयोग — डा. आर.एस. सेंगर — 25
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में लघु और कुटीर उद्योगों की भूमिका — शैलेन्द्र कुमार मिश्र — 26
- राजस्थान में ग्रामोद्योग विकास — डा. ओ.पी. शर्मा — 29
- बड़े काका (कहानी) — सुरेश कुमार — 31
- ग्रामीण विद्युतीकरण – ग्रामीण विकास का प्रमुख पहलू — डा. अरविन्द जैन — 32
- आदिवासी अर्थव्यवस्था में वनोपजों का विपणन मध्य प्रदेश के जशपुर जिले के संदर्भ में — डा. पी.के. अग्रवाल — 35
- परिवार की संरचना से जुड़े पहलू — सिमरन कौर — 39
- नई प्राथमिकताएं (स्थायी स्तंभ) — सुरेन्द्र कुमार दे — 42
- करेले की कड़वाहट में छिपे हैं मीठे गुण — शैलेश त्रिपाठी — 47

पाठकों के विचार

कन्या भ्रूण की हत्या शर्मनाक

आपकी ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका *कुरुक्षेत्र* का जनवरी 2000 अंक पढ़ा। यह पत्रिका हम ग्रामीणों के लिए ज्ञानवर्धक है। इसके सभी लेख उपयोगी होने के साथ–साथ लाजवाब हैं। कोई भी ऐसा लेख नहीं जिसे पढ़ने को दिल न करता हो।

इस अंक में लेखक डा. प्रनोब कुमार सरकार जी ने *गर्भ के भीतर और बाहर कन्याओं की हत्या* नामक लेख को लिखकर कन्याओं के हत्याओं से जुड़े डाक्टरों और लोगों की बेशर्मी को पूरी मानव–जाति के सामने व्यक्त किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं।

सचमुच आज हम सैटेलाइट युग में जी रहे हैं लेकिन कन्याओं के बारे में हमारी परम्पराएं ज्यों की त्यों ही हैं। इतनी प्रगति करने के बावजूद भी कन्याओं की हत्या जारी रहना एक चिंता का विषय है। जिस कन्या ने तुरंत जन्म लिया है या अपनी मां के गर्भ में बीज के तरह है तभी उसकी हत्या कर दी जाती है। आज अल्ट्रासाउंड जैसी चिकित्सा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। ज्यादातर शिक्षित लोग ही ऐसा करते हैं। जब कभी भी मैं कन्या भ्रूण या शिशु कन्याओं की हत्या की खबर सुनती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्या का जनाजा नहीं, बल्कि कानून का जनाजा निकलेगा।

अब प्रति वर्ष कन्याओं की संख्या घटती जा रही है और कानून कानूनी पुस्तकों की शोभा बढ़ा रहा है। पूरी मानव–जाति यह क्यों भूल जाती है कि आज हम सभी जिसकी बदौलत पृथ्वी पर हैं उसी की हत्या कर रहे हैं।

लेखक महोदय ने राजस्थान के एक गांव के बारे में लिखा है कि *एक सौ पन्द्रह वर्ष बाद आई बारात* यह सचमुच पूरी मानव–जाति के लिए शर्मनाक बात है।

रंजना कुमारी 'केशरी' मिरचाई बाड़ी, कटिहार–854105.

ग्रामीण बैंकों का काम–काज बेहतर है

मैं *कुरुक्षेत्र* का पिछले एक वर्ष से नियमित पाठक हूं। कुरुक्षेत्र का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक, रोचक और संग्रहणीय होता है।

फरवरी 2000 के अंक में डा. ओमप्रकाश तोषनीवाल के लेख *ग्रामीण बैंक सौंपे गये अपने दायित्वों को पूरा करें* में व्यक्त विचारों 'आज तो गरीब और कम पढ़ा लिखा ग्रामीण बैंक काउन्टर पर जाते हुए अपने को सर्वथा उपेक्षित महसूस करता है' से सहमत नहीं हुआ जा सकता।

मैं पिछले दस वर्षों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सेवारत हूं। व्यावसायिक बैंकों से परेशान ग्राहक ग्रामीण बैंक में त्वरित सेवा और आत्मिक व्यवहार पाकर उस प्यासे की तरह महसूस करता है, जिसे भरी दोपहरी में मटके का शीतल जल मिल गया हो।

मध्य प्रदेश में झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का साख जमा अनुपात 60 प्रतिशत है जबकि अन्य व्यावसायिक बैंकों का 40 प्रतिशत है। स्वयं सहायता समूह ऋण प्रदान करने में भी झा.धा.क्षे.ग्रा. बैंक मध्य प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर है। इसी तरह 23 राज्यों में कार्यरत 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1997–98 के दौरान बेहतर कार्य निष्पादन देते हुए 196 में से 126 ने 303 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया। शेष ग्रामीण बैंकों के घाटे में लगातार कमी आ रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थाना के मात्र 25 वर्षों में इतना बेहतर कार्य निष्पादन का सारा श्रेय कार्यरत कर्मचारियों के परिश्रम और बेहतर ग्राहक सेवा को जाता है।

अतः डा. तोषनीवाल के अनुभव किसी एक शाखा या बैंक के हो सकते हैं, सम्पूर्ण ग्रामीण बैंक पर लागू नहीं हो सकते।

अर्जुन सिंह चौहान 'अंतिम', झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) 454331

राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण : नये आयाम

डा. एच.एस. महला

राजस्थान में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें जिला परिषद के प्रमुख को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाया जाना, सरपंच को पंचायत समिति का और पंचायत समिति के प्रमुख यानी प्रधान को जिला परिषद का सदस्य बनाया जाना, ग्राम सभा को और अधिक अधिकार देना, स्वास्थ्य और शिक्षा का दायित्व पंचायतों को सौंपना, चरागाह का प्रबंध पंचायतों को दिया जाना, जनता को सूचना का अधिकार दिया जाना प्रमुख हैं। आशा है कि इन उपायों से पंचायती राज संस्थाएं प्रभावी स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में उभर सकेंगी और अपने उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।

भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् स्वाधीन भारत की सरकार ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम सम्पूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का था। भारतीय संविधान की धारा 40 में देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया। यद्यपि यह प्रावधान नीति–निर्देशों के अन्तर्गत था, लेकिन देश की सभी राज्य सरकारों ने और केन्द्रीय सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाई। सम्पूर्ण देश में पंचायती राज की व्यवस्था कैसी हो, तथा किन–किन स्तरों पर पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की जाएं, आदि सभी मुद्दों को निश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 1957 में एक राष्ट्रीय स्तर की कमेटी का गठन किया, जिसे बलवन्त राय मेहता कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी ने नवम्बर 1958 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। सबसे पहले इस कमेटी ने ही देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आरम्भ करने की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने इस कमेटी की सभी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास प्रशासन को संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं को स्थापित किया जाए। राजस्थान देश का प्रथम राज्य रहा, जहां सबसे पहले बलवन्त राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व. श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने 2 अक्तूबर 1959 से राज्य के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया। वास्तव में देश के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक दिन था, जो राजस्थान के नाम लिखा गया। इसके पश्चात् लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गईं तथा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन संस्थाओं को सौंपी गई। तब से लेकर पंचायती राज संस्थाओं को अपनी इस लम्बी यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार के उतार–चढ़ावों का सामना करना पड़ा। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज पूरे देश में

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के इस प्रशासनिक तन्त्र को अर्थात् देश की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। भारत सरकार ने देश के संविधान में संशोधन कर देश की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस संवैधानिक संशोधन में यह अपेक्षा की गई कि देश की सभी राज्य सरकारें अपने पुराने प्रचलित पंचायती राज अधिनियमों को निरस्त कर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार नए पंचायती राज अधिनियम तैयार कर राज्यों में लागू करें। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में राजस्थान सरकार ने अपने पुराने दोनों पंचायती राज अधिनियमों को निरस्त कर, एक नया पंचायती राज अधिनियम तैयार कर 23 अप्रैल 1994 से लागू किया जिसे हम *राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994* के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान में राज्य की सभी पंचायती राज संस्थाएं अर्थात् सम्पूर्ण पंचायती राज तंत्र इसी अधिनियम के प्रावधानों, नियमों व उप नियमों से संचालित हो रहा है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक कदम

हमारे देश में ग्रामीण विकास के प्रशासनिक तंत्र में पंचायती राज संस्थाओं को ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। यहां हमारे दिमाग में एक प्रश्न स्वभाविक रूप से यह आता है कि पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं के रूप में स्वीकार क्यों किया गया है? इस प्रश्न का सटीक उत्तर यह है कि राज्य सरकार के नीचे पंचायती राज संस्थाएं ही अलग–अलग स्तरों पर लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जैसे – जिला स्तर पर जिला परिषद् एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था के पदाधिकारी अर्थात् जिला परिषद् के सदस्य उस जिले की ग्रामीण जनसंख्या द्वारा चुने जाते हैं। इनके अतिरिक्त जिला परिषद में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी पदस्थापित किए जाते हैं। इस संस्था की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने की है। जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित निर्णय इसी संस्था द्वारा लिये जाते हैं और जिला स्तर के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी इसी संस्था द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर पंचायत समितियां होती हैं और ये संस्थाएं भी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती हैं। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकास अधिकारी तथा अन्य अधिकारी पदस्थापित किए जाते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान होता है। इसी तरह से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत निचले स्तर की निर्वाचित संवैधानिक संस्था है, जो ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। अतः यह स्पष्ट है कि ये तीनों स्तर की संस्थाएं जनता द्वारा निर्वाचित संस्थाएं हैं, जो ग्रामीण विकास से सम्बन्धित क्रियाकलापों को सम्पादित करती हैं। इन संस्थाओं में जो निर्णय लिये जाते हैं, वे जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा लिये जाते हैं। इन संस्थाओं के निर्णय में किसी भी स्तर पर नौकरशाही का हाथ नहीं होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर विकास के निर्णय लेते हैं। इसीलिए देश की पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं के रूप में माना जाता है। जिस तरह से केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार को संचालित करने के लिए लोक सभा और राज्य सभा शीर्ष स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं लोकतांत्रिक संस्था के रूप में हैं, उसी प्रकार देश के प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के नीचे राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का सर्वांगीण विकास करने के लिए देश के संविधान के प्रावधानों के अनुसार तीन स्तरों पर इन पंचायती राज संस्थाओं को आरम्भ किया गया है जिनमें हर स्तर पर विकास के निर्णयों में जनसहभागिता को सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।

सम्पूर्ण देश की पंचायती राज व्यवस्था में राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक आदर्श व्यवस्था मानी गई है। पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में जो निर्णय लिये गए हैं, जिनसे कि राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो अर्थात् पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में जो निर्णय लिये गये हैं, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

जिला परिषद् तथा डी.आर.डी.ए. में समन्वय

राज्य में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित दो संस्थाएं कार्यरत हैं। एक जिला परिषद् और दूसरी डी.आर.डी.ए. (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)। जिला परिषद् एक निर्वाचित और संवैधानिक संस्था है, जबकि डी.आर.डी.ए. एक गैर निर्वाचित संस्था है, जिसका अध्यक्ष पूर्व में जिलाधीश होता था। जब तक इन दोनों संस्थाओं में आपस में तालमेल और समन्वय नहीं होगा तब तक जिले के ग्रामीण विकास में अनेक समस्याएं आती रहेंगी। राज्य सरकार ने इन दोनों संस्थाओं में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष अर्थात् जिला प्रमुख को ही डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है तथा जिलाधीश को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसका आशय यह हुआ कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिला प्रमुख ही इन दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष पद का कार्य करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि डी.आर.डी.ए. के परियोजना निदेशक को ही जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया तथा जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी पहले मुख्य कार्यकारी के पद पर कार्यरत था उसे अब अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एडिशनल चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर) बना दिया गया है। इसका प्रभाव यह होगा कि जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित लिये गए निर्णयों में विसंगति और दोहरापन नहीं होगा तथा सुधार भी आएगा और ऐसा करने से उत्तरदायित्व भी निश्चित हो गया है। देश के कुछ राज्यों में, जैसे कर्नाटक

राज्य में डी.आर.डी.ए. को जिला परिषद में समेकित कर दिया गया है। वहां जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित केवल जिला परिषद ही स्थापित है। राज्य में सभी जिलों की ग्रामीण जनता को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा डी.आर.डी.ए. के परियोजना निदेशक के पास अलग–अलग नहीं जाना पड़े, इसके लिए डी.आर.डी.ए. के परियोजना निदेशक और जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, का पद एक ही कर दिया गया है, जिससे राज्य की जनता को अब एक ही अधिकारी के पास पंचायती राज तथा विकास के कार्यों के लिए सम्पर्क करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसा करने से ग्रामीण विकास की गति तेज होगी।

विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का जिला परिषद को हस्तान्तरण

राज्य के सभी 32 जिलों की जिला परिषदों को सुदृढ़ बनाने के लिए डी.आर.डी.ए. द्वारा संचालित नौ विभिन्न ग्रामीण योजनाओं को जिला परिषद को हस्तान्तरित कर दिया गया है, जिससे कि इन ग्रामीण विकास योजनाओं से सम्बन्धित निर्णय लेने में और इनके क्रियान्वयन में जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित संस्था (जिला परिषद्) अपनी अहम् भूमिका निभा सके। जो ग्रामीण विकास योजनाएं हस्तान्तरित की गई हैं वे निम्नलिखित हैं :

- बत्तीस जिले बत्तीस काम योजना
- निर्बन्ध राशि योजना
- रूरल ग्रोथ सैन्टर स्कीम
- मेवात विकास योजना
- डांग विकास योजना
- वानप्रस्थ योजना
- बन्धुआ पुनर्वास योजना
- बायोगैस योजना
- अपना गांव अपना काम योजना

इन योजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया

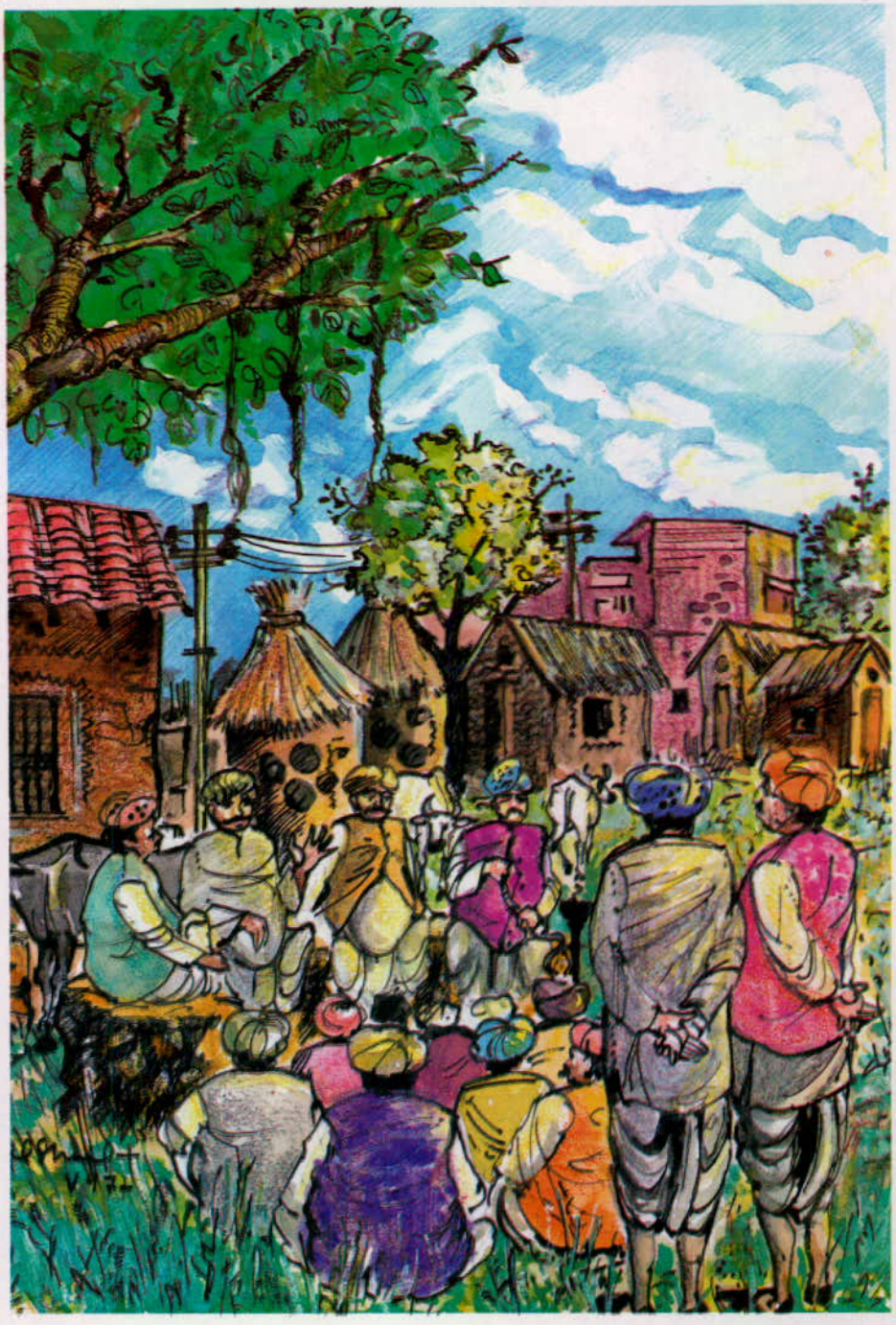

है, जिसमें निम्न सदस्य हैं :

1. जिले के सांसद
2. विधायक – 2 (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
3. प्रधान – 2 (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
4. जिला परिषद के सदस्य – 2 (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
5. जिला कलेक्टर
6. अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
7. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट 1996 के प्रावधान लागू

केन्द्रीय सरकार द्वारा 24 दिसम्बर 1996 से देश के सभी अनुसूचित क्षेत्रों के सर्वांगीण

विकास के लिए नया संशोधित पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट लागू कर दिया गया है। इस एक्ट के प्रावधानों को राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1994 में आवश्यक संशोधन करते हुए राज्य के सभी अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं में लागू कर दिए हैं। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले की फलासिया, खेरवाड़ा, कोटरा, सारदा, सलूम्बर व लसाड़िया तहसीलें, गिरवा तहसील के 81 गांव, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील तथा सिरोही जिले की आबू रोड़ तहसील का आबू रोड ब्लाक आदि शामिल हैं। एक्सटेंशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने से इन क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं को अतिरिक्त अधिकार तथा शक्तियां मिल गई हैं, जैसे –

- प्रत्येक गांव में पृथक ग्राम सभा का आयोजित किया जाना,
- ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों का ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन,
- ग्राम सभा को सामाजिक रीति रिवाज, सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित रखने तथा विवादों का निपटारा करने के लिए सक्षम बनाया जाना,
- सामाजिक तथा आर्थिक विकास की समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक,
- गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा,
- ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि की उपयोगिता का प्रमाण–पत्र ग्राम सभा से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा,
- विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा और समुचित स्तर की पंचायती राज संस्था से परामर्श किया जाएगा,
- अनुसूचित क्षेत्रों में खनन हेतु पट्टा इत्यादि दिए जाने से पूर्व ग्राम सभा अथवा समिति स्तर पर अभिशंसा प्राप्त की जाएगी।

सरपंच को पंचायत समिति तथा प्रधान को जिला परिषद का सदस्य बनाना

पूर्व में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 व 14 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पंचायत समिति के तथा प्रधान जिला परिषद के सदस्य नहीं थे। इससे व्यावहारिक कठिनाई आ रही थी। अतः जन–प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु इसमें संशोधन कर पहली बार सरपंच को पंचायत समिति का और प्रधान को जिला परिषद का सदस्य बना दिया गया है। इससे ये जन–प्रतिनिधि अब विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे।

ग्राम सभा का प्रावधान

राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सभी ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल बनाने और उनका क्रियान्वयन करने में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है। वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम चार बैठकें बुलाना अनिवार्य किया गया है, और उनकी तिथियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। ग्राम सभा की बैठकें अब हर वर्ष 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर को नियमित रूप से आयोजित होंगी। ग्रामीणों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये ग्राम सभा की बैठक में न्यूनतम दस प्रतिशत कोरम निश्चित किया गया है। ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही का प्रावधान रखा गया है।

ग्राम सभा में वार्षिक लेखे, अंकेक्षण प्रतिवेदन, विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन, विकास कार्यों का चयन, प्राथमिकता निर्धारण और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। ग्राम सभा में संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।

वर्ष में प्रत्येक गांव में कौन–कौन से विकास कार्य कराए जाने हैं, उनका चयन सम्पूर्ण राजस्थान में एक ही दिन 26 जनवरी, 1999 को सरपंच की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठकों में किया गया। इन विकास कार्यों की सूची के आधार पर ही पंचायत क्षेत्र में कार्य करवाए जा रहे हैं। पहली बार ग्राम सभा को विकास कार्यों के चयन का अधिकार दिया गया है।

संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों का हस्तान्तरण

पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला स्तर पर उन विभागों के कर्मचारियों को पंचायतों के अधीन करने के लिए जो पंचायती राज अधिनियम में हैं, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को कई अधिकार दिये जा रहे हैं।

अन्य विभागों के निम्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अधिकार

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों को पंचायती राज के अधीन करने का निर्णय लिया जा रहा है। इन संस्थाओं पर तकनीकी नियंत्रण चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग का रहेगा परन्तु प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद का होगा।
- जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के समस्त कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जा रहा है।
- ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित किए जा रहे गैर परम्परागत ऊर्जा गतिविधियों यथा स्ट्रीट लाईट्स, घरेलू बिजली आदि का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
- ग्राम वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के चयन का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।
- 'डी' श्रेणी के मछली पालन तालाबों का संधारण और आवंटन आदि का कार्य ग्राम

पंचायतों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया जा रहा है।

- समन्वित ग्रामीण विकास योजनाओं के अधीन जल ग्रहण क्षेत्र विकास के कार्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकता पंचायती राज संस्थाओं को दी जानी है।
- राशन की दुकान का आवंटन, वितरित की गई सामग्री का पूर्ण लेखा जोखा, नए राशन कार्ड बनाने का अनुमोदन, राशन की दुकान की समयावधि बढ़ाने और निरस्त करने का निर्णय ग्राम पंचायत में चर्चा कर किया जाएगा।
- अनु. जाति/अनु. जनजाति के छात्रावासों का पर्यवेक्षण पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना विचाराधीन है। इन छात्रावासों की भर्ती समिति और प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
- प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है।
- सिंचाई विभाग के अधीन 200 एकड़ तक के तालाबों का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं के अनुरोध पर उन्हें सौंपा जा रहा है।

प्रशासनिक नियंत्रण में जन–प्रतिनिधियों की भागीदारी

प्रायः स्थानीय स्तर के कर्मचारियों के बारे में जनप्रतिनिधियों की यह शिकायत रहती थी कि उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरपंच की अध्यक्षता में कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी के लिए एक समिति के गठन के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें निम्न सदस्य हैं :

- सम्बन्धित ग्राम का वार्ड पंच (महिला, यदि सरपंच महिला नहीं है) ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत
- सम्बन्धित ग्राम में निवास करने वाला वरिष्ठतम सेवा निवृत्त कर्मचारी (सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा मनोनीत)
- स्थानीय शाला का प्रधानाध्यापक

अब सरपंच अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कलेक्टर/सम्भागीय आयुक्त को लिख सकते हैं और सम्भागीय आयुक्त इस सिफारिश के आधार पर उनका स्थानान्तरण जिले से बाहर कर सकता है जिसकी अपील मंत्री के यहां न होकर सम्पूर्ण मंत्रीमण्डल के समक्ष ही हो सकती है। कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा लिया गया यह एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे अब जन–प्रतिनिधियों को उच्च अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा और वे स्वयं उनके खिलाफ कार्यवाही कराने में सक्षम होंगे।

भारत के ग्रामीण विकास प्रशासन के इतिहास में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, 1996 देश की ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए एक *मौन सामाजिक क्रांति* के प्रतीक के रूप में साबित हो रहे हैं, जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक क्रान्तिकारी और संवैधानिक कदम हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा का पंचायती राज को हस्तान्तरण

शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा, साक्षरता और सतत शिक्षा तथा इनसे सम्बन्धित अन्य समस्त परियोजनाएं यथा शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। आशा है कि आगामी चार वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से पूरी तरह से निरक्षरता को मिटाने में सक्षम होंगे। अब पंचायत क्षेत्र में चलाए जा रहे सभी साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन पंचायती राज संस्थाएं ही करेंगी।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का संचालन पूर्णतया पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है। राज्य में 1991 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र के 250 की आबादी से अधिक वाले तथा जनजाति क्षेत्र/मरुस्थलीय क्षेत्र के 150 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों में प्राथमिक शालाएं खोल दी गईं परन्तु फिर भी प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान राज्य की स्थापना के स्वर्ण जयन्ती वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दृष्टि से 16,000 प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने की घोषणा की गई जिनमें से 13,000 प्राथमिक शिक्षा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा खोलने का लक्ष्य रखा गया। इन प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का नाम *राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला* रखा गया है।

पहली मई 1999 को आयोजित ग्राम सभा की अनुशंसा पर प्रदेश की विद्यालय विहीन ढाणियों, मजरों व बस्तियों में जहां 200 तक की आबादी और 6–11 आयु वर्ग के 40 बच्चे उपलब्ध हों (रेगिस्तान, जनजातीय, मगरा, मेवात क्षेत्रों, झुंझनूं तथा राजसमन्द जिलों में 150 की आबादी और 25 बच्चे) तथा जहां एक किलोमीटर की दूरी पर कोई शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां लगभग 12,354 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोली गईं।

इन पाठशालाओं के स्थान का चयन भी ग्राम सभा में ही किया गया। साथ ही पाठशालाओं में 1,200 रुपये मासिक मानदेय पर शिक्षा सहयोगियों की नियुक्ति के अधिकार भी ग्राम पंचायत को प्रदान किए गए। इन पाठशालाओं में 5,30,379 बच्चों का नामांकन हुआ। समस्त पाठशालाओं को शिक्षण सामग्री, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, पोषाहार आदि उपलब्ध करवा दिए गए हैं। पूरे राजस्थान में इन

पाठशाला भवनों का निर्माण भी सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया गया है।

इसके साथ ही राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को निर्धारित सीमा में प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता से 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' (डी.पी.ई.पी.) राज्य के 19 जिलों में प्रारम्भ किया गया है। शेष 13 जिलों में लोक जुम्बिश परियोजना का संचालन किया जाएगा। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षाकर्मी परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत 6–11 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था, नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु अनेक कार्यक्रम जन–सहभागिता के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। डी.पी.ई.पी. द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था और इनका सतत् प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण तथा रख–रखाव, विद्यालयों में पेयजल और टायलेट की व्यवस्था करना, मुख्य लक्ष्य होगा। इस कार्यक्रम से विद्यालयों में लगभग बारह लाख बालक–बालिकाएं लाभान्वित होंगे।

जिला आयोजना समितियों का गठन

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 में जिला आयोजना समितियों के गठन का प्रावधान किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 350 से 352 में भी जिला आयोजना समिति के गठन, कर्त्तव्य तथा व्यक्तियों का विस्तार से प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में जिला आयोजना समितियों का गठन कर दिया गया है ताकि वे जिले की समन्वित योजना बनाने में अपना योगदान दे सकें। संबंधित जिला परिषदों के जिला प्रमुखों को जिला आयोजना समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रत्येक जिला आयोजना समिति में कुल 25 सदस्य होंगे।

जिला आयोजना समिति को सशक्त बनाने की दृष्टि से निम्न निर्णय लागू किए गए हैं:

- जिला आयोजना शाखा जिला परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजना अधिकारी के अधीन जिला आयोजना समिति के सचिवालय का कार्य करेगी।
- पंचायती राज विभाग, जिला आयोजना समिति का प्रशासनिक विभाग होगा।
- जिला आयोजना समिति के कार्य संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है।
- जिला आयोजना समिति के सुदृढ़ीकरण और सहयोग के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आयोजना समन्वय समिति का गठन भी किया गया है।

परम्परागत जल स्रोतों का सुधार

राज्य में लोगों को बार–बार पड़ने वाले अकालों की वजह से अथवा समय पर वर्षा नहीं होने के कारण पानी के अभाव का सामना करना पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत ग्रामीणों के 30 प्रतिशत जन सहयोग जमा कराने पर परम्परागत जल स्रोत की मरम्मत/जीर्णोद्धार की एक नई योजना लागू की गई है जिसमें स्थानीय स्तर पर जन सहयोग श्रम के रूप में, सामग्री के रूप में अथवा नकद के रूप में अपना सहयोग देकर शेष 70 प्रतिशत राशि सरकार से लेकर अपने गांव अथवा ढाणी के कुएं/बावड़ी/जोहड़ का जीर्णोद्धार करवा सकते हैं, ताकि पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े।

राजस्व विभाग के अधिकार पत्र द्वारा जन–जागृति

ग्रामीण स्तर पर राजस्व विभाग के बारे में आम शिकायत रहती है कि पटवारी नकल नहीं देता है, नकल के लिए चक्कर कटवाता है, और राजस्व–कार्य के बारे में ग्रामीणों को जानकारी नहीं रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में पहली बार राजस्व विभाग के कार्यों की जानकारी के बारे में एक नागरिक अधिकार–पत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति सभी ग्राम पंचायतों को भिजवा दी गई है। इस नागरिक अधिकार–पत्र के आधार पर अब जनता और जन प्रतिनिधियों को जानकारी हो सकेगी कि कौन–सी नकल और कौन–सा कार्य कितने दिन में हो जाना चाहिए, कौन–सा कार्य किस अधिकारी से करवाया जाना है?

चरागाह भूमि का प्रबंधन

चरागाह भूमि के प्रबंधन हेतु निम्न निर्देश जारी किए गए हैं:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु व्यापक अधिकार दिए गए हैं। ग्राम पंचायतें सशक्त हों, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायतों की निजी आय के व्यापक स्रोत विकसित किए जाएं।

चरागाह भूमि ग्राम पंचायतों की निजी आय के एक व्यापक स्रोत बन सकती है बशर्ते ग्राम पंचायतें इसका व्यवस्थित प्रबन्धन करें। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा–5 के अनुसार गोचर भूमि वह भूमि है जो ग्राम या ग्राम पंचायत के पशु चराने के काम में आती है, या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय भू–प्रबन्ध अभिलेख में गोचर भूमि के रूप में आरक्षित की गई हो।

चरागाह भूमि से ग्राम पंचायतों की आय को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 169, 170, 171 में विशेष उल्लेख किया गया है। चरागाह भूमि से निम्न प्रकार से आय अर्जित की जा सकती है:

- चरागाह भूमि पर उगे वृक्षों और अन्य प्राकृतिक उपज से आय। इन्हें पंचायत द्वारा निजी संविदा या सार्वजनिक नीलामी द्वारा पट्टे पर देकर आय अर्जित की जा सकती है
- सूखे क्षयशील और गिरे हुए पेड़ों का विक्रय
- चारागाहों के गोबर का निजी संविदा या सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय
- पशुओं की चराई से आय
- बंद क्षेत्र में घास की खुली नीलामी या निजी संविदा से आय

चरागाह का आवंटन: यदि किसी भी गांव के सार्वजनिक चरागाह किसी भी पंचायत के अधीन नहीं रखे गए हों तो वह पंचायत

कोई नया चरागाह लेने या स्थापित करने के लिए तहसीलदार को अपना प्रस्ताव भेजेगी। ऐसे प्रस्तावों की प्राप्ति पर तहसीलदार तुरन्त कार्यवाही करेगा और पंचायत से प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर अपने निर्णय के बारे में पंचायत को सूचित करेगा। यदि तीन माह के अन्दर चरागाह भूमि आवंटन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पंचायत समिति को लिखेगा और ग्राम पंचायत को चरागाह भूमि का आवंटन एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा। यदि किसी पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या अधिक है तो ग्राम पंचायत चरागाह के क्षेत्र में वृद्धि करा सकेगी। इस प्रयोजन हेतु भी ग्राम पंचायत तहसीलदार को क्षेत्र बढ़ाने हेतु आवेदन करेगी।

जहां कोई चराई भूमि किसी भी व्यक्ति द्वारा गैर–कानूनी तरीके से अधियुक्त की गई हो या उसका उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया हो, वहां पंचायत नियम 165 के अनुसार तैयार किए गए सर्वेक्षण अभिलेख के आधार पर तत्समय लागू कानूनों के अधीन आवेदन संबंधित तहसीलदार को भेजेगी।

पारदर्शिता

आम जनता को यह शिकायत रहती थी कि कितनी धनराशि पंचायत को मिली है और उसमें से कितनी खर्च की गई है इसकी उन्हें जानकारी नहीं मिलती। पारदर्शिता की दृष्टि से 1985 से 1999 के दौरान प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कौन–कौन से विकास कार्य कराए गए हैं, किस योजना में कितनी राशि के कार्य कराए गए हैं, कितना खर्च हुआ है, की सम्पूर्ण सूचना के लिए प्रत्येक कार्य स्थल पर एक पीला बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें लाल रंग से सम्पूर्ण सूचना अंकित करवाई गई है कि किस योजना के तहत कार्य कराया गया था, कितनी राशि स्वीकृत थी और कितनी खर्च की गई। आने वाले समय में कोई भी सरपंच अथवा जन–प्रतिनिधि केवल बोर्ड को देखकर यह ज्ञात कर सकता है कि हमारे यहां कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। सरकारी कार्य में पारदर्शिता के लिए ऐसा किया गया है।

सूचना का अधिकार

राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है जहां 'सूचना का अधिकार' कानूनी रूप से जनता को दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 321 से 328 तक में विभिन्न अभिलेखों के निरीक्षण और प्रतिलिपि प्राप्त करने के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जो कि पंचायती राज संस्थाओं के रजिस्टर, पत्रावलियों अथवा अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहे, एक लिखित प्रार्थना–पत्र द्वारा आवेदन कर सकता है। प्रत्येक पंचायत और पंचायत समिति का यह दायित्व भी निर्धारित किया गया है कि सूचना पट्ट पर निर्माण कार्यों की स्वीकृति, खर्चों के अनुमान और वास्तविक व्यय के संबंध में आकलन करे, ताकि लोगों को विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचना रहे।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत/पंचायत समिति द्वारा मुख्यालय में किसी भी सहज दृश्य स्थान पर गत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत और निष्पादित निर्माण और विकास कार्यों के ब्यौरे प्रदर्शित किए जाएं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने विस्तृत निर्देश प्रसारित कर जनता को यह जानने का अधिकार दे दिया है।

मुख्य मंत्री रोजगार योजना

यह अनुभव किया गया है कि गांव में कई व्यक्ति बेरोजगार होते हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख दुकानें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आशा है कि इस योजना के अन्तर्गत पंचायत की आबादी भूमि में चयनित गरीब परिवारों को रोजगार देने के लिए दुकानें बनाने के लिए भूखण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उनका आवंटन प्राथमिकता के आधार पर नीलामी द्वारा किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के कल्याण के लिए निम्न प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

मेडिकेयर रिलीफ कार्ड : गांव में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों में से जब कभी कोई बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है तो वह व्यक्ति इलाज कराने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों (बीपीएल) को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड दिए गए हैं। इन कार्डों को लेकर गरीब व्यक्ति नजदीकी अस्पताल में जाकर अपना इलाज निःशुल्क करवा सकता है।

मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष : चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई असाध्य बीमारी किसी गरीब व्यक्ति को हो जाती है जैसे कैंसर, टी.बी. अथवा कोई और बीमारी जिसमें खर्चे की अधिक सम्भावना रहती है तो बीपीएल में चयनित परिवारों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष का गठन किया गया है, जिसके तहत सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर और जिला कलेक्टर की सिफारिश के आधार पर मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से उस व्यक्ति का इलाज कराया जा सकता है।

विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना

स्थानीय विकास की आवश्यकता को देखते हुए *विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना* लागू की गई है, जिसके तहत विधायक कोटे के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्थानीय विधायक से सम्पर्क कर स्थानीय जनप्रतिनिधि पंचायत में आवश्यकता वाले कार्य स्वीकृत करवा सकते हैं।

क्रियान्वित की जा रही अन्य योजनाएं

ग्राम पंचायतों को सशक्त करने की दृष्टि से व्यापक अधिकार और दायित्वों का हस्तान्तरण किया गया है। पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ तथा

जन सामान्य लाभ की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, हैण्ड पम्पों का रख–रखाव, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण आवास निर्माण तथा भूखण्ड आवंटन, सामाजिक तथा फार्म वानिकी, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों तथा उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, बायोगैस की प्रोन्नति, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बालिका समृद्धि योजना, पचास एकड़ तक के सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियन्त्रण, रख–रखाव और मत्स्य पालन आदि गतिविधियों का संचालन पंचायतों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

वार्ड ग्राम सभाओं का प्रावधान

राजस्थान पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बना कर उनके क्षेत्र में उन्हें खनिज, जल और वन आदि विषयों पर विस्तृत अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। ग्राम सभाओं को विस्तृत शक्तियां प्रदत्त की जा रही हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक ग्राम सभा का प्रावधान किया जा रहा है। ग्राम सभा का किस प्रकार संचालन हो इसके लिए एक मेन्युअल बनाया जा रहा है। उसी के अनुरूप गांव में विकास कार्य के निर्णय लिए जा सकेंगे।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रजिस्टर रखे जाएंगे जिसमें कार्यवाही रजिस्टर, पट्टों का रजिस्टर, संसाधनों का रजिस्टर, आय–व्यय रजिस्टर इत्यादि महत्वपूर्ण होंगे। विकास अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि वे स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा ग्राम सभा की बैठकों को विचार विमर्श कर, आयोजित करें। ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही बैठक के अन्त में पढ़कर सुनाई जाए तथा अनुमोदन लिया जाए।

इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के सरपंचों, अन्य प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों द्वारा राजकीय राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जा रही है। इसी प्रकार राशि के दुरुपयोग के लिए जनप्रतिनिधि के साथ–साथ सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जा रहा है।

अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात भारत के ग्रामीण विकास प्रशासन के इतिहास में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, 1996 देश की ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए एक *मौन सामाजिक क्रांति* के प्रतीक के रूप में साबित हो रहे हैं, जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक क्रान्तिकारी और संवैधानिक कदम हैं। ये दोनों संशोधन वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने की दिशा में उठाए गए संवैधानिक कदम हैं, जिनकी नितान्त आवश्यकता थी। मूलतः इन संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से विकास प्रशासन की प्रक्रिया में ग्रामीण जनता की सहभागिता, हर स्तर पर सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। नौकरशाही की तुलना में जन–मानस को अधिक महत्व दिया गया है जिससे कि पंचायती राज व्यवस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सके। ❑

लघुकथा

अन्तर

महेन्द्र सिंह शेखावत "उत्साही"*

रामू काका एक महीने की छुट्टी आया हुआ था। कालू काका तो गांव में ही रहता है, खेती का काम करता है और अपने बड़े भाई दीनदयाल के काम में हाथ बंटाता है।

सुबह जब चाय बनी तो दीन दयाल के बड़े लड़के ने अपने काका को आवाज लगाई, 'रामू काकाजी चाय बन गई है, चाय पी लो।'

चाय का नाम सुनकर रामू काका पलंग से उठ कर रसोई की ओर बढ़ गए।

थोड़ी देर बाद लड़के ने फिर आवाज लगाई 'अरे कालू काका तू भी चाय पी ले।'

यह सुनकर कालू काका दो पल बैठा–बैठा सोचने लगा, मैं बड़ा हूं रामू से, फिर भी मुझे तो 'अरे कालू काका' और उसे 'रामू काकाजी' सिर्फ इसलिए न कि वह नौकरी करता है और उसके पास पैसा है।

– अरे वाह रे पैसा, सोचते–सोचते कालू काका व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पलंग से उठा और धीरे–धीरे रसोई की ओर बढ़ गया।

पुराने मतदाता और नया पंचायती राज

निर्वाचन की बाड़ा संस्कृति

डा. दौलत राज थानवी

लेखक के अनुसार राजस्थान में 1959 से पंचायती राज के चुनावों से बाड़ा संस्कृति किसी न किसी रूप से प्रचलित है। इसमें सरपंच या वार्ड पंच के चुनाव से पहले मतदाताओं को एक स्थान पर रखा जाता था। उन्हें खाने–पीने की सुविधा प्रदान की जाती थी और मतदाता उन के पक्ष में मतदान करते थे। 1965 और उसके बाद के चुनावों में मतदाताओं को अलग तो नहीं रखा जाता लेकिन खाने–पीने की सुविधा आज तक प्रदान की जाती है। अब तो मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी प्रदान की जाने लगी है। इसमें प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों में प्रतियोगिता रहती है और जो ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर पाता है, वही बाजी मार लेता है।

भारतीय गणतंत्र में 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला तो ग्रामीण लोगों ने इसे ही पंचायती राज समझा। उन दिनों ग्राम में नेता वो ही बनता था जो अधिक लोगों के हाथों को अपने हक में खड़ा करा सके। दो अक्तूबर 1959 को नया पंचायती राज भारत में लागू हुआ और 1961 में ग्रामीण लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया और उनके मतदान से पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच चुने गये। उस वक्त बाड़ा चुनाव संस्कृति का जन्म हुआ।

बाड़ा चुनाव संस्कृति ग्रामीण राजस्थान में लोकप्रिय है। इस संस्कृति में मतदाताओं को एक स्थान पर एकत्रित करके रखा जाता है। उन्हें खाने–पीने की सहूलियत प्राप्त होती है और वे इस सहूलियत देने वाले के पक्ष में मतदान करते हैं। 1961 में जागीरी कुलीन सफल हुए। ज्यादातर निर्विरोध चुने गए। निर्विरोधी सरपंच के इस दौर में कुछ परिवर्तन आया। 1965 के चुनावों में मैं स्वयं राजस्थान के पाली जिले की रोहित समिति के एक ग्राम मोहरकला में चुनाव कराने गया तो वहां देखा कि जागीरदारी कुलीनता को चुनौती दी गई। बाड़ा संस्कृति के अन्तर्गत मतदाताओं को बंद तो नहीं किया गया परन्तु उनको अपने शिविर में खाना–पीना देकर पक्ष में रखा जाने लगा। परिणाम यही होता कि जो मादक पदार्थों और खाने का प्रबन्ध 'घीरत' (शुद्ध देशी घी) से करता वो बाजी मार जाता। जागीरी कुलीन सफल हो गया। आगे के समय में यह तय हो गया कि जो अधिक कुलीन, अधिक खेती की जमीन और सुविधा रखते हैं और किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव रखते हैं वे सफल होते रहे। मतदाता यही सोचता रहा कि मतदान मांगने वालों को खाने–पीने का प्रबंध तो करना ही होगा। 1965 के बाद 1978 तक पंचायत चुनाव ही नहीं हो सके।

1978 में होने वाले चुनावों में ग्रामीण मतदाता सरपंच के क्रियाकलापों पर विचार करने लगा और 1978 के पंचायती चुनावों में वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर यह भी कहने लगा कि पुराना सरपंच चाहे किसी शक्तिशाली जाति का बड़ा किसान हो या प्रवासी राजस्थानी सेठ हो, मतदान तो जमीन से जुड़े व्यक्ति को देंगे। मैंने भी राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू समिति के लालासरी ग्राम में चुनावों का अध्ययन किया तो यही ज्ञात हुआ कि 1961 से 1978 तक जो सरपंच काम करता था उसे मतदाताओं ने नकार दिया और अल्पसंख्यक जाति के कम सम्पन्न व्यक्ति को सरपंच चुना। व्यक्ति तो बदला परन्तु उसे भी एक दिन का खाना–पीना तो व्यवस्थित करना ही पड़ा।

1982 में जब पंचायत चुनाव हुए तो उसमें भी मतदाता स्थायी सरपंच को हटाने के पक्ष में रहे। राजस्थान के जालौर जिले के खेतड़ा ग्राम में चुनाव कराने गया तो वहां पर पूर्व सरपंच एक बड़ी जाति का सदस्य था। अच्छा

और नेक इंसान था परन्तु प्रवासी राजस्थानी सेठ को सहारा बना कर उसी जाति का एक युवक उप–सरपंच की दौड़ में सामने आया। खाना–पीना और रुपयों का बंटवारा प्रारम्भ हुआ जिससे गांव में तनाव रहा।

1987–88 के चुनावों में ग्रामीण मतदाताओं ने स्थायित्व में परिवर्तन लाने का प्रयास तो किया परन्तु बाड़ा संस्कृति से विमुख नहीं हो सके। राज्य के जालौर जिले में 1984 में लोक सभा सीट पर एक सांसद पद आकांक्षी ने में

परिवर्तन तो आरक्षण नीति से हुआ लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला या पुरुष को आरक्षित स्थान पर भी क्षेत्र के धनी मानी लोगों ने अपना समर्पित उम्मीदवार बनाकर ऋण के रूप में या अनुदान की आड़ में कुछ धन देकर बाड़ा संस्कृति को जीवित रखा।

सभी सरपंचों को बाड़ा संस्कृति के लघुरूप को जीवित रखने की सुविधा देकर अपने पक्ष में मतदाताओं को किया। लोक सभा चुनाव गांव के मतदाताओं को अधिक समूहीकृत नहीं कर पाता है परन्तु 1984 से इस जिले में मतदान का प्रतिशत 60 के अंक तक पहुंचता रहा जबकि पंचायत स्तर के चुनावों में यह 60 से 65 तक रहता है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। 1993–94 में 73वें संवैधानिक संशोधन से नव पंचायती राज आने से 1995 में पंचायत चुनाव हुए तो यही सोचा गया कि अब परिवर्तन होगा।

परिवर्तन तो आरक्षण नीति से हुआ लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला या पुरुष को आरक्षित स्थान पर भी क्षेत्र के धनी मानी लोगों ने अपना समर्पित उम्मीदवार बना कर ऋण के रूप में या अनुदान की आड़ में कुछ धन देकर बाड़ा संस्कृति को जीवित रखा। ऊपरी दिखावे में परिवर्तन आया। महिलाएं, अनुसूचित जाति और जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का नेतृत्व उभरा और परम्परागत बहुसंख्यक तथा कृषक वर्ग का बोलबाला खुल्ले में नहीं रहा।

सन् 2000 के सहस्राब्दी वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को 1995 के मुकाबले अधिक अधिकार मिले हुए हैं। मतदाताओं के व्यवहार का अध्ययन शोध सर्वेक्षण विधि से करने का अवसर मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रो. पी.सी. माथुर के नेतृत्व में नई दिल्ली स्थित सामाजिक विज्ञान संस्थान के वित्तीय सहयोग और डा. रमेश चन्द्र नायक के समन्वय से मैंने नागौर जिले के ग्रामीण मतदाताओं के व्यवहार का 200 मतदाताओं के रेन्डम सेम्पल से अध्ययन करने का प्रयास किया।

नागौर जिले के ग्रामीण मतदाताओं ने दो चरणों में मतदान किया। पहले चरण में पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 29 जनवरी 2000 को किया गया और दूसरे चरण में 31 जनवरी को सरपंच और वार्ड पंचों का चुनाव करना था। गांवों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आधार पर पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों में टक्कर थी। दोनों ही दलों के उम्मीदवार अन्य पिछड़ी जाति के थे। दोनों ही धनी मानी और शिक्षित युवा थे। दोनों ने बड़े–बड़े टेन्ट लगाये थे और वहां चाय तथा भोजन आदि की व्यवस्था की थी। मतदाताओं का कहना था कि मिठाई की किस्म देखकर टेन्टों में वे जाते थे इसलिए मिठाई बनवाने की भी प्रतियोगिता थी। मद्यपान व मादक द्रव्यों का भी प्रबंध था, ऐसा मतदाता कह रहे थे। नतीजा साफ था एक स्थानीय सुधार जाति का भा.ज.पा. उम्मीदवार था जिसने वो सभी किया जो जाट जाति के उम्मीदवार ने किया। प्रवासी सुनार लोग गांव में आए। मोटरगाड़ी, जीप, ट्रेक्टर और पशु बल की गाड़ियां दोनों ही उम्मीदवारों ने काम में ली। मतदाता कहते जो गाड़ी लेकर आएगा उसी के साथ चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम उस कहावत में विश्वास करते हैं जिसकी खावे बाजरी उसकी बजावे हाजरी। सुनार जाति का युवक विजयी हो गया। उसकी विजय से इतना तो माना ही जा सकता है कि ग्राम का रहने वाला यदि अन्यों के मुकाबले ज्यादा बाड़ा संस्कृति को प्रदर्शित करता है तो विजयी होता है।

30 जनवरी 2000 को सरपंच पद के लिए नामांकन भरे गए। यह पद अनुसूचित महिला जाति के लिए आरक्षित था। पांच महिलाओं

लोग कहते हैं कि हम उस कहावत में विश्वास करते हैं जिसकी खावे बाजरी उसकी बजावे हाजरी।

के पर्चों को उनके पतियों ने प्रस्तुत किया और कहने लगे जिनके पास बाड़ा संस्कृति के पैसे होंगे वो जीत सकेगा। चुनावों में कम से कम एक दिन के लिए एक लाख रुपयों की तो जरूरत रहती है। खाना खिलाना, शराब पिलाना व गाड़ी का प्रबंध करना अनिवार्य है। सेठ साहूकारों के प्रवासी वर्ग और सुनार जाति का समर्थन मिलने से सोनी मेघवाल नामक महिला विजयी हुई। इस महिला के प्रचार में इसके पति ने सुनारों व सेठों का समर्थन प्राप्त करके सवर्ण जाति के मतदाताओं के साथ अपनी जाति को भी अपने पक्ष में किया।

इस तरह सन् 2000 में होने वाले चुनावों में पंचायती राज संस्थाओं ने नवीन शक्तियों के साथ ग्रामीण मतदाताओं को अपना नेतृत्व चुनने का अवसर दिया। यह आशा की गई कि अब वे 1961 की अनुकृति नहीं करेंगे। राजनीतिक दृष्टि से चुनावी राजनीति में मतदाताओं का व्यवहार परिपक्व होगा। वे अपने मताधिकार का जागरूकता से प्रयोग करेंगे और पंचायती राज संस्थाओं को जो नवीन शक्तियां मिली हैं उससे उपचारित होकर उत्साह दिखाएंगे। मतदाताओं ने बाड़ा संस्कृति से उत्साह तो दिखाया परन्तु ग्रामीण पंचायतों की शक्ति से वे बेखबर रहे। उन्होंने नेतृत्व चयन में बाड़ा संस्कृति को अपनाया और इसके साथ साथ स्थानीयता, व्यक्ति की उपयोगिता पर भी बल दिया। ऐसा देखकर ही यह कहा गया कि नव पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचन विधि को मतदाताओं ने पुरातन रीति–नीति से ही अपनाया जो पुरातन परम्पराओं के समक्ष नव चुनौतियों का निष्फल आयाम ही कहा जा सकता है। ❑

भारत में ग्रामीण विकासः कुछ चुनौतियां

निरंजन कुमार सिंह*

आजादी के 52 वर्ष में भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक गम्भीर समस्याएं विद्यमान हैं। ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने को मजबूर है। हमारा किसान आज भी कृषि की पारंपरिक तकनीकों को अपनाए हुए है जिससे उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। आबादी बढ़ने से जोतों का बिखंडन हो रहा है। गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा की पर्याप्त सुबिधाएं सुलभ नहीं है। इन समस्याओं का जिक्र करते हुए लेखक ने इस लेख में गांवों के उत्थान के कुछ उपाय भी सुझाए हैं।

* लेखक पटना विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर और यू.जी.सी. (नेट) अर्हता प्राप्त हैं।

भारतीय समाज का मूल चरित्र वस्तुतः ग्रामीण है। आज भी भारतीय जनसंख्या की लगभग 75 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। गांवों की प्रगति और विकास पर ही बहुत हद तक भारत का भविष्य निर्भर है। लेकिन एक अत्यंत कटु यथार्थ यह है कि भारतीय गांव आज भी बहुत हद तक पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास के सामने आज कई चुनौतियां हैं जिन्हें हम कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आदि के संदर्भ में देख सकते हैं।

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपना जीविकोपार्जन प्राप्त करती है। यद्यपि स्वतंत्रता–प्राप्ति के समय जो कृषि की स्थिति थी, उसमें आज काफी प्रगति हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन, जो वर्ष 1949–50 में केवल 5.49 करोड़ टन था, वह 1998–99 में बढ़कर 20 करोड़ टन को पार कर गया। साथ ही कृषि–क्षेत्र और सिंचाई सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। फिर भी जो चिंता का प्रमुख विषय यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का एक हिस्सा ऐसा है जिसे दोनों समय पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हो पाता। परिवार के आकार के बढ़ने और पुनः उसके टूट के कारण जातों का विखंडन बढ़ रहा है। हरित क्रांति के लाभ कुछ ही क्षेत्रों और वर्गों तक सिमट कर रह गए हैं। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं हो पा रहा है और ग्रामीण किसान अभी भी बहुत हद तक कृषि की पारंपरिक तकनीकों पर ही निर्भर है। आधी से अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो 1973–74 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–बसर कर रही थी, उसमें कमी तो आई है, परंतु फिर भी लगभग एक तिहाई जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को अभिशप्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का दूसरा जो सबसे महत्वूपर्ण सूचक है, वह है स्वास्थ्य और पोषण का स्तर। यह सही है कि स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी प्रसार हुआ है। 1951 में जहां देश में मात्र 725 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, 1996 में उनकी संख्या बढ़कर 21,853 हो गई। इसी तरह 1951 में देश में चिकित्सकों की कुल संख्या मात्र 61,840 थी जो 1992 में बढ़कर 4,10,875 हो गई। लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण निरक्षरता, पढ़े–लिखे वर्गों और खासकर चिकित्सकों का गांव के प्रति विलगाव (एलाइनेशन), ग्रामीण जनता में जागरूकता का अभाव, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर, अंधविश्वास, संसाधनों की कमी आदि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम वैसा मानदंड स्थापित करने से बहुत पीछे हैं जो विकसित देशों ने स्थापित किए हैं?

शिक्षा मानवीय विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण संसाधन है। आज जबकि स्वतंत्रता–प्राप्ति के 52 वर्ष हो गए हैं, फिर भी गांवों की आधी से अधिक आबादी निरक्षर है। 1951 में

सारणी–1

भारत तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों में स्वास्थ्य और पोषण की तुलनात्मक स्थिति

क्र. सं.		यूनाइटेड स्टेट्स	यू.के.	फ्रांस	जापान	चीन	भारत	पाकिस्तान	श्रीलंका	बांग्लादेश
1.	सुरक्षित पेयजल तक पहुंच वाली कुल जनसंख्या (प्रतिशत में) 1990–95									
	कुल	उ. न.	उ.न.	उ.न.	97	67	81	79	53	97
	नगरीय	उ. न.	उ.न.	उ.न.	100	97	85	96	87	99
	ग्रामीण	उ. न.	उ.न.	उ.न.	85	56	79	71	49	97
2.	स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुच वाली कुल जनसंख्या (प्रतिशत में) 1990–95									
	कुल	उ. न.	उ.न.	उ.न.	उ.न	92	85	55	उ.न.	45
	नगरीय	उ. न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	100	100	99	उ.न.	उ.न.
	ग्रामीण	उ. न.	उ.न.	उ.न.	उ.न	89	80	35	उ.न.	उ.न.
3.	पुरी तरह प्रतिरक्षित (प्रतिशत में) 1990–94									
	(क) टी.बी. के विरुद्ध 1 वर्ष तक का शिशु	उ.न.	उ.न.	78	93	94	96	78	86	95
	(ख) डी.पी.टी के विरुद्ध 1 वर्ष तक का शिशु	88	91	89	87	93	91	66	88	94
	(ग) पोलियों के विरुद्ध 1 वर्ष तक का शिशु	79	93	92	94	94	91	66	88	94
	(घ) खसरा विरुद्ध 1 वर्ष तक का शिशु	84	92	76	69	89	86	65	84	95
	(ङ) टेटनस के विरुद्ध 1 वर्ष तक का शिशु	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	3	81	30	79	81
4.	निम्न जन्म–भार वाले शिशुओं का प्रतिशत (1990)	7	7	5	6	9	33	25	25	50
5.	कुल उपलब्ध कैलोरी (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कुल आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में) 1988–90	138	130	143	125	112	101	99	101	88

तो स्थिति बहुत ही खराब थी जब कुल जनसंख्या का मात्र 18.33 प्रतिशत भाग ही साक्षर था, इसमें भी स्त्रियों की स्थिति (8.86 प्रतिशत) काफी बदतर थी। 1991 में कुल जनसंख्या में 52.21 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हो गई है। साक्षरों में 64.13 प्रतिशत पुरूष और 39.28 प्रतिशत महिलाएं थीं। कुछ राज्य जैसे केरल में साक्षरता में काफी प्रगति हुई है। यहां कुल साक्षरता 89.81 प्रतिशत है। अन्य बड़े राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में साक्षरता की दर 60 प्रतिशत से अधिक है। परंतु "बीमारू" कहे जाने वाले चार बड़े राज्यों बिहार (38.48 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (44.20 प्रतिशत), राजस्थान (38.55 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (41.60 प्रतिशत) की स्थिति चिंताजनक है। अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर और गैर–अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर में भी काफी अंतर बना हुआ है।

सारणी–2

साक्षरता की दर (1991)

		व्यक्ति	पुरूष	स्त्री
कुल	कुल	54.9	56.4	49.0
	ग्रामीण	44.69	57.87	30.62
	शहरी	73.08	81.09	64.05
अनुसूचित जातियों में साक्षरता की दर	कुल	37.41	49.69	23.8
	ग्रामीण	33.3	45.9	19.5
	शहरी	55.1	66.6	42.3
गैर–अनुसूचित जातियों में साक्षरता की दर	कुल	57.7	69.5	44.8
	ग्रामीण	49.9	63.4	35.4
	शहरी	75.9	83.4	67.5

ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव

ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक व्यापक कार्य–योजना बनाने की जरूरत है। इस कार्य–योजना के तहत तीन तरह की रणनीति अपनायी जानी चाहिए। पहली रणनीति यह होनी चाहिए कि ग्रामीण पिछड़ेपन के वास्तविक कारणों को ढूंढा जाए। इसके लिए ग्रामीण समाज के व्यापक अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

दूसरा, ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम बनाए जाए। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो। ऐसा दो कारणों से जरूरी है :

- भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ग्रामीण विकास से संबंधित सभी कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में एक ही प्रतिरूप (पैटर्न) पर लागू नहीं किए जा सकते और
- जबतक विकास कार्य में आम जनता का सहयोग नहीं प्राप्त होगा तब तक विकास का कोई भी कार्य पूर्णतया सफल हो ही नहीं सकता।

अंततः ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो भी कार्यक्रम या नीति बनाई जाए, उसे ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण रवैये को हतोत्साहित किया जाए और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों/संस्थाओं/अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ❑

हां! शायद यही वज़ह थी कि ...

रामशंकर चंचल

अच्छा लगता
हैंडपम्प पर मंगली को
हाथ–मुंह धोते देख
बालों को संवारते
तो कभी जिस्म के खुले
हिस्से को
वस्त्र से ढकते देख

बहुत अच्छा लगता है
मंगली को
किसी मंत्री/अधिकारी से
बातें करते देख
कुछ हिन्दी/कुछ भीली में
सरपट बोलते देख
कभी हाथों में गांव की
समस्याएं थामे
तो कभी कोई पत्रिका
समाचार लिए

मंगली
आठवीं उत्तीर्ण
इस गांव की बहू थी
आज वह सरपंच है

पता नहीं क्या था
जादू
मंगली थी सबकी
सब थे मंगली के
कहते हैं उसने
दुआएं बटोरी
बाकी सब बांट दिया

शायद
हां! शायद यही वज़ह थी कि
देखते–देखते
गांव था/चमन
स्कूल/दवाखाना/पंचायत
सड़कें...../सब कुछ

दौड़ रही थीं
गाड़ियां
मंत्री/अधिकारियों की
मंगली के जादू को
अन्य गांव
समेट ले जाने के लिए

सन् 2000 – 2001 के बजट में

ग्रामीण विकास को नई दिशा

नवीन पंत

वर्तमान बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और उसे गति प्रदान करता है। यह समाज के सबसे गरीब तबके को खाद्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। निर्धन वर्ग के लोगों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए बढ़ावा देता है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख मकान बनाने की व्यवस्था है। इसी के साथ इसमें कालान्तर में सर्वव्यापी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था शुरू करने, सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, गांवों में सड़कें बनाने और स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करने की व्यवस्था है। बजट में भूमि के सर्वोत्तम उपयोग के उपाय सुझाने, कृषि विकास, वन सम्पदा और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक आयोग बनाने की भी व्यवस्था है।

बजट में इस वर्ष 60 हजार बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है

आजादी के 52 वर्ष बीत जाने और आठ पंचवर्षीय योजनाओं और कई वार्षिक योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद भी योजनाबद्ध विकास के लाभ अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंचे हैं। चालीस प्रतिशत गांवों में अच्छी सड़कें नहीं हैं, एक लाख अस्सी हजार गांवों में एक किलोमीटर की दूरी के भीतर प्रारम्भिक स्कूल नहीं है और चार लाख पचास हजार गांवों में शुद्ध पेय जल नहीं है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ चालीस लाख मकानों की कमी है। गरीब वर्गों के लोग ऐसे मकानों में रहते हैं जो उन्हें लू, बारिश और भयानक सर्दी से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते। सभी गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। जहां हैं वहां भी डाक्टरों और दवाओं का अभाव रहता है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिंहा ने वित्त वर्ष 2000–2001 के बजट में न केवल इस समस्याओं की पहचान की है बल्कि इन्हें हल करने की दिशा में ठोस उपाय किए हैं। उनका विश्वास है कि गरीबी को समाप्त करने, आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने, सभी नागरिकों को दो वक्त की रोटी और देश में उद्योगों और सेवाओं के लिए लाभप्रद बाजार उपलब्ध कराने के लिए कृषि के विकास पर सबसे अधिक ध्यान देना जरूरी है। वित्त मंत्री ने इस दिशा में पिछले वर्ष भी कुछ उपाय किए थे। वर्तमान बजट में न केवल उन उपायों को आगे बढ़ाया और मजबूत किया गया है बल्कि कुछ नये उपाय सुझाए गए हैं।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और त्वरित विकास के लिए *प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना* शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने इस योजना के लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस राशि में से 2,500 करोड़ रुपये गांवों में सड़क बनाने और उन्हें आपस मे जोड़ने पर खर्च किए जाएंगे। शेष राशि ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय इस विषय पर दिशा–निर्देश जारी करेंगे और कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं पर नजर रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पुरानी योजना – न्यूनतम बुनियादी सेवा योजना – इस योजना में मिला दी जाएगी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध धन राशि 13,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

देश भर से निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वित्त मंत्री ने *सर्वशिक्षा अभियान* शुरू करने की घोषणा की है। इसके अन्तर्गत अगले तीन वर्षों के दौरान सभी बच्चे प्रारम्भिक पाठशालाओं में भर्ती कर लिए जाएंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के शेष जिले भी जिला प्रारंम्भिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाएंगे। सन् 2005 तक साक्षरता की दर 75 प्रतिशत तक लाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए योजना खर्च में वित्त वर्ष 2000–2001 के दौरान 798 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

शुद्ध पेय जल के अभाव में गांवों के निवासी अनेक तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान सभी गांवों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना चाहती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेय जल आपूर्ति का नया विभाग बनाया गया है। अगले वर्ष 60 हजार बस्तियों और 30 हजार स्कूलों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने पेय जल व्यवस्था के लिए निर्धारित राशि 1,807 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,100 करोड़ रुपये कर दी है।

सरकार की कार्य–सूची में सभी के लिए

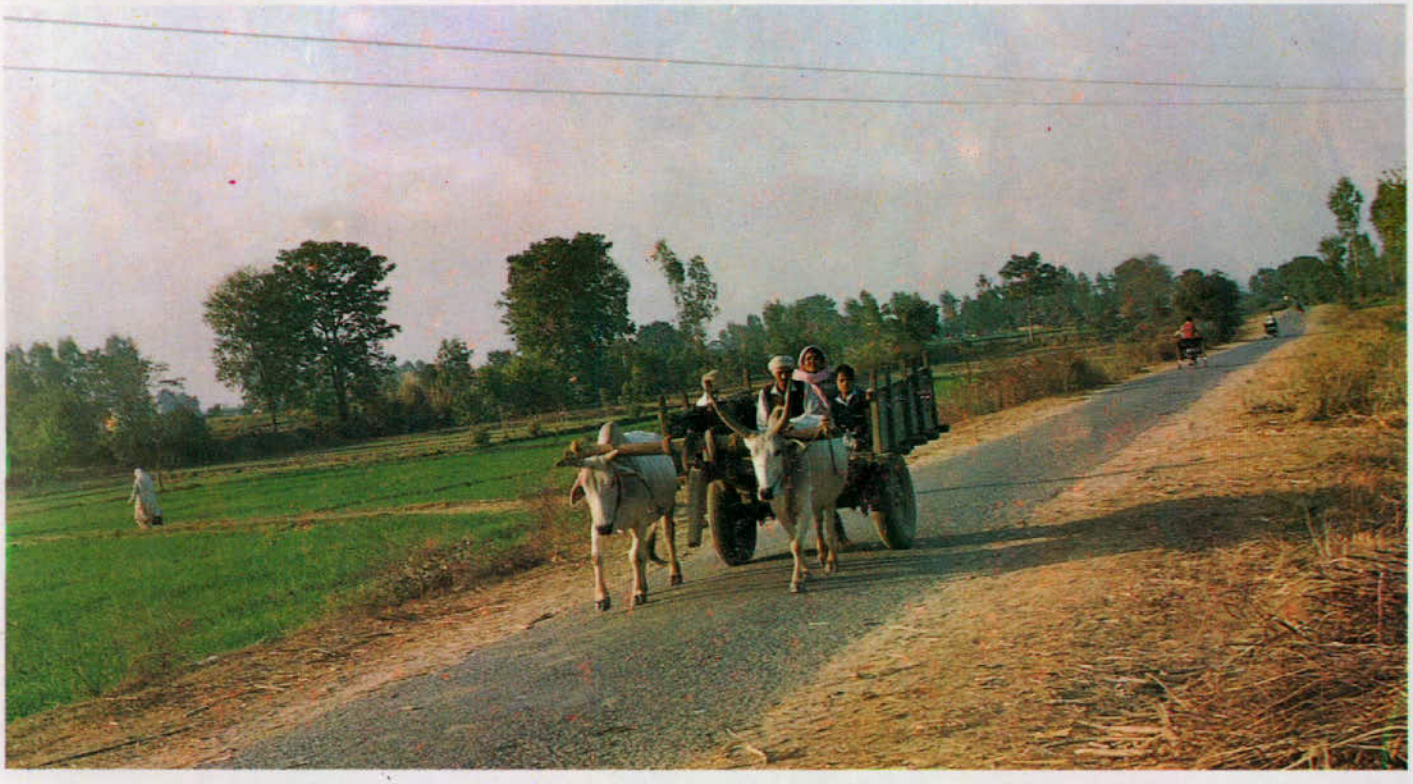

बजट में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान गांवों में सड़कें बनाने के लिए किया गया है

आवास या मकान उपलब्ध कराने को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सरकार ने बजट में आवास–निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवास–क्षेत्र को अनेक रियायतें देने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख मकानों के निर्माण की घोषणा की है। इनमें से 12 लाख मकान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बनाए जाएंगे। इन मकानों के निर्माण के लिए बजट में 1,501 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट में 32,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण और सब्सिडी देने की भी व्यवस्था है। इस वर्ग के लोगों के लिए एक लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 92 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य बैकों और आवास वित्त कम्पनियों को 1.5 लाख मकान बनाने के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास–निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने हडको यानी ग्रामीण और शहरी विकास निगम को नौवीं योजना के अन्तर्गत इक्विटी विस्तार के लिए 350 करोड़ रुपये प्रदान करने की व्यवस्था की है। इस मद में से 200 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं और 100 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2000–2001 में दिए जाएंगे। इक्विटी में वृद्धि के बाद हडको अपने साधनों में काफी वृद्धि कर सकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नौ लाख मकान बनाने हेतु वित्त व्यवस्था कर सकेगा। सहकारी समितियां और स्वैच्छिक संगठन 1.5 लाख मकानों के निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे।

पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों को अतिरिक्त धन के प्रवाह के लिए अनेक उपाय किए थे। 1999–2000 वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 41,800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। वित्त वर्ष 2000–2001 के बजट में इसे बढ़ाकर 51,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

नाबार्ड के प्रबंध में संचालित ग्रामीण आधार–सुविधा विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आधार विकसित करने के लिए वित्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने इस निधि के लिए बैंक क्षेत्र से 3,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। इस वर्ष इस निधि में राशि 4,500 करोड़ रुपये कर दी गई है और ब्याज की दर में आधे प्रतिशत की कमी की गई है। इस निधि से ग्राम पंचायतें, स्व–सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आधार संबंधी परियोजनाओं के लिए ऋण ले सकते हैं।

अधिकांश देशों में गरीबी समाप्त करने में छोटे ऋणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले बजट में 50,000 स्व–सहायता समूहों को नाबार्ड और सिडबी ने अपने उद्यम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की थी। वित्त मंत्री ने इस वर्ष एक लाख समूहों को सहायता देने की व्यवस्था की है। इस कार्य को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये की एक विशेष निधि बनाई जा रही है। इस निधि से समाज के दुर्बल वर्गों को प्रारंभिक सहायता, प्रशिक्षण और अन्य किस्म की सहायता प्रदान की जाएगी।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए जनश्री बीमा योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए बीमा कराने वाले व्यक्ति को केवल 10 रुपये महीना प्रीमियम देना होगा। बीमा कराने वाले व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु पर परिवार को 20,000 रुपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर या स्थायी विकलांगता होने पर 50,000 रुपये और आंशिक विकलांगता होने पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे।

सहकारी संस्थाओं को सहायता देने के लिए नाबार्ड में एक विशेष निधि स्थापित की जा रही है। इसका ब्यौरा सरकार द्वारा पहले नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इस बीच रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि कुशल प्रबंध में चलने वाली सहकारी संस्थाओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दें।

वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष किसानों को सरलता से धन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और पास–बुक योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत 50 लाख क्रेडिट कार्ड और पास बुकें जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजना है।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक व्यवस्था को कुशल और लाभप्रद बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने का फैसला किया है। इसी के साथ सरकार ने कुशलता बढ़ाने और बचत के लिए कृषि की 28 अलग–अलग प्रायोजित स्कीमों को एकीकृत करने का फैसला किया है।

वर्तमान बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे तैयार करते समय देश के गरीबों के हितों की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा उचित दर की दुकानों से रियायती दरों पर मिलने वाले अनाज की मात्रा दुगनी कर दी है। पहले उन्हें प्रति महीने प्रति व्यक्ति दस किलो खाद्यान्न मिलता था। अब इसकी मात्रा दुगनी यानी 20 किलो कर दी गई है। यह समस्त अनाज उन्हें आर्थिक मूल्य या लगभग लागत दर के आधे मूल्य पर मिलेगा। वर्तमान अनुमानों के आधार उन्हें गेहूं 3.95 रुपये प्रति किलो और चावल 5.13 रुपये प्रति किलो मिलेगा। पिछले वर्ष सरकार ने गरीबों को रियायती दरों पर 70 लाख टन अनाज दिया था। इस वर्ष यह मात्रा बढ़ कर 1 करोड़ 40 लाख टन हो जाएगी।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली देश की लगभग एक तिहाई जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में *जनश्री बीमा योजना* शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत बीमा कराने वाले व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु पर 20,000 रुपये, दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 50,000 रुपये और आंशिक विकलांगता पर 25,000 रुपये मिलेंगे। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को बीमा कराने के लिए केवल आधा प्रीमियम देना होगा। शेष आधा प्रीमियम जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि और सरकार द्वारा दिया जाएगा। वित्त मंत्री का यह प्रस्ताव गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक साहसिक और प्रभावी कदम है। ❑

वर्ष 2000–2001 के बजट में

ग्रामीण विकास सम्बन्धी प्रावधान

डा. नरेश चन्द्र त्रिपाठी

बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। गांवों में पांच आधारभूत सुविधाओं के लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ग्रामीणों के लिए 12 लाख मकान बनाने के लिए 1,501 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और पेय जल उपलब्ध कराने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त और साख के रूप में करीब 51,500 करोड़ रुपये उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। राष्ट्रीय आय, रोजगार और निर्यात की दृष्टि से आज भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने सन् 2000–2001 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा – "यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि निर्धनता उन्मूलन, आय और रोजगार सृजन, खाद्य आपूर्ति की सुनिश्चितता और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के लिए उन्नत बाजार हेतु कृषि की सक्षम संवृद्धि आवश्यक है।" कृषि विकास के इसी महत्व को समझते हुए वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कई नवीन योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की और परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रावधान किया है। बजट 2000–2001 के आधार पर कृषि और ग्रामीण विकास सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार हैं :

कृषि और ग्रामीण वित्त

वित्त और साख की समुचित व्यवस्था अन्य क्षेत्रों की भांति कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक शर्त है। वित्त मंत्री ने इस दिशा में संस्थागत माध्यमों, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 1999–2000 में 41,800 करोड़ रुपये ऋण–प्राप्ति का अनुमान लगाया। सन् 2000–2001 में इसके 51,500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशा है जो गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री के अनुसार पिछले दो बजटों में ग्रामीण ऋण–प्राप्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय प्रारम्भ किए गए हैं। इन उपायों को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने के लिए नये प्रस्ताव किए गए हैं। उनके अनुसार नाबार्ड द्वारा संचालित 'ग्रामीण अधः संरचना विकास निधि–5' (आर. आई.डी.एफ.–5) कोष में 3,500 करोड़ रुपये

की व्यवस्था की जाएगी। इस ऋण की अदायगी की अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण स्तरीय अधः संरचना को विकसित करने के लिये इसके क्षेत्र को ग्राम पंचायतों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अन्य योग्य संस्थाओं तक विस्तृत किया जाएगा।

आर.आई.डी.एफ.–6 की राशि 4,500 करोड़ रुपये तक की जा रही है। इससे प्रदत्त ऋणों पर ब्याज दर आधा प्रतिशत कम की जाएगी।

गति देने के लिए नाबार्ड को अलग से सौ करोड़ रुपये की 'सूक्ष्म वित्त विकास निधि' (माइक्रो फाइनेंस डेवोलेपमेंट फंड) का सृजन किया जाएगा। इसके लिए रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड और अन्य बैंकों से अंशदान लिया जाएगा। सूक्ष्म वित्त समूहों के गठन में ग्रामीण क्षेत्र के वंचित वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों तथा पिछड़े वर्गों को वरीयता दी जाएगी।

का प्रस्ताव किया। इसकी विस्तृत रूपरेखा सहकारिता के लिये गठित कपूर समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की जाएगी।

किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति पर वित्त मंत्री ने सन्तोष प्रकट किया। वित्त मंत्री के अनुसार अब तक विभिन्न बैंकों ने ऐसे 50 लाख कार्ड जारी किए हैं। वर्ष 2000–2001 में 75 लाख और किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत सन् 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य है

वित्त मंत्री के अनुसार सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) कई देशों में निर्धनता उन्मूलन यंत्र के रूप में प्रकट हुआ है। गत वर्ष के बजट में नाबार्ड और सिडबी को 50,000 स्व–सहायता समूहों को सूक्ष्म उपक्रम के रूप में विकसित करने के लिये कहा गया था। वर्तमान वर्ष में ऐसे 50,000 समूहों को नाबार्ड ने बैंकों से सम्बद्ध किया था। वित्त वर्ष 2000–2001 में नाबार्ड तथा सिडबी ऐसे एक लाख समूहों को अपनी परिधि में लेगी। इस कार्यक्रम को नई

सहकारी क्षेत्र की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने ग्रामीण और कृषि वित्त के लिए सहकारी प्रणाली को महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार हालांकि विगत वर्षों में नौकरशाही के बढ़ते शिकंजे और राज्य सरकारों के हस्तक्षेप आदि के कारण इस क्षेत्र के समक्ष समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और कुछ राज्य सरकारों ने इन्हें दूर करने के लिये प्रयास भी किए। सहकारी प्रणाली के विकास के लिए वित्त मंत्री ने नाबार्ड के अधीन एक निधि स्थापित करने

ग्रामीणों के लिए आधारभूत सुविधाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का पर्याप्त न होना चिन्ता का विषय रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसकी स्वीकारोक्ति इन शब्दों में की है – "स्वतंत्रता के 52 वर्षों बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति अभी भी असन्तोषजनक है। चालीस प्रतिशत गांवों में उचित सड़कें

नहीं हैं, 1.8 लाख गांवों में अभी भी एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, 4.5 लाख ग्राम अभी भी पेय जल की समस्या से ग्रस्त हैं। अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 140 लाख आवासीय इकाइयों की कमी है और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं अनेक कमियों से ग्रस्त हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इन कमियों को शीघ्र समाप्त करने के लिये सरकार वचनबद्ध है।" ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक अधः संरचना के पांच आधारभूत क्षेत्रों के लिये निम्नांकित योजनाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

सर्व शिक्षा योजना : शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से एक नई योजना 'सर्व शिक्षा योजना' प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया गया है। सन् 2003 तक सभी बच्चों को स्कूलों में नामांकित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के शेष जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डी.पी.ई.पी. का विस्तार किया जाएगा। सन् 2005 तक साक्षरता दर को 75 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना : सन् 2000–2001 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने ग्रामीणों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से *प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना* का सूत्रपात किया है। वित्त मंत्री के अनुसार इस योजना के लिये बजट में 5,000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है। इस धनराशि में से 2,500 करोड़ रुपये सड़क निर्माण और ग्रामीण संयोजन सुविधा सुधार को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। वित्त मंत्री के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पांच आधारभूत सुविधाओं के लिये 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान है। सभी ग्रामीण बस्तियों में पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जो आगामी पांच वर्ष में पूरा किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में 60 हजार बस्तियों और 30 हजार विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीण आवास सम्बन्धी प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या आज भी गम्भीर है। वित्त मंत्री के अनुसार 'सबके लिये आवास' सरकार के लिये प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम है। आगामी वित्त वर्ष में 25 लाख आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए निम्नवत् व्यवस्था है :

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए 12 लाख घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिये बजट में 1,501 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 32,000 रुपया वार्षिक से कम आय वाले ग्रामीणों के लिये एक लाख घर बनाने हेतु ऋण और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए बजट में 92 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण गृह वित्त योजना के अन्तर्गत 1.5 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में हडको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 9 लाख घरों के लिए सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

जनश्री बीमा योजना

समाज के सबसे गरीब वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामूहिक बीमा की एक नई योजना *जनश्री बीमा योजना* प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में 20,000 रुपये, दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 25,000 रुपये का बीमा कवच प्रदान किया जाएगा। प्रीमियम की राशि जीवनांकिक आधार पर निर्धारित की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सहभागी इस योजना के लिए आधे प्रीमियम की अदायगी करेंगे। शेष अंशदान जीवन बीमा निगम की मौजूदा सामाजिक सुरक्षा निधि, जिसमें सरकार ने उपयुक्त बढ़ोतरी की है, के अर्जन से किया जाएगा। इस आधार पर लाभार्थी को 10 रुपये या इससे भी कम मासिक किश्त जमा करनी पड़ेगी।

भू–उपयोग पर राष्ट्रीय आयोग

वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने भू उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर एक समन्वित दृष्टिकोण को विकसित करने पर बल दिया है। वन सम्पदा के संरक्षण और विकास, परती भूमि के अनुकूलतम उपयोग, जलाक्रान्त भूमि के विकास, जैव विविधता के संरक्षण जैसे जटिल मुद्दों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों का एक भू उपयोग पर राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाएगा। यह आयोग इन मसलों पर सरकार को सम्यक सुझाव देगा।

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए लघु सिंचाई और उद्यान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की बात कही। पूर्वोत्तर राज्यों में उद्यान विकास के लिए तकनीकी मिशन स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर वित्त मंत्री ने, जो घोषणाएं की हैं, उन्हें इन क्षेत्रों के लिये निर्धारित व्यय आवंटन, मूल्य वृद्धि और आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसमें ग्रामीण रोजगार के लिए कुछ विशेष नहीं कहा गया है। उर्वरकों की मूल्य वृद्धि बजट का सबसे प्रमुख आलोचना का विषय रहा है। ❑

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक–4 लेवल–7
आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

भारत 2000 INDIA 2000

Authoritative Reference Annual
of Government of India
has hit the stands

Price: Rs.200/-

A must for students appearing for competitive examinations, academicians, journalists, scholars and school/college libraries and other institutions.

Buy INDIA 2000 with MASS MEDIA 2000 and save Rs. 100/-

Book Your Copy
With The Local Agent Or Contact:

Sales Emporia of Publications Division : Patiala House, Tilak Marg, **New Delhi**, Ph. 011-3387983;Super Bazar, Connaught Circus, **New Delhi**, Ph. 011-3313308,Hall No.196, Old Secretariat, **Delhi**, Ph. 011-3968906;Rajaji Bhavan, Besant Nagar, **Chennai**, Ph. 044-4917673; 8, Esplanade East, **Calcutta**, Ph. 033-2488030; Bihar State Cooperative Building, Ashoka Rajpath, **Patna**, Ph. 0612-653823; Press Road, **Thiruvananthapuram**, Ph. 0471-330650; 27/6, Ram Mohan Rai Marg, **Lucknow**, Ph. 0522-208004; Commerce House, Currimbhoy Road, Ballard Pier, **Mumbai**, Ph. 022-2610081; State Archaeological Museum Building, Public Gardens, **Hyderabad**, Ph. 040-236393;1st Floor, F-Wing, Kendriya Sadan, Koramangala, **Bangalore**, Ph. 080-5537244;C.G.O. Bhavan, 'A' Wing, A.B. Road, **Indore**;80, Malviya Nagar, **Bhopal**; B-7/B, Bhawani Singh Road, **Jaipur**.

PUBLICATIONS DIVISION
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA

नारी शिक्षा और ग्रामीण विकास

मधु ज्योत्सना

महिला शिक्षा के बिना ग्रामीण विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। एक पढ़ी–लिखी मां बच्चों को सही तरह से पालन–पोषण कर उन्हें एक स्वस्थ नागरिक बना सकती है। अनुभव से पता लगा है कि जहां महिलाएं शिक्षित हैं वहां जन्म दर और शिशु मृत्यु दर घटी है और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। लेकिन हमारा समाज अभी तक महिला शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहा। 73वें संविधान संशोधन से महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन शिक्षा के अभाव में वे अपनी भूमिका कारगर ढंग से नहीं निभा पा रही हैं।

स्त्री शिक्षा समाज विकास का मूल आधार है। यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा एक परिवार शिक्षित होगा, यदि एक बालक शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति ही शिक्षित हो पाता है। हमारे देश में करीब 74 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। आजादी के 52 वर्षों के बाद आज भी हमारे देश के गांवों की हालत शहरों की तुलना में बहुत दयनीय है। गांवों में रहने वाले 32 प्रतिशत से ज्यादा लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए बाध्य हैं।

गांवों की इस दयनीय हालत के लिए शिक्षा का अभाव एक प्रमुख कारण है। शहरों की तुलना में गांव की शैक्षणिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है, उसमें भी गांव की औरतों में उच्च शिक्षा का प्रतिशत तो शून्य के आस–पास ही सिमटा है।

एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि गांव की पहले दर्जे में प्रवेश लेने वाली 100 बालिकाएं पांचवीं तक पहुंचते–पहुंचते मात्र 40 रह जाती हैं। आठवीं तक 18, दसवीं में 8 और इण्टर में पहुंचते–पहुंचते यह संख्या मात्र एक रह जाती है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व की तुलना में हमारे देश की ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं की उच्च शिक्षा के मामले में उपरोक्त तथ्यों से साफ जाहिर है कि आजादी के 52 वर्षों के बाद भी हमारे देश की ग्रामीण महिलाओं के उच्च शिक्षा का प्रतिशत शून्य के आसपास ही चक्रमण कर रहा है।

सार्थक प्रयास की कमी

गांवों के विकास की तमाम घोषणाओं के बावजूद देश में कार्यरत् ढेर सारी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं और संगठन गांव वालों को आज तक यह नहीं समझा पाए हैं कि परिवार को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के साथ ही उसके रहन–सहन के स्तर को सम्मानजनक स्थिति में ले जाने का कार्य परिवार में सुशिक्षित और जागरूक महिलाओं के बिना सम्भव नहीं है। अनावश्यक आडम्बर और रूढ़िवादी परम्पराओं से संचालित फिजूल खर्ची के बाद आजीवन कर्ज के बोझ से बचने, दहेज, बाल–विवाह, श्राद्ध और ब्रह्मभोज के अनुत्पादक कुरीतियों से लड़कर, घर–समाज को आगे प्रगति पथ पर ले चलने के साथ ही परिवार में बच्चों कि विकास के माहौल का निर्माण अकेले पुरुष से ही कतई सम्भव नहीं है। एक पढ़ी–लिखी मां ही परिवार को उपलब्ध साधनों से ही पौष्टिक और स्वास्थ्यप्रद भोजन की व्यवस्था कर, बच्चों को स्वस्थ नागरिक बना सकती है। परिवार के सुलभ साधनों के व्यवस्थित प्रयोग से बच्चों में विचारशीलता के साथ ही सर्वांगीण विकास का प्रयास सुशिक्षित मां द्वारा ही सम्भव है, बिना इसके बच्चों में प्रतिभा और व्यक्तित्त्व का विकास नहीं हो सकता। इन सबके लिए उपार्जन और व्यय के साथ बचत की नीति बना कर, बचत का लाभप्रद उत्पादकीय निवेश और पारिवारिक आय की वृद्धि की योजना, तभी क्रियान्वित होगी, जब परिवार नियोजित और व्यवस्थित होगा। यह तभी सम्भव होगा, जब गृहस्थी का संचालन एक कुशल पुरुष के साथ ही जागरूक महिला के हाथों में हो। महिला में यह कुशलता और जागरूकता अच्छी शिक्षा के बिना नहीं आ सकती। इन सबसे बढ़कर गांव में संस्कारवान् अनुशासित नागरिक का निर्माण, महिलाओं के शिक्षित हुए बिना सम्भव नहीं है। भावी पीढ़ी के तरक्की की जिम्मेदारी किसी भी स्थिति में पुरुष की तुलना में महिला होने पर कम नहीं हो जाती, बल्कि गृहिणी होने के नाते और भी बढ़ जाती है। परिवार के संचालन में इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी महिला का शक्ति–सम्पन्न और बुद्धि–सम्पन्न होना जरूरी है और इस अधिकार और बौद्धिक सम्पन्नता के लिए आवश्यक है जागरूकता, जो अच्छी शिक्षा के अभाव में किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि स्त्री जागरूकता के बिना ग्रामीण परिवारों का विकास सम्भव नहीं है। इसके बिना हम गांवों को तरक्की में अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकते, जब तक पर्याप्त ग्रामीण महिलाएं साक्षरता से आगे बढ़कर सुशिक्षा से जागरूक नहीं हो जाती, तब तक ग्राम विकास का हमारा सपना पूरा नहीं हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अब बालिका–शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है

ग्रामीण महिलाओं की उपेक्षा

हमारे देश में गांव की तुलना में नगरों में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। जैसे शहरी महिलाओं के लिए अलग विश्वविद्यालय, महिला महाविद्यालय, पालिटेक्निक और इण्टर कालेज खोले गए हैं, वहीं लगभग 35 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के हिस्से में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। देश की आजादी के बाद गांवों में स्कूल खुले, उनमें ग्रामीण महिलाओं की पढ़ाई शुरू हुई और साक्षरता अभियान का श्रीगणेश हुआ। इससे गांव के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई और गांववासियों के मन में पढ़ाई की इच्छा जगी, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इस शैक्षणिक जागरण की लहर से ग्रामीण महिला अछूती ही रह गई। गांव में लड़की को स्कूल भेजना न तो जरूरी माना गया, न ही फ़ायदेमन्द समझा गया। अस्सी के दशक के बाद कुछ ग्रामीण महिलाओं ने साक्षरता अभियान में हिस्सा लिया, तब विद्यालय जाने वाली बच्चियों की संख्या में वृद्धि हुई।

साक्षरता का सार्थक परिणाम

साक्षरता के प्रसार से ग्रामीण महिलाएं रूढ़िवादी परम्पराओं को लांघकर आगे आईं और उनमें गुणात्मक बदलाव का आना आरम्भ हुआ। उनमें एक समझदारी बनने लगी, जिसमें वे सामाजिक बदलाव की धारा को समझने लगीं। इससे सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि गांव की औरतों में समाज और परिवार का अनावश्यक भय कम हुआ। उनमें आत्म–विश्वास का संचार हुआ और वे कुछ खुलकर अपनी बातें कहने लगीं हैं।

साक्षरता के सार्थक परिणाम के बावजूद ग्रामीण महिलाओं के कदम और आगे नहीं बढ़ सके, उच्च शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में प्रारम्भिक या उससे थोड़ा और आगे बढ़कर माध्यमिक शिक्षा के आगे वे बिल्कुल ही नहीं बढ़ सकीं। गांव की रूढ़ियों, यातायात के साधनों और अलग महिला महाविद्यालयों के साथ ही पैसे के अभाव और ग्रामीण माहौल के चलते गांव में लड़कियों को कालेज भेजने के बजाय घर में ही रोककर उन्हें चूल्हे चौके का प्रशिक्षण दिया जाना बेहतर माना जाता है।

घरेलू कामकाज की बाधा

लड़कियों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति में घरेलू कामकाज में लगाया जाना भी एक बाधा है। गांव में घरेलू कामकाज बाल मजदूरी से से कम नहीं है। इसके आर्थिक लाभ के चलते ग्रामीण अभिभावक अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते, जो शुरू में भेजते हैं, वे थोड़ा पढ़ाकर रोक देते हैं।

एक समाजशास्त्रीय अध्ययन से पता चलता है कि एक बालिका ससुराल जाने से पूर्व अपने परिवार को 60,000 रुपये के बराबर का लाभ पहुंचाती है। ऐसे में कोई गरीब अशिक्षित मां–बाप अपनी बच्ची को पढ़ाई में लगाए रखने की भूल कैसे कर सकता है।

उच्च शिक्षा के लाभ

वास्तव में शिक्षा के बहुआयामी और लाभप्रद प्रभाव को ध्यान में रखकर ग्रामीण जीवन में इसे वरदान के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। यह ग्रामीणों को अज्ञान और अन्धविश्वास से निजात दिलाकर उनमें नई चेतना का संचार करती है, जिससे ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं में अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना का उदय होता है। सच तो यह है कि यदि ग्रामीण महिलाएं शिक्षित होंगी तो गांव के पिछड़ेपन के साथ ही अन्य कई समस्याएं भी स्वतः समाप्त हो जाएंगी, जबकि इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए हमें लम्बा–चौड़ा व्यय करना पड़ता है।

विश्व बैंक के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री समर्स के 1992 में किए गए अध्ययन से भी उपरोक्त तथ्य पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। अपने अध्ययन में समर्स ने पाया कि गरीब देशों में महिलाओं की शिक्षा से शिशुओं की जन्म–दर और मृत्यु–दर में कमी आई। एड्स जैसी घातक बीमारी से बचाव के विषय में चेतना बढ़ी, प्रसूताओं की मृत्यु में कमी आई। समर्स ने पाया कि 100 लड़कियों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने में 32,000 अमरीकी डालर का खर्च आया। इसके बदले 43 शिशुओं और दो माताओं की प्राण रक्षा हो सकी, 300 बच्चों का जन्म भी रुका। इतनी उपलब्धि के लिए हमें 52,000 अमरीकी डालर खर्च कराना पड़ता। इस प्रकार समर्स ने पाया कि 32,000 डालर के खर्च में 100 लड़कियों की शिक्षा ने 52,000 डालर का काम किया, जिससे 20,000 डालर का शुद्ध लाभ हुआ।

हमारे देश में हुए अध्ययन से भी सिद्ध हो चुका है कि निम्न आय वर्ग में शिक्षित महिलाएं अशिक्षित महिलाओं की तुलना में परिवार नियोजन को अधिक महत्व देती हैं। केरल की महिलाओं में 86.17 प्रतिशत साक्षरता है,

(शेष पृष्ठ 34 पर)

ग्रामीण महिलाओं में स्वावलम्बन का एक विकल्प

स्वयं सहायता समूह : एक सफल प्रयोग

डा. आर.एस. सेंगर

भारतीय संविधान में महिलाओं और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया गया है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति व्यावहारिकता के स्तर पर पूर्णरूप से सार्थक नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा विविध कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है महिला स्वयं–सहायता समूहों का गठन करके ग्रामीण जीवन को खुशहाल बनाना।

स्वयं–सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपनी आय से जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हैं उसका अंशदान सम्मिलित निधि में करने तथा समूह के सदस्यों की उत्पादक अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहमत होते हैं।

महिलाएं गांवों में समूह बनाकर अपना एक नेता चुन लेती हैं। उस नेता महिला के अनुसार वे सिलाई केन्द्र, रजाई बनाने का केन्द्र, टोकरी बनाने का केन्द्र, सजावटी सामान बनाने का केन्द्र, मोमबत्ती बनाने का केन्द्र, या बच्चों के लिए फार्मक्रेश चला सकती हैं।

फार्मक्रेश – स्वयं सहायता समूह से प्रेरणा लेकर ग्राम–जगदीशपुर, ग्राम सभा विजय नगर गदरपुर विकास खण्ड, जिला ऊधमसिंह नगर में श्रीमती शैफाली एक फार्मक्रेश चला रही हैं। प्रायः देखा गया है कि गांव में अनेक स्त्रियां दिहाड़ी पर कृषि मजदूरी के लिए 6–7 बजे प्रातः निकल जाती हैं और देर शाम लौटती हैं। कार्यक्षेत्र समीप होने पर दोपहर खाने के लिए घर पर आकर फिर वापस जाती हैं। उनके शिशु और बच्चे या तो सड़कों पर घूमते फिरते हैं या बड़े भाई बहनों द्वारा उनकी देख–रेख की जाती है जिससे बड़े भाई बहन स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनका विकास अवरुद्ध होता है। ऐसे समस्त परिवारों के बच्चों की मां की अनुपस्थिति में देख–रेख हेतु शैफाली द्वारा अपने घर के कक्ष में बाल देख–रेख क्रिया–कलाप चलाने की व्यवस्था की गई है। घर के बरामदे में बच्चों के खेलने का प्रबंध किया गया है। फार्मक्रेश के वातावरण को विभिन्न खेल–खिलौनों, चित्रों और अन्य साधनों से बच्चों के विकास हेतु उत्प्रेरक बनाया गया है। यहां पर बच्चों की नियमित साफ–सफाई का ध्यान रखा जाता है। विविध खेल सामग्री के माध्यम से बच्चों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। निश्चित समय में बच्चों को नाश्ता कराया जाता है। आराम चाहने वाले बच्चों के सोने का प्रबंध है। इस प्रकार यह केन्द्र ग्रामीण महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गया है। ❑

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में लघु और कुटीर उद्योगों की भूमिका

शैलेन्द्र कुमार मिश्र

लघु और कुटीर उद्योग हमारी ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था के सर्वथा अनुकूल हैं। हमारे गांवों में कृषकों के पास केवल 200 दिन ही काम होता है। बाकी खाली समय में लघु और कुटीर उद्योगों में काम करके वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इन उद्योगों में कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और ये पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करते। देश में इन उद्योगों के सामने कई समस्याएं हैं जिनमें वित्त की समस्या, कच्चे माल का उपलब्ध न होना और तैयार माल की बिक्री में कठिनाई प्रमुख हैं। सरकार इन समस्याओं के निदान में सहायता देकर इन उद्योगों से बेरोजगारी की समस्या को हल करने में काफी हद तक सफल हो सकती है।

भारत की अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योग की भागीदारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महात्मा गांधी ने कहा था – 'भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योगों में निहित है।' आज भारत के औद्योगिक उत्पादन में लघु और कुटीर उद्योग की 40 प्रतिशत भागीदारी है जबकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इनका योगदान 10 प्रतिशत है। ये उद्योग देश के 32 प्रतिशत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। भारत के कुल निर्यात में इनका 34 प्रतिशत योगदान है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। किन्तु हमारे किसानों के पास साल भर कृषि कार्य नहीं रहता। वर्ष में कुल 200 दिन ही कृषि कार्य में उपयोग हो पाते हैं। इस तरह कृषि में लोग काफी दिन बिना काम के रहते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों के विकास से कृषि में लगे हुए कुछ व्यक्ति इन उद्योगों में लग सकते हैं। इससे जनसंख्या का भार कृषि पर से कम हो जाएगा।

लघु और कुटीर उद्योग हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल भी हैं। हमारे गांवों में पूंजी का अभाव और श्रम की अधिकता है। खाली समय में व्यक्ति श्रम करके अपनी आय बढ़ा सकता है। इन उद्योगों में पूंजी का विनियोजन भी कम है तथा ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। इन उद्योगों में धन विनियोग और उत्पादन का अनुपात 1:1 का होता है। आंकड़े बताते हैं कि इन उद्योगों के उत्पादन मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1994–95 में इन उद्योगों के उत्पादन का मूल्य लगभग 2,93,990 करोड़ रुपये था जो कि 1995–96 में बढ़कर 3,56,213 करोड़ रुपये हो गया।

संतुलित विकास में सहायक

लघु और कुटीर उद्योग देश के संतुलित विकास में सहायक होते हैं। बड़े उद्योग मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। इसका लाभ एक निश्चित क्षेत्र के श्रमिकों को ही मिल पाता है। लेकिन पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास में लघु और कुटीर उद्योग ही सहायक होते हैं। साथ ही ये उद्योग स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाते हैं।

इन उद्योग के लिए कम पूंजी के साथ–साथ कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारी स्थानीय परम्परागत प्रतिभा और कला भी सुरक्षित रहती है। आज हमारे देश में इस तरह के कई उद्योग हैं जो अपनी परम्परागत कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जैसे – बनारस की साड़ियां, मुरादाबाद

के बर्तन और हाथी दांत का काम इत्यादि।

लघु और कुटीर उद्योग में बड़े उद्योगों की अपेक्षा समस्याएं कम हैं। बड़े उद्योगों में श्रमिकों की हड़ताल, श्रमिकों की छंटनी, कच्चे माल की कमी होने पर काम रुक जाना आदि मुख्य समस्याएं हैं। लघु उद्योगों में उत्पादन भी शीघ्र होने लगता है। कारण इसको स्थापित करने में समय कम लगता है। इसीलिए इन्हें शीघ्र उत्पादक उद्योग भी कहते हैं। लघु और कुटीर उद्योग में मशीनों और तकनीक का आयात नहीं करना पड़ता है।

पर्यावरण के अनुकूल

पर्यावरण की दृष्टि से भी ये लघु उद्योग सुरक्षित हैं। इनसे आस–पास का वातावरण दूषित नहीं होता। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक भी प्रदूषण के शिकार नहीं होते।

पिछले कुछ वर्षों से भारत के निर्यात में लघु और कुटीर उद्योगों ने अपनी विशिष्ट हिस्सेदारी स्थापित की है। 1994–95 में लगभग 29,068 करोड़ रुपये के लघु उद्योगों के माल का निर्यात किया गया था जबकि 1995–96 में लगभग 36,500 करोड़ रुपये मूल्य का माल निर्यात हुआ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों की भागीदारी महत्वपूर्ण होने के कारण वर्तमान औद्योगिक नीति में इन उद्योगों को पर्याप्त प्रमुखतः दी जा रही है। लघु और कुटीर उद्योग के लिए 836 वस्तुओं की सूची बनाई गई है। इन वस्तुओं की बिक्री के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

योजनाकाल में उद्योगों का विकास

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में लघु और कुटीर उद्योगों का समुचित विकास हुआ है।

नीचे दी गई तालिका–1 से स्पष्ट है कि योजना काल में सरकार ने इन उद्योगों के विकास के लिए समुचित ध्यान दिया है। इस कारण इन उद्योगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1995–96 में इन उद्योगों की संख्या 27.24 लाख इकाइयां थीं जबकि सन् 1961 में इनकी संख्या लगभग 46 हजार ही थी। वर्ष 1995–96 में लघु और कुटीर उद्योगों से लगभग 3,56,213 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है। इसी अवधि में 152.61 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए गए। समूचे देश में फैली इन इकाइयों से 5,600 वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इन वस्तुओं का उत्पादन वृहत पैमाने के उद्योगों से बाहर रखा गया है।

बनारसी साड़ियां देश भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं

प्रथम लघु और कुटीर उद्योग नीति

लघु और कुटीर उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार ने 6 अगस्त 1991 को प्रथम लघु और कुटीर नीति की घोषणा की जिसका लाभ निश्चित रूप से इन उद्योगों को मिल रहा है। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उत्पादन, रोजगार और निर्यात के आयाम में मजबूत बनाना है। लघु उद्योगों में विनियोग की सीमा बढ़ा दी गई है। उद्यमियों को प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा तीन करोड़ तक करने को प्रोत्साहित किया गया है। छोटी इकाइयों में निवेश सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई है। नई नीति में सस्ते ऋण की

तालिका–1

पंचवर्षीय योजनाएं	व्यय (करोड़ रुपये में)
प्रथम	42
द्वितीय	187
तृतीय	241
1966–69 (वार्षिक योजना)	132
चतुर्थ	251
पंचम	381
षष्टम	1952
सप्तम	3249
अष्टम	6334

उपलब्धता और उसकी अदायगी पर काफी बल दिया गया है। राष्ट्रीय समता कोष द्वारा योजना के क्षेत्र को बढ़ाने का निश्चय किया गया है।

विपणन में सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों की उत्पादित वस्तुओं को बड़े पैमाने पर क्रय करने की भी व्यवस्था की गई है। निर्यात के प्रोत्साहन के लिए लघु उद्योग विकास संगठन समय–समय पर निर्यात सम्बन्धी जानकारियां भी प्रदान करने की व्यवस्था किए हुए है।

लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, औद्योगिक बस्तियों को स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में इकाइयों को स्थापित करना, विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना, अनुज्ञापन में छूट आदि प्रमुख हैं।

उद्योग की समस्याएं

अन्य उद्योगों की भांति लघु और कुटीर उद्योगों को ज्यादा समस्याओं का सामना तथा शोषण का शिकार होना पड़ता है। इनमें प्रमुख रूप से कच्चे माल, वित्त, तकनीकी, यांत्रिक शिक्षा, विपणन, बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता की समस्याएं प्रमुख हैं।

लघु उद्यमियों को कच्चे माल के लिए स्थानीय व्यापारियों पर ही निर्भर रहना प्रड़ता है। कभी–कभी स्थानीय व्यापारियों द्वारा इनको घटिया किस्म के माल की आपूर्ति की जाती है। पूंजी के अभाव में इन्हें ऊंचा मूल्य चुकाना पड़ता है। कच्चे माल की बढ़िया किस्म न होने के कारण इससे तैयार होने वाली वस्तु की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं हो पाती। पूंजी के अभाव में आयात करना इनके बस की बात नहीं है।

लघु उद्यमियों को सबसे बड़ी समस्या वित्त की उठानी पड़ती है। वित्तीय अभाव में कारीगर अच्छे किस्म के औजार और कच्चा माल क्रय नहीं कर पाते। बैंक भी बिना गारंटी के वित्त ऋण उपलब्ध कराने में हिचकते हैं जिससे बाध्य होकर लघु उद्यमियों को स्थानीय महाजनों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार की पूंजी से प्राप्त आय का अधिकांश भाग ब्याज चुकाने में ही चला जाता है और उद्यमियों की दशा में सुधार नहीं हो पाता।

वैज्ञानिक विकास के चलते आज नए–नए औजारों–मशीनों का आविष्कार हो गया है। जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। परन्तु भारतीय कारीगार उत्पादन में आज भी परम्परागत तकनीकी का प्रयोग करते हैं जिससे अच्छे किस्म का माल तैयार नहीं हो पाता।

साथ ही कारीगरों में यांत्रिक शिक्षा का अभाव है। अधिकांश कारीगरों के अशिक्षित होने के कारण वे नई–नई मशीनों को चलाने में दक्ष नहीं होते जिससे परम्परागत तरीके से बनाए गए उत्पाद में उपभोक्ता रुचि नहीं लेते।

पर्याप्त विपणन व्यवस्था की आवश्यकता

माल तैयार हो जाने पर विपणन की समस्या आती है। लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उन्हें बाजार की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता या ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की व्यवस्था करे। अतः इन्हें बाध्य होकर सस्ते मूल्य पर ही माल बेचना पड़ता है।

लघु उद्योगों को माल के विपणन में बड़े उद्योगों के साथ कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। वृहद् पैमाने के उद्योगों में बनीं वस्तुएं आधुनिक तरीके और ज्यादा मात्रा में तैयार की जाती हैं जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होती है। ऐसी वस्तुएं बाजारों में सस्ते दामों पर बिकती हैं।

इनके अलावा लघु उद्योगों को बिजली की अपर्याप्तता, कुशल प्रबन्धकों का अभाव, सूचना के क्षेत्र में तकनीक का अभाव, परिवहन सुविधाओं का अभाव आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

लघु उद्योगों में सुधार के सुझाव

लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याओं के हल और उनके विकास के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :

- लघु और कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैंकों, सहकारी साख समितियों तथा राज्य वित्त निगमों को नियमों में लचीलापन लाना चाहिए।
- कच्चे माल, वित्त और विपणन की समस्या में सुधार लाने के लिए सहकारी समितियों का विकास करना चाहिए। साथ ही लघु उद्योग सेवा संस्थान और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा इनके विकास और समस्याओं के समाधान के लिए समय–समय पर कारगर सुझाव देते रहने चाहिए।
- लघु उद्योगों को परम्परागत तकनीक में बदलाव लाकर आधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए। इससे उत्पादन लागत कम हो जाएगी और वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हो जाएगा। ऐसे भी प्रयास किए जाने चाहिए जिनमें बेकार कतरनों को भी उपयोगी बनाया जा सके। वस्तुओं की किस्म में सुधार होने पर उपभोक्ता भी इन उत्पादों की ओर आकर्षित हो सकेंगे।
- लघु और कुटीर उद्योगों को प्रश्रय देने के लिए बड़े उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। आपस में प्रतियोगिता करने से बेहतर होगा कि आपस में समन्वय हो। छोटे–छोटे पुर्जों का निर्माण कार्य पूरी तरह से लघु उद्योगों में किया जाना चाहिए।
- लघु उद्योगों के उत्पाद को विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहिए। प्रदर्शनी लगाने से पूर्व इसका प्रचार करना चाहिए।

लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना देश को विकासशील बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। आजकल रोजगार के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं जिससे शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में ही लघु उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाए। इससे शहरों की तरफ पलायन करने का सिलसिला बन्द हो जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार भी मजबूत होगा। ❑

राजस्थान में ग्रामोद्योग विकास

डा. ओ.पी. शर्मा

राजस्थान में ग्रामोद्योगों की स्थिति की जानकारी देते हुए इस लेख में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इन उद्योगों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा दिया गया है। राज्य में 18 ग्रामोद्योगों को आयोग ने अपनी सूची में लिया है और उनके लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन लेखक का कहना है कि राज्य में इन 18 उद्योगों के अलावा अनेक परम्परागत उद्योग हैं जिन्हें सहायता दी जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य में उद्योगों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।

राजस्थान की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में जीवन बसर करती है। राज्य की खुशहाली के लिए गांवों का विकास जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र आधारभूत संरचना की दृष्टि से कम विकसित है। सामाजिक विकास क्षेत्र के मामले में भी गांव शहरों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। वर्तमान में बजट का बड़ा भाग ग्रामीण विकास क्षेत्र पर खर्च किया जाने लगा है जिससे भविष्य में ग्रामीण परिवेश में बदलाव की आशा की जाती है। ग्रामीणों के आर्थिक स्तर में ग्रामोद्योगों के विकास से सुधार किया जा सकता है।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने ग्रामीण औद्योगीकरण का बीड़ा उठाया है। बोर्ड के प्रयासों से गांवों में खुशहाली दृष्टिगोचर होने लगी है और कृषि पर बढ़ रहे अत्यधिक भार तथा बेरोजगारी को कम करने में मदद मिली है। ग्रामीण जनता बेरोजगारी की स्थिति में ग्रामोद्योगों से राहत महसूस करती है। गांवों में उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगी हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 96 ग्रामोद्योगों की सूची में से राजस्थान में 18 ग्रामोद्योग लिए गए हैं जिनके विकास के लिए राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान के 18 ग्रामोद्योगों में अनाज दाल प्रशोधन, घाणी तेल, गुड खांडसारी, ताड़गुड, कुटीर दियासलाई और अगरबत्ती, अखाद्य तेल तथा साबुन, बांस बेंत, हाथ कागज, मधुमक्खी पालन, कुम्हारी, चर्म उद्योग, लुहारी, रेशा, कली चूना, फल प्रशोधन, वन औषधि, एल्युमिनियम के घरेलू बर्तन, पोली वस्त्र सम्मिलित हैं।

राजस्थान में ग्रामोद्योग उत्पादन

(लाख रुपये)

वर्ष	उत्पादन
1985–86	8,992
1986–87	10,442
1987–88	11,649
1988–89	13,676
1989–90	16,158
1990–91	18,338
1991–92	19,832
1992–93	22,907
1994–95	23,008
1995–96	26,049
1997–98	34,034
1998–99 (दिसम्बर)	23,800

स्रोत

1. खादी ग्रामोद्योग प्रवृत्तियां और प्रगति 1991–92
2. बेसिक स्टेटिस्टिक्स 1994, 1997 राजस्थान
3. आर्थिक समीक्षा 1998–99, राजस्थान सरकार

आर्थिक विषमता में कमी

राज्य में ग्रामोद्योग उत्पादन 1979–80 में 1,360 लाख रुपये था जो बढ़कर 1990–91 में 183.38 करोड़ रुपये हो गया। ग्रामोद्योग उत्पादन 1997–98 में और बढ़कर 340.34 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। 1998–99 में दिसम्बर माह तक ग्रामोद्योग उत्पादन 238 करोड़ रुपये रहा। ग्रामोद्योग उत्पादन के मार्च 1999 तक 400 करोड़ रुपये तक पहुंचने की सम्भावना व्यक्त की गई थी। राज्य में स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाइयों की संख्या 1979–80 में 12,622 थी जो 1990–91 में बढ़कर 1.19 लाख हो गई। 1990–91 में कुल स्वीकृत ग्रामोद्योग इकाइयों में 260 संस्थाएं, 1,561 समितियां तथा 1.17 लाख व्यक्तिगत इकाइयां थीं। ग्रामोद्योग इकाईयों की संख्या के बढ़ने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। ग्रामोद्योग की कुल बिक्री 1979–80 में 15.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 1994–95 में 319.46 करोड़ रुपये तथा 1995–96 में 35,768 लाख रुपये हो गई। सरकार ग्रामोद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत है। शिवदासपुरा तथा भीलवाड़ा में साबुन और तेल उद्योग का

प्रशिक्षण दिया जाता है। मोबाइल प्रदर्शनी और प्रशिक्षण इकाई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों को ग्रामोद्योग प्रशिक्षण, उन्नत उपकरणों के प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों को औजारों और संयंत्रों का वितरण किया जाता है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में ग्रामोद्योग उत्पादन, रोजगार, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता बिक्री वृद्धि आदि से ग्रामीण अंचलों में बसी जनसंख्या को रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं। लोगों को घरों में ही सम्मानपूर्वक रोजगार उपलब्ध हुआ है। समाज के कमजोर वर्गों के लाभान्वित होने से आर्थिक विषमता कम हुई है।

प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता

राज्य में ग्रामोद्योग समस्याग्रस्त हैं। ग्रामीण औद्योगीकरण को अपेक्षित गति नहीं मिल सकी है। ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कुल ग्रामोद्योगों की संख्या को देखते हुए राजस्थान में केवल 18 ग्रामोद्योग की संक्षिप्त सूची है जबकि राजस्थान ग्रामोद्योग में सम्पन्न है। बोर्ड की सूची में सम्मिलित नहीं होने वाले ग्रामोद्योगों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः राज्य के शेष ग्रामोद्योगों को बोर्ड की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ग्रामोद्योग की अधिकांश इकाइयां व्यक्तिगत हैं जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पाती हैं। प्रशिक्षण सुविधाओं का भी अभाव है। ग्रामोद्योगों की दशा सुधारने के लिए सभी जिलों में प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। ग्रामोद्योग के संगठन, वित्त व्यवस्था, उत्पादन विधि और तकनीक, विक्रय तथा वितरण आदि की व्यवस्था में सुधार कर ग्रामोद्योगों का तीव्र गति से विकास किया जा सकता है। ❑

कहानी

बड़े काका

सुरेश कुमार

डाकिया आया! ..... डाकिया आया!!

बच्चे चिल्लाते हुए साइकिल के पीछे भाग रहे थे। एक खपरैल मकान के सामने डाकिया रुक गया और एक छोटा–सा सफेद लिफाफा डाल कर वह आगे बढ़ गया।

चिट्ठी आई थी। लेकिन उस घर में किसी को भी पढ़ना–लिखना नहीं आता था। वैसे कोई चिट्ठी लिखवानी–पढ़वानी होती थी तो वे लोग डाकघर में जाते थे और वहीं चिट्ठी लिखने वाले से लिखवाते–पढ़वाते थे।

घर के सदस्यों ने वह चिट्ठी घर जमाई को दी। परन्तु कोई यह नहीं जानता था कि जमाई बाबू भी अनपढ़ हैं। सब यही सोचते थे कि जमाई बाबू पढ़े–लिखे हैं। चिट्ठी हाथ में पकड़े जमाई बाबू बहुत देर तक उसी को एकटक देखते रहे। उन्हें पढ़ना आता तब तो चिट्ठी पढ़कर सुनाते! अपनी इस अज्ञानता पर खेदवश उनकी आंखें से झर–झर आंसू गिरने लगे। यह देख सभी यह सोचकर डर गए कि चिट्ठी में अवश्य ही कोई बुरी खबर होगी।

कुछ हिम्मत करके ससुर जी बोले – 'जमाई बाबू! खबर चाहे कुछ भी हो, सीने पर पत्थर रखकर कह डालिये।' यह कहकर वह खुद भी फफक–फफक कर रोने लगे। उनका रोना था कि घर की सभी महिलाएं रोने लगीं। इन लोगों के रोने का शोर सुनकर पड़ोसी भी आ जुटे। बेचारे वे भी अनपढ़ ही थे। वहां सबको रोते देख वे सब भी रोने लगे। यह देखकर घर जमाई बाबू को बहुत शर्म महसूस होने लगी। वे मन–ही–मन भगवान से प्रार्थना करने लगे – "हे प्रभु! इस चिट्ठी में इतने सारे अक्षर हैं। काश! इनमें से कोई एक अक्षर भी पहचान में ला देते!"

घर जमाई बाबू बचपन में एक–दो बार स्कूल गये थे। उन दिनों मास्टर साहब बच्चों को अक्षर सिखला रहे थे। अभी शुरुआत ही हो रही थी – 'क' वर्ग से। उन सभी अक्षरों में से जमाई बाबू को केवल एक ही अक्षर, वह भी प्रथम अक्षर 'क' याद था। अब चिट्ठी में वह उसी को ढूंढ रहे थे।

'क...क...क?' होठों–ही–होठों में बुदबुदाते हुए वे पत्र पर तेजी से अपनी निगाहें दौड़ा रहे थे।

'मिल गया!' यह रहा 'क'! लेकिन मास्टर साहब ने तो इसे बड़ा लिखा था। यहां पर तो 'क' छोटा लिखा है! कोई बात नहीं। सहसा उनके मुंह से निकला – 'यहां बड़ा 'क' नहीं है।'

"क्या कहते हो जमाई बाबू .....।" उनके ससुर एकाएक बोल पड़े – "बड़े काका नहीं रहे।"

इतना सुनना था कि घर में शोर मच गया। और सभी जोर–जोर से रोने–चिल्लाने लगे।

"बड़े काका! आप हमें छोड़कर क्यों चले गये ..... बड़े काका!"

अब पत्र में क्या संदेश था, यह भला किसे पता था। अगर वहां कोई पढ़ा–लिखा व्यक्ति होता तो क्या ऐसी नौबत आ सकती थी? ❑

ग्रामीण विद्युतीकरण-ग्रामीण विकास का प्रमुख पहलू

डा. अरविन्द जैन*

उन्नत कृषि और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विद्युत एक आधारभूत आवश्यकता है। देश में अब तक करीब पांच लाख गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है लेकिन मांग अधिक होने और उत्पादन कम होने की वजह से विद्युत की सर्वाधिक कटौती भी ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में होती है। ग्रामीण लोग विद्युत के बिलों के भुगतान को अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं मानते। इससे भी राज्य सरकारों के अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम भी प्रभावित होते हैं।

भारतवर्ष की कुल आबादी में से लगभग 70 करोड़ लोग गांवों में निवास करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या मुख्यतः कृषि तथा कृषि पर आधारित व्यवसायों पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सामाजिक विकास के अनेक अन्य कार्यक्रम हैं। ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण की अनिवार्य आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र के विकास का आधारभूत स्तंभ विद्युत है। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है, अतः उन्नत कृषि तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विद्युतीकरण एक आधारभूत आवश्यकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण में दो उद्देश्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करना शामिल है :

- उत्पादनोन्मुखी गतिविधियों जैसे – अल्प सिंचाई साधन और ग्रामीण उद्योग
- गांवों का विद्युतीकरण

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है : *"किसी गांव को विद्युतीकृत तब माना जाएगा यदि गांव की राजस्व सीमा के भीतर आवासीय इलाके में किसी भी उद्देश्य हेतु विद्युत का प्रयोग किया जा रहा हो।"*

स्वतंत्रता–प्राप्ति के उपरांत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु योजनाएं बनाई गईं तथा 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। निगम का मुख्य उद्देश्य देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। निगम की वित्तीय

* सहायक प्राध्यापक, सर हरीसिंह गौर महाविद्यालय, सागर सिटी (म.प्र.)

सहायता से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में जनजातीय गांवों और दलित बस्तियों सहित गांवों का विद्युतीकरण, पम्पसेटों का ऊर्जीकरण, कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों तथा सड़क प्रकाश के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाती है। पारेषण तथा वितरण व्यवस्था को मजबूत करने तथा इनमें सुधार के लिए साथ ही पवन ऊर्जा और पन बिजली जैसी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए भी निगम राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्यों के विद्युत मण्डलों के सहयोग से देश भर में योजनाओं को कार्यान्वित करता है। 1998–99 के दौरान 236 आबादी वाले गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 1667 सिंचाई पम्पसेटों को ऊर्जित किया गया। 1998 तक देश के करीब पांच लाख गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं। इसके साथ ही कुल जनजातीय गांवों के 70 प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण कर दिया गया और 2,91,188 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। वर्ष 1988–89 में भारत सरकार द्वारा कुटीर ज्योति नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य हरिजन तथा आदिवासी सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के घरों में एक बत्ती कनेक्शन देना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत मण्डलों को अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर 1998 तक 20.11 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में संवितरण किए गए। निगम की योजनाओं के अंतर्गत 1998 तक 3 लाख से अधिक गांवों में विद्युतीकरण तथा 72 लाख पम्पसेटों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण की राज्यवार वर्तमान स्थिति को तालिका–1 में दर्शाया गया है।

ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 1998 तक देश के 12 राज्यों में फैली 41 ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को स्वीकृति प्रदान की है इनमें से 33 सहकारी समितियों द्वारा घरेलू

तालिका – 1

भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

राज्य	आबाद ग्रामों की संख्या (जनसंख्या 1991)	विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत 1997 तक
आन्ध्रप्रदेश	26,586	100.00
अरुणाचल प्रदेश	3,649	56.50
असम	24,685	77.00
बिहार	67,513	70.80
गोवा	360	100.00
गुजरात	18,028	100.00
हरियाणा	6,759	100.00
हिमाचल प्रदेश	16,997	100.00
जम्मू काश्मीर	6,477	97.30
कर्नाटक	27,066	100.00
केरल	1,384	100.00
मध्यप्रदेश	71,526	94.40
महाराष्ट्र	40,412	100.00
मणिपुर	2,182	86.50
मेघालय	5,484	45.00
मिजोरम	698	96.30
नगालैंड	1,216	89.50
उड़ीसा	46,989	69.90
पंजाब	12,428	100.00
राजस्थान	37,889	28.60
सिक्किम	447	100.00
तमिलनाडु	15,882	100.00
त्रिपुरा	855	92.20
उत्तर प्रदेश	1,12,803	77.20
पश्चिम बंगाल	37,910	77.20
योग	**5,86,165**	**84.89**

विद्युत कनेक्शन, सिंचाई पम्पसेटों का ऊर्जीकरण तथा उद्योगों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण में समस्याएं

संलग्न तालिका में देश के समस्त राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति को दर्शाया गया है। कुछ राज्यों ने अपना शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथा कुछ राज्य लक्ष्य के निकट हैं लेकिन केवल गांव में बिजली लग जाना ही विद्युतीकरण की परिभाषा को पूरा नहीं करता। भारत के सभी राज्य भौगोलिक दृष्टि से बनावट में अलग–अलग प्रकार के हैं और कई स्थानों पर विद्युत उपलब्ध कराना अत्यंत कठिन कार्य होता है। साथ ही भौगोलिक वितरण की असमानता के कारण पारेषण और वितरण की लागत भी अधिक आती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत भेजने में विद्युत का अपव्यय भी होता है। देश में विद्युत की मांग अधिक होने और उत्पादन कम होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के गांव जिन्हें विद्युतीकृत ग्राम कहा जाता है वहीं पर विद्युत की सर्वाधिक कटौती भी होती है। परन्तु सिंचाई के समय शहरी क्षेत्रों से विद्युत की कटौती कर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण की एक समस्या यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय करने वाले उपकरणों की मरम्मत और रख–रखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इससे इन उपकरणों का उनकी क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं हो पाता।

ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता तथा नैतिक जिम्मेदारियों की समझ का अभाव पाया जाता है इसलिए लोग विद्युत के उपयोग के बदले उसका राजस्व भुगतान समय पर नहीं करते। इसका प्रभाव ग्रामीण विद्युतीकरण की विकास योजनाओं पर पड़ता है। सामान्य जागरूकता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग देश तथा समाज हित के विपरीत विद्युत का दुरुपयोग करते हैं। विद्युतीकरण कार्यक्रम को राज्यों की राज्य सरकारों के निर्णय भी प्रभावित करते हैं। राज्य सरकारें जब कृषकों को निर्धारित अश्व–शक्ति के सिंचाई पम्पों को चलाने के लिए निःशुल्क बिजली देती हैं तब कृषक इस सुविधा के अधिकार का दुरुपयोग कर अधिक अश्वशक्ति के विद्युत पम्पों का उपयोग कर आवश्यकता से अधिक विद्युत का उपभोग करते हैं। परिणामस्वरूप इससे होने वाली आर्थिक हानि का प्रभाव अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ विद्युतीकरण कार्यक्रम पर भी पड़ता है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की सफलता में एक

समस्या विद्युत चोरी की भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक विद्युत की लाइन से सीधे ही कनेक्शन लेकर कृषि संबंधी उपकरणों का उपयोग करते हैं। इससे आर्थिक हानि के साथ–साथ जनहानि का भी खतरा रहता है।

समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की शत–प्रतिशत सफलता के लिए कुछ आवश्यक उपायों पर ध्यान देना होगा। छोटे–छोटे गांवों की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति उसी क्षेत्र के उपलब्ध जल संसाधनों से लघु पनबिजली संयंत्र लगाकर की जाए। इससे पारेषण और वितरण लागत में भी बचत होगी। जिन क्षेत्रों में कोयला संसाधन उपलब्ध हो वहां लघु ताप विद्युत गृह स्थापित कर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन क्षेत्रों में जहां संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हैं या वहां संसाधनों का अभाव है, उन क्षेत्रों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के प्रचार–प्रसार पर जोर दिया जाना चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिस गांव का विद्युतीकरण किया जाता है वहां यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उस गांव या क्षेत्र में पूरे समय विद्युत उपलब्ध हो।

राज्य सरकारों द्वारा किसानों के हित में निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने जैसे निर्णयों से एक ओर विद्युत के दुरुपयोग की आदत पड़ती है वहीं दूसरी ओर विद्युत मंडलों और राज्य सरकारों को आर्थिक हानि होती है।

छोटे–छोटे गांवों की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति उसी क्षेत्र के उपलब्ध जल संसाधनों से लघु पनबिजली संयंत्र लगाकर की जाए। इससे पारेषण और वितरण लागत में भी बचत होगी। जिन क्षेत्रों में कोयला संसाधन उपलब्ध हो वहां लघु ताप विद्युत गृह स्थापित कर स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन क्षेत्रों में जहां संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हैं उन क्षेत्रों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के प्रचार–प्रसार पर जोर दिया जाना चाहिए।

अतः इस प्रकार के फैसलों पर रोक लगनी चाहिए। किसानों को राहत देने के लिए इस प्रकार के निर्णयों की प्रक्रिया को बदलना होगा। प्रथम तो किसान विद्युत बिल का भुगतान विद्युत मंडल को करें तथा बाद में राज्य शासन उन बिलों का एक निश्चित प्रतिशत किसान को प्रतिपूर्ति कर दे। इस प्रकार की प्रक्रिया में विद्युत का दुरुपयोग तथा विद्युत चोरी दोनों पर ही अंकुश लगाया जा सकेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहकारिता की भावना का विकास करना होगा। छोटी–छोटी ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां बनाकर उनका कार्य उन्हें सौंप देना चाहिए। देश में अभी केवल 12 राज्यों में मात्र 41 ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां हैं जिनमें से केवल 33 ही परिचालित हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलता हेतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है लोगों की जागरूकता तथा देश–हित की भावना। जब तक देश का हर नागरिक देश के कल्याण तथा व्यक्तिगत जवाबदेही के बारे में विचार नहीं करेगा तब तक किसी भी अच्छे कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध रहेगी। ❑

(पृष्ठ 24 का शेष) **नारी शिक्षा और ग्रामीण विकास**

जो उत्तर प्रदेश में 25.31 प्रतिशत है। केरल में बच्चों के जन्म का औसत 2.6 है, वहीं उत्तर प्रदेश में 3.4 है। कम बच्चों के जन्म का अर्थ है उनके लालन–पालन की समुचित व्यवस्था होना। केरल में दो वर्ष की आयु वाले 54.4 प्रतिशत बच्चों की शिशु रक्षा के सभी टीके लग जाते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में इसी उम्र के बच्चों में टीके का यह प्रतिशत 18.8 ही है। केरल और उत्तर प्रदेश के बीच इतने सारे अन्तरों के मूल में स्त्री की जागरूकता और शिक्षा ही है।

स्त्री–शिक्षा के विषय में गलत सोच

स्त्री–शिक्षा की उपेक्षा के विषय में बहुत से ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षित युवकों को तो नौकरी मिल ही नहीं पा रही है, ऐसे में लड़कियां पढ़ कर क्या करेंगी? उल्टे यदि पढ़ने–लिखने के चक्कर में उनकी उम्र बढ़ जाएगी तो शादी–विवाह में दिक्कत आएगी, दहेज की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लड़की की शिक्षा के अनुरूप वर की तलाश करनी होगी। वास्तव में यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे देश में शिक्षा को मात्र नौकरी या रोजगार से जोड़कर देखा जाता है। शिक्षा से होने वाले समाजोत्थान और परिवर्तन को नकार दिया जाता है जबकि समाज परिवर्तन से रोजगार की सम्भावनाएं स्वतः बढ़ती हैं।

महिला शिक्षा के अभाव में ग्राम विकास का प्रयास निरर्थक

गांवों के विकास के सन्दर्भ में महिला शिक्षा अनिवार्य है। यदि समय रहते इस दिशा में पर्याप्त ध्यान न दिया गया तो ग्रामीण विकास के हमारे प्रयास अधूरे ही रह जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर निश्चय ही उनके महत्व को स्वीकार किया है, लेकिन शिक्षा के अभाव में ये महिला जन–प्रतिनिधि रबर स्टैम्प बनकर रह जाएंगी।

महिलाओं के लिए प्रस्तावित संसद और विधानसभा की 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण भी शिक्षा के अभाव में ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यर्थ साबित हो जाएगा और इसका लाभ सीधे–सीधे शहरी और पढ़ी–लिखी महिलाएं ले लेंगी और शिक्षा के अभाव में ग्रामीण महिलाएं जहां की तहां ही रह जाएंगी।

अनुभव बताते हैं कि दुनियां के जो भी देश आज समृद्ध और शक्तिशाली हैं, वे पुरुष के साथ स्त्री शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़े हैं। हम भी यदि अपने गांवों को समृद्ध, शक्तिशाली और आर्थिक रूप से सुदृढ़ देखना चाहते हैं तो ग्रामीण महिलाओं को सुशिक्षित करना ही होगा, अन्यथा हमारा ग्राम विकास का सपना, सपना ही रह जाएगा। ❑

आदिवासी अर्थव्यवस्था में वनोपजों का विपणन

मध्य प्रदेश के जशपुर जिले के संदर्भ में

डा. पी.के. अग्रवाल*

लेख में मध्यप्रदेश के जशपुर जिले में विभिन्न वनोपजों के उत्पादन और इन उपजों के वहां के आदिवासियों के जीवन में महत्व की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के आंने से आदिवासियों की आय बढ़ी है। परन्तु आदिवासियों का शोषण अभी बन्द नहीं हुआ है। इस दिशा में सरकारी प्रयासों का उल्लेख करते हुए लेख में शोषण समाप्त करने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं।

मानव का अस्तित्व वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के अस्तित्व पर निर्भर करता है। हजारों साल से वन आदिवासी समाज के घर–आंगन रहे हैं। वनों से वनवासियों को खाद्य पदार्थ, चारा, जलाऊ लकड़ी और विभिन्न प्रकार की वनोपज प्राप्त होती रही है और वे उन पर निर्भर रहे हैं।

भारत का हृदय–स्थल राज्य मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वनसंपदा के अकूत भण्डारों के स्वामित्व वाला प्रदेश है। प्रदेश का अकेला बस्तर जिला ही देश के 10 प्रतिशत वन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की लघु वनोपजों का उपयोगिता की दृष्टि से वनोपज संग्राहकों, आदिवासियों, हरिजनों और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।

बहुत कम लोग ही यह जान और समझ सकते हैं कि वन और आदिवासियों के मध्य संबंध कैसा होता है? अपनी आकर्षण शक्ति में भू–सम्पति के बाद वनों का स्थान है। यह उनका घर है, उनकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने वाला और उन्हें चलाने का साधन है। वनों से प्राप्त होने वाली वनोपजों की वनवासियों ने जीवन जीने के क्रम में स्वयं के लिए उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है। कतिपय वनोपज आदिवासियों की क्षुधा को कमाधिक्य तृप्त करती रही है और कुछ को वनवासियों ने जीवन के अन्य उपयोगों हेतु अपनाया है।

जशपुर जिले का परिचय

मध्य प्रदेश के सुदूरपूर्व आदिवासी वनांचल में अवस्थित जशपुर जिले में वन क्षेत्र समुद्र सतह से 274 मीटर से 1136 मीटर तक ऊंचे हैं। वनसंपदा नवगठित जशपुर जिले का श्रृंगार है। जिले में प्राप्त होने वाले तेंदूपत्ता, सालबीज, हर्रा, गोंद, चिरौंजी, आंवला और अन्य वनोपज इसकी समृद्धि के साधन हैं। क्षेत्र के वनवासियों के लिए वनों और इनसे प्राप्त होने वाली

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शास. पालू धना. वाणिज्य और कला महाविद्यालय, रायगढ़ म.प्र.

सरकारी प्रयासों के बावजूद आदिवासियों का शोषण अभी जारी है

वनोपजों का विशेष महत्व है। क्षेत्र में साल, बीजा, धौंरा, जामुन, महुआ और साजा के वृक्ष हैं।

जिले में वनोपजों का संग्रहण मुख्यतः प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है और बादरखोल अभयारण्य में भी वनोपज संग्रहीत किए जाते हैं। वनोपज समितियां मुख्य रूप से राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों तथा तेंदूपत्ता, सालबीज, हर्रा और गोंद वर्ग–2 (धांवड़ा खैर, बबूल) का संग्रहण करती हैं। हर्रा और गोंद के संग्रहण के लिए जशपुर वनमण्डल को एक इकाई मान लिया गया है।

क्षेत्र के वनोपजों का उपयोग और विपणन

आदिवासियों द्वारा एकत्र की जाने वाली वनोपजों का उपयोग मुख्यतः दो प्रकार से होता है :–

- निजी उपयोग
- विक्रय हेतु उपयोग

स्वयं के उपयोग की वनोपजों में गुली का तेल, सरई बीज का तेल, चिरौंजी, मूसली कांदे से प्राप्त तीखूर आदि मुख्य हैं जबकि विक्रय की जाने वाली वनोपजों में आंवला, हर्रा, बहेड़ा, तेंदूपत्ता, सालबीज गोंद, वायविडिंग, अण्डी के बीज, इमली, इमली के बीज, कुसुम, धवई के फूल आदि मुख्य हैं।

तेंदूपत्ता, सालबीज, हर्रा और गोंद वर्ग मुख्य हैं, इनका संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है।

जिले/क्षेत्र की मुख्य वनोपजें निम्नानुसार हैं :

तेंदूपत्ता : जशपुर जिले में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा 45–50 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता प्रतिवर्ष संग्रहित किया जाता रहा है। तेंदूपत्तों का विपणन राज्य स्तरीय लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल द्वारा किया जाता है।

सालबीज : यह भी एक राष्ट्रीयकृत वनोपज है जो प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा खरीदी जाती है। संग्रहीत बीज राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित संस्थानों को बेचा जाता है।

गोंद वर्ग–2 : जिले के वनों में इस वर्ग का गोंद अल्प मात्रा में ही होता है। यह गोंद खाने के काम आता है। औषधीय गुणयुक्त यह गोंद बलवर्धक होता है। महिलाओं को यह गोंद प्रसवोपरांत पुष्टि हेतु दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस गोंद से औषधियां भी बनाई जाती हैं।

आंवला, हर्रा, बहेड़ा : आंवला, हर्रा तथा बहेड़ा को सुखाकर स्थानीय व्यापारियों को बेच दिया जाता है। जहां से यह बड़े–बड़े व्यापारियों तथा औषधि निर्माताओं तक पहुंचता है। हर्रा का प्रयोग औषधि निर्माण और चमड़ा पकाने में किया जाता है। इसका मुख्य बाजार कानपुर है।

चिरौंजी : छोटी वनोपज के अंतर्गत क्षेत्र में चिरौंजी का भारी मात्रा में संकलन होता है। जंगल में चार के पेड़ पाये जाते हैं जो करोंदे के सदृश्य कांटेदार होते हैं। इन्हीं में यह फल लगता है जिसे चार कहते हैं। इन फलों को पहले सुखाया जाता है फिर गुठली को फोड़कर गिरी प्राप्त की जाती है। यह चार फल की गिरी ही चिरौंजी है। इन सूखे हुए चार फलों को आदिवासी पत्थर से फोड़कर या चक्की में दलकर चिरौंजी प्राप्त करते हैं। जशपुर जिले में अनुमानतः 200 क्विंटल चिरौंजी का उत्पादन होता है। इसका मुख्य बाजार दिल्ली है।

महुआ और महुआ बीज : महुआ गरीब आदिवासियों द्वारा खाया जाता है तथा इससे शराब भी बनाई जाती है। क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी घरों में महुए से शराब बनाई जाती है। महुआ बीज (डोरी) का तेल निकाला जाता है जो खाने और साबुन बनाने के काम आता है। वनक्षेत्र से महुआ बीज रांची, रायपुर और महासमुन्द भेजा जाता है।

वनोपजों के संग्रहण और विपणन से आय

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया है कि वनोपज संग्राहक परिवारों की औसत आय में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के गठन के पूर्व और गठन के पश्चात में अन्तर रहा है। वनोपज संग्राहकों की आय में मुख्यतः तेंदू पत्ता तथा सालबीज से आय का भाग 90 से 95 प्रतिशत तक रहा है तथा छोटी वनोपजों की आय 5 से 10 प्रतिशत तक रही है। वनोपज संग्राहकों की आय की स्थिति तालिका–1 में दर्शायी गई है।

तालिका–1 से स्पष्ट है कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के गठन के पश्चात् वनोपज संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है। पूर्व की तुलना में उन्हें अपने द्वारा संग्रहीत वनोपजों का उचित मूल्य मिलने लगा है। खारीझरिया जो कि जिले का एक ग्राम है, के वनोपज संग्राहकों की पूर्व की औसत आय 730 रुपये प्रति परिवार थी परन्तु अब उनकी औसत आय 1,350 रुपये है अतः आय में 84.94 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। साजबहार के वनोपज संग्राहकों को पूर्व की तुलना में 1,025 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं जबकि डूमरपानी वनग्राम के संग्राहकों को पूर्व की तुलना में 527 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं, रुपयों के रूप में यह वृद्धि सर्वाधिक साजबहार तथा न्यूनतम डूमरपानी में रहा है जबकि प्रावसस के गठन के पश्चात् ग्राम खारीझरिया के वनोपज संग्राहकों की आय पूर्व की तुलना में 84.94 प्रतिशत बढ़ गई है।

तालिका–1

वनोपज संग्राहकों की आय
(प्रा.व.स. सं. के गठन के पूर्व और पश्चात्)

क्रमांक	ग्राम का नाम	पूर्व की औसत आय	पश्चात् की औसत आय	आय में वृद्धि (रुपये में)	आय में वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	पण्डरापाठ	1100	1751	651	59.18
2.	धाधरा	1120	1880	760	67.86
3.	बधिमा	1240	2052	812	65.48
4.	सरईटोला	880	1415	535	60.80
5.	खारीझरिया	730	1350	620	84.94
6.	अमडीहा	940	1651	711	75.64
7.	साजबहार	1475	2500	1025	69.49
8.	बंदरचुवां	885	1610	725	81.92
9.	सिहारबुड़	905	1505	600	66.30
10.	डूमरपानी	625	1152	527	84.32

(टीप :– प्रा.व.स.सं. – प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति)
स्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित वर्ष 94–95.

निष्कर्ष के रूप में देखे जाने पर न्यादर्शी सभी ग्रामों में वनोपज संग्राहकों की आय पूर्व की तुलना में उत्साहजनक रूप से बढ़ी है परन्तु उनके रहन सहन, जीवन–स्तर में कोई उल्लेखनीय अन्तर देखने को नहीं मिला क्योंकि आय में वृद्धि होने के साथ–साथ महंगाई का स्तर भी बढ़ा है। अतः प्राप्त मुद्रा से उनकी क्रय शक्ति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

चयनित ग्रामों में वनोपजों के विपणन में मूल्य अंतर

आदिवासी और वन एक दूसरे के पूरक रहे हैं। डा. ब्रह्ममदेव शर्मा ने लिखा है – "आदिवासी अर्थव्यवस्था अनादिकाल से लघु वनोपज पर आश्रित रही है।"

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेषकर तेन्दूपत्ता, साल बीज, हर्रा और गोंद वर्ग–2 आदि लघु वनोपजों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। परन्तु वनोपजों के विपणन में आदिवासियों का शोषण एक जानी–पहचानी कहानी रही है जो अनन्तकाल से चली आ रही है। सरकार द्वारा वनोपजों का घोषित मूल्य हर जगह उन्हें प्राप्त नहीं होता। संग्रहण की दरें सरकार द्वारा जरूर तय की जाती हैं परन्तु सुदूरपूर्व आदिवासी क्षेत्रों में आज भी उनके शोषक अपने विभिन्न रूपों में उनका शोषण कर रहे हैं। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं वहां वनोपजों के समर्थन मूल्य और प्राप्त मूल्य में अंतर होता है। भोले–भाले आदिवासियों के साथ आज भी तेन्दूपत्ता की गड्डियों की गिनती में धोखाधड़ी की जाती है। वनोपज संग्रहण कार्ड में कम संग्रहण दर्ज किया जाता है साल बीज आदि भी तौल में अधिक लेने का प्रयास होता है। पंचोर व्यवस्था आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में प्रचलित है।

तेन्दूपत्ता के संबंध में मूल्य अंतर 5 से 10 रुपये प्रति 100 गड्डी तथा साल बीज के संबंध में मूल्य अंतर 10 से 15 रुपये प्रति क्विंटल होता है। महुआ अधिकांशतः घरों में ही प्रयुक्त होता है और चिरोंजी, गोंद आदि आस–पास के बाजार/हाट में व्यापारियों के पास बेच दी जाती है। व्यापारी गोंद और चिरोंजी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं नमक के बदले में खरीद लेते हैं या बहुत ही कम दर से खरीदकर उनका शोषण करते हैं।

वनों की बढ़ती जा रही निरंतर कटाई से वनोपजों का सीमित मात्रा में उत्पादन होने के कारण विपणन क्षेत्र भी संकुचित हो जाता है। परम्परागत पद्धतियों के अपनाए जाने के कारण आज भी आदिवासी अर्थव्यवस्था में

परम्परागत पद्धतियों के अपनाए जाने के कारण आज भी आदिवासी अर्थव्यवस्था में हाट–बाजारों की तुलना में वस्तु विनिमय की प्रथा ही अधिक प्रचलित है। आदिवासियों के अशिक्षित होने, बाजार के दूर होने, मीट्रिक प्रणाली का प्रचलन कम होने तथा ऋणग्रस्तता के कारण वनोपजों के क्रय–विक्रय दोनों में ही आदिवासियों का शोषण किया जाता है।

हाट–बाजारों में वस्तु विनिमय की प्रथा ही अधिक प्रचलित है। आदिवासियों के अशिक्षित होने, बाजार के दूर होने, मीट्रिक प्रणाली का प्रचलन कम होने तथा ऋणग्रस्तता के कारण वनोपजों के क्रय–विक्रय दोनों में ही आदिवासियों का शोषण किया जाता है आदिवासी विपणन मुख्य रूप से किसानों, दलालों और शहरी व्यापारियों के इर्द–गिर्द ही घूमती है। आदिवासियों को उनकी कीमती वस्तु के बदले सस्ती वस्तुएं देकर उनका शोषण किया जाता है।

क्रय शक्ति कम होने, संग्रहण की सुविधा न होने तथा यातायात के साधनों की कमी के कारण आदिवासियों का शोषण और भी अधिक किया जाता है। भोपाल स्थित आदिम जाति अनुसंधान संस्थान ने ही अपने मूल्यांकन अध्ययनों में लिखा है –

"The tribals are not even free to sale their goods in their best interests .....

एक अन्य मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार –"

"One of the worst forms of exploitation to which the tribal are exposed is through traditional money lending."

स्पष्ट है कि आज भी सभ्य जनता से दूर वन प्रांतर के मध्य रहने वाले अभावग्रस्त और पिछड़ी आदिम जातियों का शोषण महाजनों और व्यापारियों द्वारा किया जाता रहा है। आदिवासी किसी न किसी रूप में उनकी गिरफ्त में रहते हैं।

शोषण समाप्त किए जाने हेतु सरकारी प्रयास

वनोपजों के संग्रहण और विपणन में गरीब आदिवासियों और वनवासियों का शोषण कम करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं :

- वनोपज व्यवसाय का सहकारीकरण करना
- वनोपजों के समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि करना
- तेंदूपत्ता संग्राहकों को मजदूर से मालिक बनाने का प्रयास करना
- वनोपज व्यवसाय से बिचौलियों का लगभग उन्मूलन करना
- वनोपज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन
- लाखों वनवासियों को रोजगार प्रदान करना
- सामूहिक बीमा योजना वनोपज संग्राहकों हेतु लागू करना
- तेंदूपत्ता पाठशालाओं की स्थापना

सुझाव

वनोपजों के विपणन में आदिवासियों और भोले–भाले ग्रामीणों की शोषण की कहानी अनन्तकाल से चली आ रही है। इस दिशा में अनेक शासकीय प्रयास भी किए गए हैं परन्तु निम्न सुझावों को यदि व्यावहारिक रूप से अमल में लाया जाए तो आदिवासी अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है :

- दूरस्थ अंचल के गांवों में आज भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उन्हें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए इससे ग्रामीण विकास को बल मिलेगा।
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अतः उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जानी चाहिए।
- मध्यप्रदेश का तेन्दूपत्ता अन्य राज्यों को बाहर भेजने के कारण प्रदेश के बीड़ी श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता। अतः बीड़ी श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार मिले इस हेतु तेन्दूपत्ता बाहर न भेजा जाए। बीड़ियां मध्यप्रदेश में ही बनवाई जानी चाहिए।
- शाखकर्तन (बूटा कटाई) का कार्य समय पर कराया जाना चाहिए। इससे अच्छे किस्म के पत्ते मिलने में आसानी होगी।
- वनोपजों के संग्रहण, भंडारण और विपणन का अधिकार वनोपज समितियों को ही दिया जाना चाहिए ताकि संबंधित समितियों को उचित लाभ मिल सके।
- अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों जैसे – चिरोंजी, आम गुठली, कुसुमबीज आदि का संग्रहण भी वनोपज समितियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। इससे आदिवासियों/वनोपज संग्राहकों का शोषण कम होगा।
- समिति प्रबंधकों का अल्प वेतन और उस पर भी नियमित रूप से भुगतान न होना समिति प्रबंधकों को उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाह बनाने में अपना योगदान देता है। अतः सुझाव है कि योग्य समिति प्रबंधकों की सेवाएं नियमित की जाएं तथा उन्हें नियमानुसार वेतन और भत्ते प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।

यदि उपरोक्त सुझावों पर अमल किया जाए तो वनोपजों के विपणन में शोषण से काफी हद तक वनवासियों को बचाया जा सकता है जो कि आदिवासी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ❑

परिवार की संरचना से जुड़े पहलू

सिमरन कौर

परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, समाज में सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए परिवार में स्नेह–भाव होना जरूरी है। लेकिन आज हमारे परिवारों के ढांचे में परिवर्तन हो रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। एकल परिवार बढ़ रहे हैं। तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं। जिसका असर परिवार और बच्चों पर पड़ता है। औसत आयु बढ़ने से बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है पर उनकी उपेक्षा भी बढ़ रही है। आतंकवाद के कारण भी अनेक परिवार प्रभावित हुए हैं। परिवार दिवस के अवसर पर इन सभी समस्याओं पर विचार करने की जरूरत है।

हम लोगों में से अनेक लोगों को शायद ही यह पता हो, कि 15 मई को दुनियाभर में परिवार दिवस माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 15 मई को परिवार दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस वर्ष 15 मई को छठी बार परिवार दिवस मनाया जा रहा है। सन् 1994 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिवार दिवस की शुरुआत की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और परिवार, समाज की सबसे छोटी इकाई है, संयुक्त राष्ट्र को एक छोटे परिवार से क्या लेना देना, इसका उत्तर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उस सन्देश में निहित है जिसमें उन्होंने कहा था, कि बच्चा पारिवारिक सम्बन्ध अपने घर के वातावरण से ही सीखता है, और इन्हीं सम्बन्धों पर सामाजिक ढांचा निर्भर है। यदि पारिवारिक जीवन में हर सदस्य के अधिकारों के प्रति आदर और सहिष्णुता है, तो समाज में भी यही मूल्य स्थापित होंगे और इन्हीं सम्बन्धों के आधार पर तो विभिन्न राष्ट्रों के सम्बन्ध निर्भर करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में और भारत जैसे विशाल देश के अलग–अलग हिस्सों में परिवार से सम्बन्धित विभिन्न धारणाएं विद्यमान हैं। लेकिन इस तथ्य से कोई इंकार नहीं करता कि परिवार चाहे वे संयुक्त परिवार हों अथवा एकल परिवार, परिवार समाज की एक मूल इकाई है।

सामाजिक परिवर्तन

परिवार की संरचना में धीरे–धीरे परिवर्तन हो रहा है, और यह परिवर्तन किसी एक देश या समाज तक सीमित नहीं है। यद्यपि विभिन्न समाजों में अलग–अलग तरह के परिवर्तन हुए हैं और आज भी हो रहें हैं, तब भी कुछ बातें एक सी हैं। बड़े परिवारों की अपेक्षा अब छोटे परिवार अधिक देखने में आते हैं। सामाजिक मूल्यों के बदलाव से पारिवारिक सम्बन्धों में भी काफी बदलाव आते जा रहे हैं। औपचारिक विवाह को अब वह महत्व नहीं दिया जा रहा है, जैसे पहले था। सभी देशों में तलाक तेजी से बढ़ रहा है, आज दुनिया भर में एक तिहाई परिवार ऐसे हैं, जिनमें केवल एक ही अभिभावक है, और वह भी अक्सर मां होती है।

शादियां अक्सर देर से होने लगी हैं। बाल विवाह धीरे–धीरे घट रहें हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण औसत आयु बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अब औसत आयु 66 वर्ष हो गई है, आगामी वर्षों में यह और बढ़ जाएगी। इससे परिवार में वृद्धों की संख्या बढ़ी है और बहुत से परिवारों में तो अब बुजुर्ग ही बचे हैं। विकसित देशों में बच्चों की संख्या बराबर कम होती जा रही है। अगर वहां यह चिन्ता का विषय है, तो भारत जैसे देशों के लिए बढ़ती आबादी एक बड़ी चुनौती है। ये समस्या विशेष रूप से अनेक अफ्रीकी देशों में और भी विकट है और विकसित देशों में ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अपने पति

खो चुकी हैं। भारत में भी समाज के सम्पन्न वर्ग में भी यह स्थिति होती जा रही है। यद्यपि जनसाधारण की मानसिकता के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके सामाजिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है। वैज्ञानिक प्रगति उनके लिए अभिशाप बन गई है, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 99 प्रतिशत भ्रूण हत्याएं कन्या शिशु की होती हैं।

अनुपात में कमी

इन सबके चलते देश में स्त्रियों का अनुपात बराबर गिरता जा रहा है, ऐसी और भी बहुत–सी बातें हैं, जिनका असर परिवार और समाज पर पड़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है, कि हम इन होने वाले परिवर्तनों के प्रति जागरूक हों, वांछित परिवर्तन रोकें और अपरिहार्य परिवर्तनों के प्रभाव को समझें और उनसे निपटने के लिए परिवार, समाज, देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रयास करें। इस वर्ष परिवार दिवस का विषय है, परिवार के मानवाधिकारों का सम्बन्ध। यह विषय इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, कि हम आज मानव–अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की स्वर्ण जयंती मना चुके हैं। यदि हम एक परिवार में सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे लिए विश्व भर में मानव अधिकारों की बात करना बिल्कुल बेमानी है। क्या आज हमारे देश के सन्दर्भ में यह सोचना जरूरी नहीं है कि एक बच्ची को उसके जन्म से पहले या बाद जीने के अधिकार से वंचित क्यों किया जाए, यदि जीने भी दिया जाता है तो उसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अधिकारों से वंचित क्यों किया जाता है, क्या इस भेदभाव से हमारे समाज और परिवार में विकार उत्पन्न नहीं होंगे? जिस देश में 60 प्रतिशत महिलाएं बुनियादी शिक्षा से वंचित हों, क्या वह देश सचमुच तरक्की कर सकता है?

परिवार बिखर रहे हैं

हमें यह भी देखना है, कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कारणों से अनेक परिवार बिखर रहे हैं। घरों में होने वाली हिंसा बढ़ रही है। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण और संयुक्त परिवार टूटने से घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।

नशीली दवाओं और शराब का चलन बढ़ा है, और इसके दुष्प्रभाव परिवार को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को भुगतने पड़ रहे हैं। बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं भी अब अधिकाधिक प्रकाश में आ रही हैं। गरीबी और दूसरे कारण तो पहले ही थे, जिसके चलते बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाती।

देश के पूर्वोत्तर इलाकों में आतंकवाद की समस्या पहले से ही चली आ रही है। असम के कोकराझार में हुई घटना इसका उदाहरण है। देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक उपद्रव कोई नई बात नहीं है। क्या किसी ने सोचा, कि इन घटनाओं में कितने परिवार तबाह होते है? विशेषरूप से उन बच्चों और महिलाओं की क्या स्थिति होती है जिन्होंने रोजी–रोटी कमाने वाले पिता या पति को खो दिया है? क्या सरकार और स्वैच्छिक संगठन इस ओर ध्यान देते हैं, कि जो परिवार आज से दो–चार या पांच–दस साल पहले इस तरह बिखर गए थे, आज उनकी क्या स्थिति है? आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा से ग्रसित और भूख और बीमारी से पीड़ित इन परिवारों के लिए हमने क्या किया है?

क्या आज हमारे देश के सन्दर्भ में यह सोचना जरूरी नहीं है कि एक बच्ची को उसके जन्म से पहले या बाद जीने के अधिकार से वंचित क्यों किया जाए, यदि जीने भी दिया जाता है तो उसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अधिकारों से वंचित क्यों किया जाता है, क्या इस भेदभाव से हमारे समाज और परिवार में विकार उत्पन्न नहीं होंगे? जिस देश में 60 प्रतिशत महिलाएं बुनियादी शिक्षा से वंचित हों, क्या वह देश सचमुच तरक्की कर सकता है?

आज के दिन हममें से अगर थोड़े से लोग भी इसके प्रति सजग नहीं होते हैं, और कुछ प्रयास नहीं करते हैं, तो परिवार दिवस मनाए जाने का कोई अर्थ है। इस सम्बन्ध में एक–दो बातें और विचारणीय हैं। हमें यह देखना होगा कि जिन परिवारों में केवल मां ही अभिभावक है, उनकी स्थिति क्या है? संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि लगभग 9 प्रतिशत ऐसे परिवार गरीबी में अपने दिन काट रहे हैं। बच्चों की स्थिति और भी दयनीय है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं नसीब नहीं हैं, और इससे बच्चों के बिगड़ने की आशंका कहीं अधिक बढ़ जाती है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मानव–अधिकारों की घोषणा 1949 में की गई। आज 50 साल बाद हमें उस पर एक नजर दोबारा डालने की जरूरत है। घोषणा में कहा गया था कि हरेक व्यक्ति और परिवार के लिए बुनियादी सुविधा जुटाना जरूरी है। और यह एक मानव अधिकार है। घोषणा में यह भी कहा गया था, कि यदि कोई व्यक्ति या परिवार बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था अथवा शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण अपने लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने में असमर्थ है तो उसके लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध करना सामूहिक दायित्व है। गरीबी और साधनों की कमी के कारण यह दायित्व निभाना देश के लिए कठिन जरूर है लेकिन यह कठिनाई काफी कम हो सकती है बशर्ते परिवार और समाज स्तर पर जागरूकता लाई जाए और समाज इस मामले में उदासीन न रहे। सोचने की बात है, कि जो परिवार इन प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहें हैं वे परिस्थितियां कभी हमें भी प्रभावित कर सकती हैं। सामाजिक ढांचा कमजोर होगा तो उससे कोई भी परिवार प्रभावित हो सकता है। इसलिए आवश्यक उपाय करना हम सबके हित में है। ❑

एक पुलिया ने जोड़ा पन्द्रह गांवों को मुख्य सड़क से

हरिशंकर शर्मा

मध्य प्रदेश की जिला पंचायत उज्जैन द्वारा स्वीकृत राशि से खाचरौद विकास खंड में बनी एक पुलिया ने लगभग पन्द्रह गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ दिया है।

खाचरौद तहसील के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में बारिश के मौसम में नदी–नाले आए दिन पहुंच मार्गों को रोक कर खड़े हो जाया करते हैं। ऐसा ही एक नाला ग्राम पंचायत भैसोला का है जो पूरे मौसम लोगों का रास्ता रोक लिया करता था।

इन्हीं परेशानियों के मद्देनजर ग्राम पंचायत भैसोंला के सरपंच रहे युवराजसिंह पंवार और जिला पंचायत सदस्य चन्द्रप्रकाश चौरड़िया की पहल पर और पन्द्रह गांवों की जनता के दबाव के चलते जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित रोजगार मद से 1998–99 में स्वीकृत की गई, 2 लाख 10 हजार रुपये की राशि से अब इस नाले पर पुलिया बन कर तैयार हो गई है। इस पुलिया के बनने से टेम्पो का आवागमन, जो ग्राम भैसोला के नाले के इस पार तक ही आकर रुक जाया करता था, अब ग्राम बरबोदन और श्रीवच्छ तक जाने लगा है। अब भेसोला ही नहीं, इसके आसपास के ग्राम बंजारी, नवाखेडी, पाडलिया, बामनिया, बामनखेड़ी, खेड़ा, लौह चितारा, गोठड़ा, बरबोदना, श्रीवच्छ, ललाना, बटलावदी जलोद और पानवस्त गांव के निवासियों ने इस बारिश में उफनते नाले के ऊपर से गुजरने का रोमांच महसूस करेंगे।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और गिट्टी मार्गों पर आवाजाही बारिश में नदी नालों की वजह से आये दिन रुक जाने को ध्यान में रखते हुए अकेले खाचरौद विकासखंड में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत आठ पुलियाओं के निर्माण के लिए 16 लाख 51 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ❑

नई प्राथमिकताएं

सुरेन्द्रकुमार दे*

यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक तरह से मेरा बच्चा है और गलत या सही, इसी रूप में जाना जाता है। इस लिए मेरे लिए निष्पक्ष रहना बहुत कठिन है। साथ ही मैं यह भी नहीं कह सकता कि मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल ठीक और सही है। इसलिए मैंने दिल्ली की एक स्वतन्त्र संस्था, इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन से यह कहा कि विश्व कृषि मेले में देश के विभिन्न भागों से जो किसान आ रहे हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से सर्वेक्षण कर के यह पता लगाया जाए कि उनके दिमाग में क्या है। यह रिपोर्ट केवल तीन दिन पहले निकली है और वे इससे इतने प्रभावित हुए हैं कि उनका विचार इसे प्रकाशित करने का है। प्रकाशित होने पर मैं उसे माननीय सदस्यों के सम्मुख रखूंगा।

इस विवाद का उत्तर मैं अपने प्रिय मित्र श्री तंगामणि से शुरू करूंगा। कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही वह इसके प्रति बड़े उत्साही रहे हैं। इसलिए जब मैंने उन्हें यह कहते सुना कि मेरे अध्ययन के आधार पर तो यह कार्यक्रम पूरी तरह असफल रहा है तो मुझे बहुत निराशा हुई। मैं उस समय और भी अधिक असमंजस में पड़ गया जब उन्होंने एक विद्वान प्रोफेसर के लेख के कुछ अंश उद्धृत किए। मैंने वह लेख 'ल्यू स्टेट्समैन' में पढ़ा था और पढ़ते समय मैंने पहला काम यह किया कि उसे साइक्लोस्टाइल करा के अपने मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों में वितरित करा दिया। यह आवश्यक है कि जो कुछ इसमें लिखा है, हम उस पर विचार करें और यह देखें कि उसमें कितना सच है।

*कुरुक्षेत्र, मई 1960 अंक से उद्धृत

जैसा कि इस सदन को ज्ञात है, प्रो. रेने डुमां स.रा. जांच टोली के सदस्य थे और इसकी रिपोर्ट लिखने में इनका भी पूरा हाथ था। इस टोली ने काफी भारी भरकम रिपोर्ट दी। इसलिए जब विद्वान प्रोफेसर महोदय ने अलग से एक लेख लिखा तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ। तब से मैं अपने आप से बराबर यह पूछने की चेष्टा करता रहा हूं कि आखिर प्रो. महोदय कहना क्या चाहते हैं। मेरे सामने जो पहेली उपस्थित है, उसे मैं सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा। प्रो. महोदय अपने लेख के अन्त में कहते हैं –

"क्या भारत गैर–कम्युनिस्ट तरीके प्रयुक्त करते हुए वास्तविक सामाजिक क्रान्ति ला सकता है, जात–पात उड़ा सकता है और असमानताएं दूर कर सकता है? लगता है ऐसा नहीं होगा। आजकल ये उपाय अपनी असफलता के कारण कुख्यात हो गए हैं, शीघ्र ही इस बात की तसदीक सामुदायिक विकास योजना से हो जाएगी जिसे प्रायः अत्यन्त विश्वासपूर्वक साम्यवाद विरोधी महान गुप्त अस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।"

बहरहाल भारत में कोई गुप्त अस्त्र नहीं है। निश्चय ही हमारा कार्यक्रम किसी 'वाद' के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा।

"चीन शीघ्र ही हमें इस बात के लिए विवश कर देगा कि हम इन समस्याओं ,पर फिर से नई तरह विचार शुरू करें। क्या हम यह काम प्रभावकारी ढंग से और समय रहते कर सकेंगे?

यह बात दक्षिण भारत के 'हिन्दू' समाचार पत्र ने 23 मार्च, 1960 को मैसूर राज्य के कार्यक्रम के बारे में कही। मैसूर में कार्यक्रम के बारे में पहले हमें श्री ए. डी. गोरवाला से, फिर प्राक्कलन समिति और अन्य बहुत–सी समितियों से और स्वयं नियुक्त जांच कर्ताओं से रिपोर्ट मिलीं। 'हिन्दू' लिखता है –

"यदि हम मैसूर की ओर देखें, जो देश में आधुनिक उद्योग स्थापित करने वाला पहला राज्य था, तो हम देखते हैं कि गांवों ने शहरों के साथ–साथ कदम नहीं बढ़ाए और गांवों में जीवन स्तर नीचा रहा। सौभाग्यवश सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू होने से दशा सुधार की दिशा में बदलती हुई नजर आती है। हमारा बंगलौर सम्वाददाता जिसने अन्य पत्र–प्रतिनिधियों सहित छः विकास खण्डों के 25 गांवों का दौरा किया, लिखता है कि सभी जगह सहकारी समितियां खुल रही हैं और गांववाले सुधरे हुए बीजों, उर्वरकों, कम्पोस्ट बनाने और धान की खेती के जापानी तरीके सीख रहे हैं। पत्र–प्रतिनिधियों ने नऐ सामुदायिक भवन, स्कूल, युवक क्लब दस्तकारी समितियां और श्रमदान से बनी सड़कें देखीं। कई गांवों में तो विकास कार्य इतनी तेजी से हुआ कि सरकार भी वह अनुदान देने में असफल रही, जिसका उसने काम के आधार पर देने का वायदा किया था।"

अब मैं प्रो. टायनबी के कुछ शब्द उद्धृत करना चाहता हूं। प्रो. टायनबी इस देश में 2 या 3 वर्ष पूर्व आए थे। उन्होने कुछ सामुदायिक विकास योजनाएं देखीं। इस बार वह तीन भाषण देने आए थे। ये शब्द उनके अन्तिम भाषण के हैं –

"राजनीतिक दृष्टि से सभ्यता का सबसे बड़ा काम तब हुआ जब इसने किसान का बचा हुआ अनाज हथिया लिया, जबकि उत्पादक को अपनी पैदावार में से केवल उतना अनाज रखने की अनुमति दी गई, जितना उसके और उसके परिवार के पालन के लिए आवश्यक था। सभ्यता ने इस हथियाए हुए अनाज का उपयोज जनता के एक अल्पसंख्यक सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए किया। यह अल्पसंख्यक इस दृष्टि से सुविधा प्राप्त थे कि इन्हें रोजमर्रा का काम नहीं करना पड़ता था और अनाज पैदा करने, और उत्पादन करने और व्यापार करने से भी छुटकारा मिला हुआ था, जिसमें बाकी लोग सारा समय व्यस्त रहते थे। इस तरह इस अल्पसंख्यक वर्ग को दूसरे कामों के लिए समय मिल गया था और इन अल्पसंख्यकों के भी एक अल्पसंख्यक वर्ग ने अपना यह समय रचनात्मक कार्यों के लिए लगाया और आज तक सभ्यता को जितनी सफलता मिली है उस का श्रेय इसी वर्ग को है।

और इन अल्पसंख्यकों के बहुमत को सभ्यता के सारे दोषों और अपराधों का श्रेय प्राप्त है। तथापि हकीकत यह है कि सुविधा प्राप्त अल्पसंख्कों के रचनात्मक अल्पमत ने भी लगभग 5,000 वर्ष तक टैक्नोलौजी के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की।"

तब सामुदायिक विकास की चर्चा करते हुए वह कहते हैं –

"केवल पिछले 200 वर्षों से ही सभ्यता द्वारा निर्मित खाली समय प्राप्त इस अल्पमत ने गम्भीरतापूर्वक टैक्नालौजी की ओर ध्यान दिया है। ऐसा तो केवल हमारे जीवन–काल में ही हुआ है कि अन्ततः टेक्नोलौजी की प्रगति के फलस्वरूप समूची मानव–जाति नई सभ्यता की सुविधाओं का उपभोग कर रही है।

यही कुल मिला कर दुनिया की और खास तौर पर भारत की हालत है। दुनिया भर में रहनेवाले लाखों–करोड़ों किसानों का एक बड़ा भाग भारत की सीमाओं में रहता है और अन्त में किसानों को उनका उचित भाग देने का श्रेष्ठ कार्य भारतीय जनता और उसकी सरकार ने अपने हाथ में लियां है। इसमें पहले अपनी पिछली यात्रा में मैने बंगाल, तमिल राज्य और पंजाब में सामुदायिक विकास योजना का कार्य देखा था। मेरी समझ में इसकी खास बात यह है कि किसान को अपनी सहायता करने में सहायता दी जाती है। मैं यह समझता हूं कि अपनी सहायता आप करने में सहायता देने का पहला अर्थ यह है कि उनमें आशा, विश्वास, दृढ़–निश्चय और उत्साह की किरणें प्रज्वलित की जाएं। मैं मानता हूं कि भौतिक सुख के लिए अपनी सहायता करने की दिशा में किसान को प्रेरित करने के लिए यह एक आवश्यक भावना उत्पन्न करने का काम देते हैं। और यह भौतिक प्रगति आगे की अभौतिक प्रगति के लिए आवश्यक है। मुझे इस बात का भी थोड़ा सा आभास है कि भारत ने कितना बड़ा काम अपने हाथ में लिया है। इतने बड़े पैमाने पर इतनी महान क्रान्ति में निस्सन्देह कुछ निराशाजनक विलम्ब होगा और कुछ बाधाएं भी आएंगी। इसी बीच भारत की सामुदायिक योजना के भविष्य को शेष सारी दुनिया बड़ी उत्सुकता और व्यग्रता से निहार रही है। दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं कि भारत इस क्षेत्र में कितना काम कर रहा है, क्योंकि भारत बिना दबाव के समझा–बुझा कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। इस काम में भारत की सफलता या असफलता पर ही सारे विश्व में इस काम की सफलता या असफलता का भविष्य निर्भर करेगा; और यह सच्चे विश्व–समाज की स्थापना में सब से प्राथमिक आवश्यकता यह है कि लम्बे समय से उत्पीड़ित किसानों को मुक्त किया जाए।"

और सामुदायिक विकास कार्यक्रम वास्तव में यही करने की चष्टा कर रहा है।

ऊपर मैने इस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन की चर्चा की है। इनके पहले अनुच्छेद का निष्कर्ष इस प्रकार है :

"इस सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा है कि इससे एक ऐसा विशाल मानसिक परिवर्तन हो रहा है जो उस समाजिक पुनर्रचना का आधार हो सकता है, जिसमें भारतीय कृषि के लिए आवश्यक टेक्नोलाजिक परिवर्तन अधिक लाभकारी होंगे।"

विकासशील कार्यक्रम

यह विकासशील लोगों का विकासशील कार्यक्रम है। यह एक पुल, मकान या सिंचाई का बांध बनाने की तरह नहीं है जो कमरे की चार दिवारी में बैठ कर बनाया गया हो और स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में पूरा किया जाए। जब हम मनुष्यों के बारे में बातें करते हैं तो हमें प्रतिदिन नई व्याख्या करनी पड़ती है और लम्बी अवधि तक तो हमें नीतियां भी व्यवस्थित करनी पड़ती हैं और जब कुछ वर्षो बाद हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नीतियों में कई बड़े परिवर्तन हो गए हैं।

मैं यह कह कर अपनी जान नहीं छुड़ाना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों के लिए यह बात अवश्य नेकनामी की है कि अपनी राजनीतिक प्रशासनिक और अन्य सीमाओं के बावजूद वे अपनी ओर से पूरी चेष्टा व संघर्ष कर रहे हैं। परन्तु उनके आगे परस्पर–विरोधी मांगें होती हैं और परस्पर–विरोधी दबाव डाले जाते हैं। वे उनके आगे झुक जाते हैं और तब कठिनाई पैदा होती है। इस सदन में जो उद्‌गार प्रकट किए जाते हैं वे निचले स्तर पर गांव तक पहुंचते–पहुंचते इस कदर बदल जाते हैं कि आप को पता ही नहीं चलता कि वहां तक क्या पहुंचा है।

समन्वय

इस बारे में कई सुझाव दिए जा चुके हैं कि इस मंत्रालय को अनाज या किसी दूसरी बात के बारे में क्या करना चाहिए। इस बारे में सदन के सम्मुख इस मंत्रालय की भूमिका का चित्र रखना चाहूंगा। यह एक गतिशील तटस्थ मन्त्रालय है। यह बहुत जरूरी है कि यह ऐसा रहे। ज्यों ही इसने किसी का पक्ष लिया तो यह वह विशेष काम करने के योग्य नहीं रहेगा जो इसका अपना है। यह एक गतिशील तटस्थ मंत्रालय है जिससे यह आशा की जाती है कि यह सबसे निचले स्तर पर विभिन्न एक दूसरे से सम्बधित विशेष बातों में समन्वय स्थापित रखेगा। केन्द्र में समन्वय का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। हमने समन्वय के इस विषय पर बहुत ज्यादा विचार किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पर यह बात कह देना चाहूंगा कि नीतियों के सम्बन्ध में हमारा खाद्य और कृषि मंत्रालय से एकदम पूर्ण समन्वय है।

जैसा कि हम जानते हैं, राज्यों में ज्यादा काम होने के कारण विभिन्न विभाग और विभिन्न मंत्रालय यह काम कर रहे हैं। समस्या यह है कि राज्यों में इन विभागों में राज्य मुख्यालयों में, मंत्री स्तर पर, विभागाध्यक्ष स्तर पर, सचित स्तर पर, जिला अधिकारी स्तर पर और खण्ड स्तर पर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए? इसी जगह समन्वय की समस्या सामने आती है।

पंचायती राज

प्राचीन काल में पंचायत अपनी ही सीमाओं में काम करती थी, जिसकी आबादी

500, 1,000 या 2,000 होती थी। वह अपने आप में एक अलग–सी दुनिया होती थी। एक सामन्तवादी भारत में तो यह स्थिति ठीक थी, उस समय तो यह काम कर सकती थी और आत्मनिर्भर रह सकती थी, जब उसे कोई परेशान नहीं करता था और केवल जीवित रहने पर ही यह सन्तुष्ट रह सकती थी। आज हम बाकी दुनिया के साथ मिलने की चेष्टा कर रहे हैं, हम अपने गांवों में अणु–शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, संचार साधन चाहते है, रेलें चाहते हैं, रेडियो और टेलीविजन चाहते हैं। ये दोनों चीजें साथ–साथ नहीं चल सकतीं। इसलिए हमें बाकी दुनिया को गांव के साथ मिलाना ही पड़ेगा।

गांव की सारी वयस्क जनता मिल कर गांव की संसद बनाएगी; गांव की संसद अपनी प्रबन्धकारिणी समिति या पंचायत चुनेगी। पंचायतें सरपंच और उपसरपंच चुनेंगी; खण्ड के सरपंचगण खण्ड पंचायत समिति के सदस्य होंगे और वे अपने में से एक अध्यक्ष चुनेंगे जो खण्ड पंचायत समिति का प्रधान होगा। सभी खण्ड पंचायत समितियों के प्रधान जिला परिषद में एकत्र होंगे वे संसद और राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधियों सहित एक 'समन्वय और योजना संगठन' बनाएंगे। इस तरह गांव के लोग और उनके संगठन जिला स्तर तक पहुंच जाएंगे, इस तरह संसद सदस्य जिला स्तर पर अपने विचार ऐसे लोगों तक रख सकेंगे, जो उन नीतियों और आधारभूत बातों को समझ सकेंगे जिन पर सरकार की कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, और पूरी की जानी हैं। तब वे विचार प्रधान अर्थात खण्ड पंचायत समिति के अध्यक्षगण अपने साथियों अर्थात् सरपंचों को बताएंगे? सरपंच उनकी व्याख्या पंचों के आगे करेंगे और पंच उन बातों को गांव की सारी वयस्क जनता को समझाएंगे।

यदि आपकी लोकतन्त्र में आस्था है तो इस बात का और कोई विकल्प नहीं कि गांव के लोगों से लेकर संसद तक इस प्रकार आपस में सजीव सम्बन्ध हों और विचारों, प्रेरणाओं तथा कार्यों का आदान–प्रदान हो। यही करने का हमारा विचार है।

सहयोगी संस्थाएं

मैने केवल प्रतिनिधि संस्थाओं की चर्चा की है, किन्तु इसमें एक बहुत गम्भीर खतरा है। यदि हमारा एक ऐसा प्रतिनिधि संगठन हो जिसे हम देश के मुख्यालय अर्थात दिल्ली से चला सकें और उसकी प्रतिध्वनि निचले स्तर तक पहुंचा सकें, और उसके समान कोई अन्य स्वेच्छा संगठन न हों, तो इस बात का खतरा है कि सर्वाधिकारी प्रवृत्ति विकसित हो जाए। इसलिए हमने फैसला किया है कि प्रतिनिधि संस्थाओं के साथ–साथ सहयोगी संगठन भी बनाएंगे। 'सहयोगी' शब्द का प्रयोग हम सुविधा के लिए करते हैं। वास्तव में ये पूरी तरह स्वेच्छा संगठन ही होंगे।

उदाहरण के लिए ग्राम स्तर पर एक महिला संगठन हो सकता है; युवक संगठन, बाल संगठन, दस्तकार संगठन, कारीगर संगठन, आदि–आदि बनाए जा सकते हैं जो आवश्यकता होने पर ऊंचे स्तरों पर भी अपने संगठन बना सकते हैं, राष्ट्रीय संघ भी बना सकते हैं। इसी तरह गांव में सहकारी समिति भी होगी।

हम इस बात के लिए भी उत्सुक हैं कि सहकारी समिति गांव पंचायत की तरह गांव के आर्थिक पक्ष की प्रतिनिधि संस्था बन जाए। अब तक सहकारी समितियां ऋण देने का काम करती रही हैं। और यहां मेरे कई माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की कि ऋण जनता के गरीब वर्गों को नहीं मिलता, गांव का एक–एक छोटा सा वर्ग सहकारी समिति से ऋण लेता है। और कई जगह तो यह ऋण ऊंची दर पर पुनः गरीब लोगों को कर्ज देने के काम में लाया जाता है। यह सब हो रहा है।

सहकारी समितियां

जब अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर हमने बड़े आकार की सहकारी समितियां बनानी शुरू कीं, तो हमने यह देखा कि स्वाभाविक आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप हमारी बहुत बड़ी–बड़ी सहकारी समितियां बन गईं और वे अन्य दूसरे बैंकों की तरह व्यावसायिक संगठन बन गईं, उनकी रुचि मानवीय मूल्यों में, सम्बन्धों में भ्रातृत्व भावना जगाने में न रही। उनकी रुचि इसमें रह गई कि उन्होंने जो रुपया लगाया है, वह कितना फायदा देगा। यदि एक सहकारी संगठन केवल संगठन की सुदृढ़ता के विषय में सोचे तो फिर सहकारी समिति बनाने का ही क्या लाभ। यह काम तो एक बैंक भी अच्छी तरह कर सकता है।

यह दावा किया गया है कि यदि हम बड़े आकार की सहकारी समिति बनाएं, तभी हम प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता, टेक्नीकल सहायता, वित्तीय सहायता आदि दे सकते हैं; इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि यदि हम ग्राम स्तर पर भिन्न–भिन्न प्रकार की सहकारी गतिविधियां चला दें, तो लाभ की मात्रा बढ़ सकती है और प्रबन्ध पर तथा अन्य होने वाले व्यय को न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक फैसला किया था कि ग्राम स्तर पर एक सहकारी समिति होनी चाहिए और यह लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों के लिए न हो। हां, यदि एक गांव की आबादी 3,000 या 4,000 या 5,000 हो तो एक हजार के पीछे तक समिति बनाने के लिए हम उसके टुकड़े नहीं कर देंगे। विचार यह है कि एक गांव के लिए एक सहकारी समिति होनी चाहिए। इस समिति द्वारा हम ऋण, बिक्री व्यवस्था तथा उर्वरक, बीज, सीमेंट, मिट्टी का तेल, लोहा और इस्पात, औजार मुहैया करने के प्रश्न पर विचार करेंगे। यही सेवा सहकारी समिति का काम होगा।

कार्यकारी उपसमितियां

ग्राम स्तर पर हमारे सहयोगी स्वेच्छा संगठन होंगे। उन स्वेच्छा संगठनों की मदद से हम गांव पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की कार्यकारी उपसमितियां भी बनाना चाहते हैं, जैसे उदाहरणार्थ, कृषि उत्पादन के लिए एक उपसमिति बन जाएगी जो अपना पूरा ध्यान कृषि उत्पादन पर ही देगी, एक अन्य उपसमिति नागरिक सुविधाओं के लिए होगी, एक अन्य शिक्षा, एक समाज शिक्षा, एक मनोरंजन आदि के लिए होगी। एक अन्य व्यय नियन्त्रण और प्रशासन के लिए होगी। इस तरह हम पंचायत समितियों और जिला परिषदों का आधार व्यापक और विस्तृत करने

की चेष्टा कर रहे हैं ताकि इनकी गतिविधियों की लगाम कुछ थोड़े से ही लोगों के हाथ में न रहे। उदाहरण के लिए यदि एक गांव पंचायत के आठ सदस्य हैं, तो सारे काम इन्हीं आठ आदमियों के हाथ में नहीं रहेंगे। इन आठ आदमियों को अपने साथ सहयोगी संगठनों के कुछेक सदस्यों को साथ लेना होगा और वे सब के सब कार्यकारी उपसमितियों के सदस्य बनेंगे। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इतने अधिक शान्तिप्रिय हैं कि चुनाव तक लड़ना नहीं चाहते, तो भी यदि उन्हें मौका दिया जाए तो वे योगदान दे सकते हैं। वास्तव में इन कार्यकारी उपसमितियों को यही 'मौका' देने का विचार है। यह कार्यकारी उपसमितियां सभी स्तरों पर काम करेंगी और कार्यक्रम का आधार व्यापक बनाएंगी। इसलिए हम इसे प्रतिनिधि–लोकतन्त्र मात्र नहीं कहते बल्कि कार्यकारी लोकतन्त्र से गुम्फित प्रतिनिधित्व लोकतन्त्र कहते हैं।

मैं नहीं कह सकता कि अन्ततोगत्वा इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। मुझे इसकी चिन्ता भी नहीं, मैं जानता हूं कि यह एक अच्छी चीज है। इस से गांवों में और अधिक एकरूपता आएगी और गांववालों में सामुदायिक भावना का प्रसार होगा।

जैविक परिवर्तन

हम पंचायती राज ला रहे हैं। पंचायती राज पहली बार हमारे कार्यक्रम में एक जैविक परिवर्तन ला रहा है। मैंने जैविक परिवर्तन शब्द का उपयोग एक विशेष कारण से किया है। अब तक हमें एक सरकारी कर्मचारी से ही वास्ता पड़ता था। उस के बारे में यह पहले से बताया जा सकता है कि वह क्या करेगा, आप यहां बैठे–बैठे बता सकते हैं कि फलाने बी.डी.ओ. की एक सरकारी परिपत्र के बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी। यहां प्रतिक्रिया का अच्छी तरह से पता चल जाता है। यदि सरकारी कर्मचारियों का कोई निजी व्यक्तित्व होता भी है तो नौकरी के पहले कुछ वर्षों में ही ऐसे पूरी तरह समाप्त हो जाता है कि एक आदमी की प्रतिक्रिया दूसरे आदमी के समान ही हो जाती है। एक तरह से होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि यदि सरकारी कर्मचारी भावुकता में बह कर काम करने लगे तो देश के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो जाएगा।

पर आप भावुकता को चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें भावना का प्रवेश हो। और उग्र रूप में एसा जरूर होना चाहिए। यही कारण है कि लोकतन्त्र में आप के पास एक सुरक्षित सरकारी कर्मचारी होता है जो अच्छी तरह अपने समूह में संगठित होता है और जिसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में आप सरलता से अनुमान लगा सकते हैं। आप उसे एक अन्य ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जिसके बारे में कतई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वह है जनता का प्रतिनिधि। और हर प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि से अवश्य भिन्न होगा क्योंकि वह एक विशेष वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और जनता का हर वर्ग दूसरे वर्ग से भिन्न होता है। ठीक उसी तरह जैसे हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। क्योंकि यह बात अत्यन्त महत्व की है। इसलिए प्रतिनिधियों का कार्यक्रम पर एक डायनेमिक प्रभाव पड़ेगा जो एक तरह से ऐसा कि जिसकी भविष्यवाणी नही की जा सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि एक जैविक परिवर्तन हो रहा है, बल्कि होने लगा है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि आज से एक वर्ष बाद कार्यक्रम का क्या रूप होगा? मैं कह सकता हूं कि चीजें गुपचुप और शान्त नहीं रहेंगी। हमारी समस्या अब इस बात की देखभाल करने की है कि वे बहुत तेजी से उस दिशा में नहीं बढ़ते, जिससे उन्हें नुकसान हो या उस उद्देश्य को हानि पहुंचे जो हमने कार्यक्रम का उद्देश्य बनाया था। इस तरह हम लोक सभा से लेकर ग्राम सभा तक, एक कड़ी जोड़ना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि ग्राम सभा से लोक सभा तक भी एक कड़ी होगी। आप शीघ्र ही इन नई संस्थाओं की प्रतिध्वनि सुनने लगेंगे। वह दिन बहुत दूर नहीं जब उनकी गूंज इस सदन में सुनी जाएगी। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है।

प्राथमिकताएं

यह स्वाभाविक ही है कि पहली प्राथमिकता इस बात को दी जाए कि भारत के सब राज्यों में पंचायती राज कायम हो। शुरू में, आज से एक वर्ष पहले यह विचार था कि यह काम दो स्तरों – जिला और गांव स्तर पर किया जाए। कुछ राज्यों की राय थी कि यह गांव और खण्ड स्तर पर हो क्योंकि जिला भी तो गांव से बहुत दूरी पर होगा और तब प्रशासन समय की मांग के अनुरूप काम नहीं कर सकेगा। जनता की संस्था जनता की पुकार नहीं सुनेगी और यह बात बहुत ही अनुचित होगी। राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश के अनुभव के बाद कुल मिला कर देश का प्रबुद्ध जनमत इस पक्ष में है कि तीन स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। मेरा पहला लक्ष्य ऐसा पंचायती राज स्थापित करना है। दूसरे हमें सहकारी समाज का निर्माण अवश्य करना चाहिए। हर गांव में एक सहकारी समिति अवश्य होनी चाहिए। हमारे यहां ये दो सजीव और डायनेमिक संस्थाएं होनी चाहिए, हमें उन्हें साधन सम्पन्न बनाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई समानान्तर संस्था काम नहीं करने लगती। पिछले सालों में जिले की संस्थाओं को इस कारण हानि उठानी पड़ी कि सरकारी संगठनों और जनता के संगठनों में अस्वस्थ और असमान प्रतियोगिता होने लगी। सरकारी स्कूल भी थे और जिला बोर्डों के स्कूल भी। भला आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि जिला बोर्ड सरकार जितने साधन जुटा पाएंगे। इसलिए इस में कोई ताज्जुब नहीं कि जिला बोर्डों के स्कूल राज्य सरकारों के स्कूलों के सामने असफल रहे। इसलिए अज्ञानवश राज्य सरकारों ने वे उत्तरदायित्व हथिया लिए जो सामान्यतया स्थानीय संस्थाओं को मिलने चाहिए थे। यह चीज हमे 15 अगस्त 1947 को विरासत में मिली।

सहकारी क्षेत्र में लालफीताशाही

अब मैं सहकारिता के क्षेत्र पर आता हूं जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले दो दिनों में सहकारी विभाग के जटिल नियमों और प्रक्रियाओं की बहुत शिकायत की गई है। हम पिछले एक वर्ष से बराबर संघर्ष कर रहे हैं कि राज्य सरकारें कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल बनाएं। हमने तो उन्हें यहां तक बता दिया है कि कहां–कहां सरलीकरण की

आवश्यकता है और सरलीकरण किस तरह हो। यह बात सहकारिता मंत्रियों, रजिस्ट्रारों और अन्य लोगों के साथ बारबार होने वाली बैठकों में दोहराई गई है और सारे देश ने इसे स्वीकार भी किया जा रहा है। अब इस बात को कार्यान्वित किया जा रहा है और इस बारे में गैर–सरकारी सहकारी लोगों की सलाह ली जा रही है। पर मुझे डर है कि कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बावजूद भी वास्तविक सरलीकरण दो बातों पर निर्भर करेगा – एक ओर सहकारिता अधिकारियों की मनोवृत्ति और दूसरी ओर गैर–सरकारी सहकारी संगठनों की सुदृढता जिसका हम निर्माण कर पाए हैं।

जहां तक सरकारी अधिकारी का सम्बन्ध है, हम बहुत अधिक संघर्ष कर रहे हैं। यहां पर हमारे अधिकतर मित्र केवल इस बात की चर्चा करते हैं कि हमें अपने कार्यकर्ताओं की, चाहे वे सरकारी हों या गैर–सरकारी, शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए प्रशिक्षण के एक सुनियोजित पाठ्यक्रम के फलस्वरूप समय आने पर इसमें थोड़ा–बहुत सुधार हो भी जाएगा। पर अपने आप में इस से बहुत सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हम साथ ही साथ यह भी चेष्टा कर रहे हैं कि गैर–सरकारी सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाया जाए।

सहकारिता के गैर–सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में हमने पहला कदम यह सोचा कि सहकारी संस्थाओं को सरकारी अफसरों और सरकारी प्रभाव रखने वाले अन्य व्यक्तियों जैसे – मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि के भार से मुक्त किया जाए। इस नीति को भारत सरकार और राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है। सहकारी समितियों को ऐसे बड़े आदमियों के भार से मुक्त करने की दिशा में काफी काम हुआ है।

अब मैं सहकारी समितियों के कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के प्रश्न को लेता हूं। यह स्वाभाविक ही है कि सहकारी समिति जैसी संस्था की ओर जिसे सरकारी सहायता के रूप में कई सुविधाएं मिलती हैं, निहित स्वार्थ आकृष्ट होते। मुझे खुद पता नहीं कि सहकारी आन्दोलन को कुप्रशासन और भ्रष्टाचार से कैसे बचाया जाए। पर हम प्रश्न पर काफी सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं। हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि अच्छे व्यक्तियों और अच्छी संस्थाओं को यथासम्भव अधिक से अधिक सहायता दें और गैर–सरकारी संस्थाएं बनाएं जो नीचे की सहकारी संस्थाओं को समर्थन भी दे सकती हैं और उन पर नियंत्रण भी रख सकती हैं।

अब मैं सेवा सहकारी समितियों को लेता हूं। मैंने ऊपर सेवा सहकारी समितियों की व्याख्या की है। हम देश भर में सेवा सहकारी समितियों का जाल बिछा रहे हैं और विविध काम करने वाली छोटी संस्थाएं बना रहे हैं ताकि हर सहकारी समिति अपने गांव की लगभग हर आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति कर सके। पर यह आन्दोलन अब तक इस तरह नहीं चला। अब तक गांव की प्राथमिक सहकारी समिति मुख्यतः ऋण देने का काम करती थी और वह भी कुछ चुने हुए लोगों में से थोड़े से प्रभावशाली लोगों को मिलता था। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि गांव का हर व्यक्ति जो सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहे, उसे बनने दिया जाए और उसे ऐसा करने में मदद पहुंचाई जाए। हम यह देखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हर व्यक्ति ऋण की सुविधा से अधिकतम लाभ उठा सकता है।

श्री बैकुण्ठ भाई मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त समिति का काम अब अन्तिम अवस्था में पहुंच चुका है। यह समिति ऋण, तीसरी योजना के लिए अधिक ऋण और ऋण देने योग्य व्यक्ति की जगह ऋण देने योग्य उद्देश्य के विषय पर विचार कर रही है।

सहकारी खेती

इस बात की मंशा कतई नहीं कि सहकारी खेती के सम्बन्ध में ढील डाली जाए। यह तो अपनाई जाएगी ही, पर हम इस बारे में निश्चिन्त होना चाहते हैं कि हम से कोई गलती न हो। संयुक्त सहकारी खेती सरकारी सहायता या सरकारी संरक्षण से नहीं चलाई जाएगी। यह तो उचित संगठनात्मक शक्ति और जनता की टैक्नीकल सहायता द्वारा चलाई जानी चाहिए। टैक्नीकल सहायता तो सरकारी संगठन को भी प्राप्त करनी पड़ती है। देश में ऐसे बहुत थोड़े सहकारी फार्म हैं जहां हम सीख सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मैने खुद नीलोखेड़ी में इसकी चेष्टा की और बुरी तरह अपने हाथ जला बैठा। इसलिए हमें इस बारे में बहुत सावधान होना चाहिए कि शुरुआत किस तरह की जाए। यही कारण है कि हमें इसमें समय लग रहा है, यह कारण कतई नहीं कि हम इस के प्रति अनिच्छुक हैं या इसके बारे में ढीले पड़ गए हैं और इसे भूल जाना चाहते हैं।

अब सहकारी आधार पर प्रोसेसिंग का प्रश्न आता है। अब भी दस प्रतिशत चीनी सहकारी मिलों में बनाई जाती है। अच्छा यह है कि तीसरी योजना में 25 से 30 प्रतिशत चीनी सहकारी चीनी मिलों में बनाई जाए। इसी तरह प्रोसेसिंग के अन्य क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां प्रवेश कर रही हैं।

हम प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक सन्तुलित सहकारी क्षेत्र बनाना चाहते हैं जो एक ओर सरकार के जटिल आर्थिक उपकरणों और दूसरी ओर इससे भी कहीं जटिल निजी आर्थिक उपकरणों के बीच शान्ति स्थापित करेगा। केवल सहकारी संगठन ही यह काम कर सकते हैं और इसलिए हमारी इच्छा है कि सेवा सहकारी समितियों, और सहकारी फार्मों के अतिरिक्त एक मजबूत सहकारी प्रोसेसिंग क्षेत्र भी बनाएं और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

देहातों के लिए धन

इन पंचायती राज और सहकारी समाज के विषय में 'हमें कई ताकतों का सामना करना है। उनमें से एक इस प्रकार है–लोग कहते हैं कि गांवों का शहरों जितना विकास होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि पहली योजना में हम ने श्री दे को 50 करोड़ रुपये दिए और तिस पर भी गांवों में अब भी अभाव हैं, गांवों में लोग अब भी, शिकायत कर रहे हैं, दूसरी योजना में हम ने श्री दे को 200 करोड़ रुपए दिए और आप जानते हैं कि यद्यपि उस में एक कटौती हुई थी, पर अभी भी श्री दे के पास 180 करोड़ रुपये हैं, वह

(शेष पृष्ठ 48 पर)

करेले की कड़वाहट में छिपे हैं मीठे गुण

शैलेश त्रिपाठी*

करेले का नाम लेते ही मुंह कड़वाहट से भर उठता है। कहा भी गया है कि 'करेला वह भी नीम चढ़ा' अर्थात यह नीम के बराबर कड़वा होता है। परन्तु यही कड़वाहट तो इसको लोकप्रिय बनाए हुए है। इसका स्वाद भले ही कड़वा हो परन्तु जब हम इसके गुणों पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि करेला एक सब्जी ही नहीं वरन अपने आप में एक सम्पूर्ण औषधि भी है। अपने औषधीय गुणों के कारण ही यह घर–घर की पसन्द बना हुआ है। मधुमेह के रोगियों के लिए तो यह किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी तासीर ठंडी होती है, यह पचने में हल्का होता है और बीमारियों को ठीक करने में सहायक होता है।

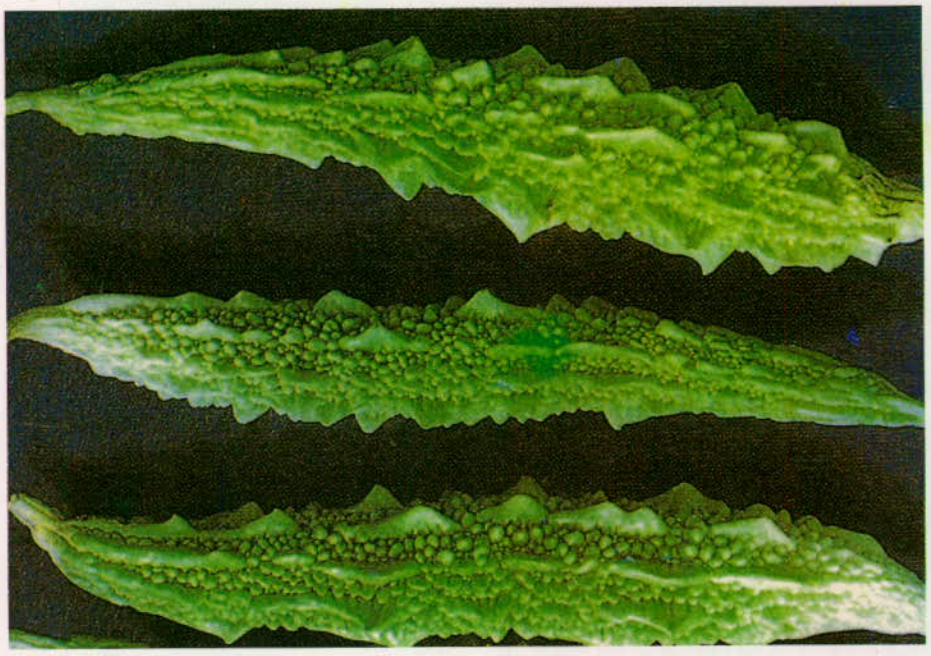

गुण

करेले की जड़, पत्ती और फल सभी उपयोगी हैं। आयुर्वेद के अनुसार करेले की जड़ आंख के दुखने में उपयोग की जाती है। कड़वा फल, शीतलता प्रदान करने वाला, पाचन योग्य, ज्वर नाशक, कीटनाशक, भूख बढ़ाने वाला, पित्तदोष, कफ, खून की बीमारी रक्ताभाव, मूत्र संबंधी रोग, दमा, फोड़ा, जाड़े की सर्दी से, फेफड़े में कफ एकत्र होने से उत्पन्न रोग से मुक्ति करने वाला तथा हैजे में उपयोगी है।

यूनानी पद्धति में फल, वातहर, बलवर्धक, क्षुधावर्धक, कामोत्तेजक, कीटनाशक, आंत को सिकोड़ने वाला बलगम घटाने वाला, उपदंश रोग, गठिया, प्लीहा रोग और आंख के दुखने में इस्तेमाल किया जाता है।

पत्तियां फोड़ा या घाव के लिए मरहम के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं।

करेले के औषधीय उपयोग

मधुमेह : मधुमेह के रोगियों को करेले का रस नित्य प्रति देने से रोगी को आराम मिलता है।

पेट की कीड़े : जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते है उनके लिए करेला बहुत लाभप्रद है। करेले का रस पत्तियों और बीजों का उपयोग पेट के कीड़ों को जड़ से नष्ट कर देता है।

कब्ज : करेले की सब्जी खाने से पेट ठीक रहता है तथा कब्ज नहीं होता।

यकृत रोग : 3–8 वर्ष तक के बच्चे को आधा चम्मच करेले का रस प्रतिदिन देने से यकृत ठीक रहता है। यह पेट साफ रखता है। यकृत बढ़ने पर 50 ग्राम करेले का रस

* उद्यान विज्ञान विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौधोगिक विश्व विद्यालय, पन्तनगर (उधम सिंह नगर) 263145

करेले में पोषक तत्व

(प्रति 100 ग्राम खाद्य भाग)

जल	92.4	ग्राम	मैगनीशियम	17	मि.ग्रा.
प्रोटीन	1.6	ग्राम	फास्फोरस	70	मि.ग्रा.
वसा	0.2	ग्राम	लौह	1.8	मि.ग्रा.
शर्करा	4.2	ग्राम	पोटेशियम	152	मि.ग्रा.
कैलोरी	25		निकोटिनिक ऐसिड	0.5	मि.ग्रा.
विटामिन 'ए'	210	आई.यू.	विटामिन 'सी'	88	मि.ग्रा.
राइबोफ्लेविन	0.09	मि.ग्रा.			
कैल्शियम	20	मि.ग्रा.			

पानी में मिलाकर पिलाने से लाभ होता है।

पीलिया : पीलिया रोग में यह विशेष लाभकारी है। करेला पीसकर पानी मिलाकर सुबह शाम नित्य पीने से यह रोग समाप्तप्रायः हो जाता है।

बवासीर : एक चम्मच करेले का रस शक्कर मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में लाभ होता है।

पैरों में जलन : करेले के पत्तों के रस की पैरों पर मालिश करने से पैरों की जलन ठीक हो जाती है।

अन्य उपयोग : सिर की त्वचा में छाले हो जाने पर इसका रस लगाया जाता है। इसके रस में नमक मिलाकर बड़ी तथा छोटी माता में दिया जाता है। पूरे पौधे को सुखाकर पीस कर प्राप्त होने वाले चूर्ण को छिड़कने से कोढ़ और व्रण में लाभ पहुंचता है।

- पशुओं को अफारा आने पर करेलों को पानी मे उबालकर और नमक मिलाकर उनका रस निकाल कर नाल से दें। अफारा फौरन उतर जायेगा।
- यदि पथरी की शिकायत है तो करेले का रस सवेरे खाली पेट पीएं, ऐसा रोज करने से पथरी गल–गल कर निकल जाएगी और आराम होगा।
- करेले के पत्तों के रस में काली मिर्च पीसकर मिलाइए। यह लेप आखों के बाहरी भाग पर लगाने से रतौंधी में आशातीत लाभ होगा।
- जोड़ों के दर्द की शिकायत के लिए तो करेला रामबाण औषधि है। इस दशा में नियमित रूप से प्रातः काल हल्की–सी काली मिर्च के साथ घी में भूनकर करेले का सेवन करना चाहिए। ❑

(पृष्ठ 46 का शेष)

नई प्राथमिकताएं

उन्हें खर्च भी कर रहे हैं, जिस पर भी लोग शिकायत करते हैं कि उनके लिए यह नहीं हुआ, उनके लिए वह नहीं हुआ।'

मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर विचार करें कि पहली पंचवर्षीय योजना के लिए 20 अरब 13 करोड़ रुपए रखे थे, उसमें से 8 अरब 11 करोड़ रुपये देहाती इलाकों में व्यय किए गए, इसका अर्थ यह हुआ कि 80 प्रतिशत जनता के लिए 40.3 प्रतिशत रुपया व्यय किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे पास 45 अरब रुपये हैं और गांव इनमे से 12 अरब 55 करोड़ रुपये व्यय करेंगे और मुझे विश्वास है कि यह सारा का सारा धन भी गांवों में व्यय नहीं किया जाएगा, हो सकता है कि यह गांवों के लोगों के लिए कलकत्ता, दिल्ली या अन्य स्थानों में भी व्यय किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि गांवों के लिए 27.8 प्रतिशत धन है और अन्य स्थानों के लिए 62.8 प्रतिशत। सदन को मेरी कठिनाई समझनी चाहिए। जब मैने भारत सरकार से इस विषय में विचार विमर्श किया तो सब इस बात से सहमत थे कि गांवों का विकास अवश्य किया जाना चाहिए। इस सदन के माननीय सदस्यों ने आज के समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री का वह भाषण अवश्य पढ़ा होगा, जो उन्होंने कल सौराष्ट्र में दिया। प्रधान मंत्री ने इस बात की शिकायत की है धन इस बात के लिए रखा जाता है कि गांवों में ग्रामोद्योग शुरू किए जाएं, गांवों में बिजली लगाई जाए, सिंचाई कार्यक्रमों को सहायता दी जाए आदि। पर जब वास्तव में बिजली की व्यवस्था करने, औद्योगिक बस्तियां बनाने का सवाल आता है, उस समय गांववाले गूंगे बन जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरह आन्दोलन किया जाए। उन्हें यह नहीं पता कि सदन में किस तरह मोर्चा लगाया जाए, उन्हें यह नहीं पता कि कलकत्ता और बम्बई के नगरों से कैसे मोर्चा लगाया जाए। और हम देखते हैं कि मूल रूप में गांवों के लिए जितने धन की व्यवस्था की जाती है, उसका बड़ा भाग शहर वाले हथिया लेते हैं।

तीसरी योजना बन कर तैयार हो रही है। मैंने अपने अन्य मित्रों को विश्वास दिलाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी कि यदि वे वास्तव में एक गतिशील ग्रामीण भारत के दर्शन करना चाहते हैं, जहां आधुनिक विश्व के विचार का स्पन्दन हो, और यदि वे अनाज का पैदावार 100 प्रतिशत, 200 प्रतिशत या 300 प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं। यह केवल गांववालों को यह बता देना काफी नहीं कि उन्हें ज्यादा पैदा करना चाहिए उन्हें केवल यही बताना काफी नहीं कि गोबर गैस प्लांट लगाना चाहिए और सुधरा हुआ औजार काम मे लाना चाहिए। गांववाला इस बारे में निश्चिंत होना चाहेगा कि सड़क उसके गांव को जोड़ती है, वह इस बारे में निश्चित होना चाहेगा कि गांव में लोहा और इस्पात मिलता है जिस से वह सुधरे हुए औजारों के पुर्जे बदल सके, वह इस बारे में निश्चिन्त होना चाहेगा कि गांव में ऐसी मशीनों की दुकानें हैं जहां से औजारों के अतिरिक्त पुर्जे ले सकता है। जब तक इन सब सहायक बातों का विकास नहीं होगा, तब तक एक पक्ष दूसरे पक्ष से बिलकुल अलग–अलग रखे हुए हम इन का विकास नहीं कर सकते। ❑

(आवरण पृष्ठ दो का शेष)

की कि इस वर्ष इन कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे। श्री पटवा ने यह भी बताया कि नौंवी योजना में विकास की नीति खाद्य सुरक्षा पर आधारित है अर्थात खाद्य उत्पादन को दुगना करना है और देश को भूख से मुक्त करना है।

सम्मेलन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि अनुसूचित जाति विकास निधि की राशि जो 1997–98 में 610 करोड़ रुपये थी, वित्त वर्ष 2000–2001 में 864 करोड़ रुपये कर दी गई है। श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि समाज में सुधार लाने और प्रदूषण कम करने में हम सबका भी कुछ कर्त्तव्य है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि सुअरों के बाल नोचने से ही क्रिकेट की गेंद बनती है और यदि हम ऐसी गेंदों को न खरीदें तो सुअरों पर अत्याचार अपने आप बंद हो जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्रीमती मेनका गांधी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए

उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री श्री शांता कुमार ने सम्मेलन में बताया कि सरकार के पास इस समय अनाज के भंडारण की समस्या आ रही है। सरकार के सुरक्षित भंडारों में जितना अनाज होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा अनाज मौजूद है, जबकि नई फसल उतरने वाली है। इस समय 118 लाख टन चावल सुरक्षित भंडार में होना चाहिए लेकिन 152 लाख टन है। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि एक टन अनाज के एक वर्ष में भंडारण पर 1,800 रुपये खर्च आता है। सरकार इस अनाज भंडार के उचित उपयोग के उपायों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों में प्रत्येक उचित दर की दुकान वाले को पंचायत को पूरे महीने का हिसाब–किताब अनिवार्य रूप से देना होगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली ने सम्मेलन में बताया कि सरकार की नीति प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के विकास को बढ़ावा देने की है। लेकिन मीडिया से कहा कि उसे सामाजिक विषयों पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति महत्वपूर्ण है लेकिन सामाजिक विषयों की अवहेलना नहीं की जा सकती। श्री जेटली ने बताया कि दूरदर्शन कार्यक्रमों को पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक योजना शीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर चैनल की पहुंच घाटी के 98 प्रतिशत लोगों तक बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक हाई पावर ट्रांसमिशन लगाया जा रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार दूरदर्शन को सहायता देगी लेकिन प्राइवेट चैनलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

सम्मेलन में केन्द्रीय श्रम मंत्री सत्यनारायण जटिया ने बताया कि श्रम कानूनों को भावी जरूरत के मुताबिक बनाने के लिए सरकार ने द्वितीय श्रम आयोग का गठन किया है। उन्होंने अपने सम्बोधन में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रुग्णता दूर करने के उपायों का जिक्र भी किया। बालश्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए डा. जटिया ने कहा कि ऐसे जोखिमग्रस्त व्यवसायों की संख्या 25 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है जिनमें बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जा सकता और शीघ्र ही इस सूची में नौ और उद्योगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल श्रम के विरुद्ध देश भर में एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। ❑

आर.एन./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या :डी (डी एल) 12057/2000
आई.एस.एस.एन. 0971–8451
पूर्व भुगतान के बिना डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)–55

R.N./708/57
P&T Regd. No. D (DL) 12057/2000
ISSN 0971-8451
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

श्रीमती सुरिन्द्र कौर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक: अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–20, सम्पादक : बलदेव सिंह मदान